लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation 6-7-92
Fumigated On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 19 फरवरी, 1968/ 30 माघ, 1889 (शाक)

No. 6, Monday, February 19, 1968/ Magha 30, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References	641-643
121.	विदेशों से ऋण	Loans from Abroad	643-646
123.	अमरीका के जाली डालरों की तस्करी	Smuggling of Fake US Dollars	646-647
124.	राजनयिक दूतावासों द्वारा डाक द्वारा तस्करी	Smuggling by Diplomatic Mission through Mail	647-649
125.	भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj	649
128.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संसदीय समिति	Parliamentary Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	650
129.	अमरीका से मंगवाये जाने वाले खाद्यान्न की कीमत का भुगतान	Payment for Food Imports from USA	650-653
131.	कोयना में भूकम्प पीड़ितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Koyna Earthquate Victims	654-655

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

122.	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	655-656

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
127.	कानून द्वारा गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion	656
130.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यार्ड से विस्थापित परिवार	Displaced Families from New Delhi Railway Station Yard	656—657
132.	वित्तीय वर्ष में परिवर्तन	Change of Financial Year	657
133.	पेट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro chemical complexes	657—658
134.	विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ का माँग पत्र	Charter of Demands of Willingdon Hospital Workers' Union	658
135.	जल दूषण के खतरे के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन	W. H. O. report on menace of water pollution	658—659
136.	रेलों के माध्यम से परिवार नियोजन अभियान	Family Planning Campaign through the Railways	659
137.	स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया का उपचार	Medical treatment of the late Dr. Ram Manohar Lohia.	659—660
138.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि	Increase in rates of daily allowance of Central Government employees	660
139.	ऋण सहायता	Debt Relief	660—661
140.	अशोक होटल (नई दिल्ली) में रिवाल्विंग टावर तथा रेस्तरा	Revolving Tower and Restaurant in Ashoka Hotel, New Delhi	661
141.	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्यवस्थागत परिवर्तनों के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाले दल का प्रतिवेदन	Study Team Report re. Organisational Changes in Fertilizer Units in Public Sector	661—663
142.	विदेशी ऋण	Foreign Debt	663
143.	अमरीका द्वारा भारतीय मुद्रा का उपयोग	Utilization of Indian Currency by USA	663
144.	वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव	Fluctuation in Prices of Comodities	663—664
145.	कृषि आय पर कर	Tax on Agricultural Income	664—665

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
146. अस्पृश्यता	Untouchability	665
147. नया वित्त आयोग	New Finance Commission	665—666
148. विश्व बंक के ऋणों पर ब्याज की दर	Rate of Interest on World Bank Loans	666
149. मानव निर्मित रेशा	Man-Made Fibre	666—667
150. अमरीकी सहायता में कठौती	Cut in US Aid	667
अता० प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.		
902. महाराष्ट्र में आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas in Maharashtra	667—668
903. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Employees of Public undertakings	668
904. सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए वेतनों की अधिकतम सीमा	Ceilings on Salaries for various posts in Public undertakings	668—669
905. दिल्ली में शीत से मृत्यु	Deaths due to cold in Delhi	669
906. सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories in the Public Sector	669—670
907. उर्वरक कारखानों के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Officials of Fertilizer Factories	670
908. भवनों का निर्माण	Construction of Bhavans	670
909. उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	671
910. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	671
911. गोआ, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	List of Scheduled Cates/Tribes in Goa, Diu and Daman	671—672
912. भूमि तल पर बहने वाली नदियां	Surface Streams	672
913. निजामाबाद जिले के आयकर दाता	Income tax assesses of Nizmabad District	672

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
914.	महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दिया जाना	Clearnce to Irrigation Projects in Maharashtra	673
915.	इलैक्ट्रोनिक संगणक	Electronic Computers	673
916.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill	673—674
917.	राजस्थान नहर के कार्य का स्थगित किया जाना	Suspension of work in Rajasthan Canal	674
918.	भारत सरकार मुद्रणालयों में भर्ती	Recuritment in Government of India Presses	674—675
919.	मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Madhya Pradesh	675
920.	मध्य प्रदेश में आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Block in Madhya Pradesh	675
921.	मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	676
923.	चेचक से मृत्यु	Small Pox Fatalities	676
924.	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	676
925.	रसायन उर्वरकों के काम में आने वाले खनिज पदार्थ	Minerals used for Chemical Fertilisers	677
926.	सिग्रेटों का मूल्य	Price of Cigarettes	677
927.	चैकोस्लोवाकिया से ऋण	Loan from Czechoslavakia	678
928.	निर्यात के बीजक में राशि कम दिलाने के फलस्वरूप हानि	Loss due to under invoicing of exports	678
929.	गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of non-tradittion items	679
930.	पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Backward Classes	679
931.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	679
932.	पिछड़े वर्गों के विधायकों का सम्मेलन	Backward Classes Legislator's Conference	680
933.	प्रधान मंत्री द्वारा उड़ीसा में तूफानग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Prime Minister's visit to Cyclone affected areas in Orissa	680

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
934.	औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये मद्यसागर का आयात	Import of alcohol for Industrial Consumers	680—681
935.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	681
936.	नंगल में तैयार किये गये उर्वरकों के वितरण के लिये एजेंसियां	Agencies for distribution of fertilizers produced at Nangal	681—682
937.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात	Imports under PL 480	682
938.	आयकर के अपवंचन के मामले	Income tax evasion cases	682—683
939.	पाराद्वीप को जाने वाला सीधा (एक्सप्रेस) राजपथ	Express Highway to Paradeep	683
940.	हरियाणा विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा मांग दिवस	Demands Day by Haryana Electricity Board Employees	683—684
941.	जाली नोटों के मामले	Fake note cases	684—685
942.	सरकारी उपक्रमों में अन्तर्ग्रस्त नियोजन तथा हानियां	Investment and losses involved in Public Undertakings	685
943.	ताप्ती नदी पर (महाराष्ट्र) पर हतनूर बांध	Hatnur Dam on Tapiti Maharasthra	685—686
944.	करों के युक्तिकरण के बारे में बूथलिंगम समिति का प्रतिवेदन	Boothalingam Committee's Report re Rationalisation of Taxes	686
945.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ऋणों की अदयागी	Repayment of I.M.F. Credits	686—687
946.	अमरीकी डालर बचाना	Protecting of US Dollar	687—688
947.	कोयना बांध पर भूचाल के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति	Expert Committee to study the effect of earthquake on Koyna Dam	688—689
948.	लूपों का आयात	Import of Loops	990
949.	कर से छूट	Tax Holiday	690
950.	नूनमती तेल शोधक कारखाना	Noomati Oil Refinery	690—691
951.	भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य	Statement by Governor of Reserve Bank of India	691

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
952. गण्डक परियोजना	Gandak Project	691—692
953. शक्तिचालित करघे के लिये सूती धागे पर सज्जीकरण अधिभार	Sizing Surcharge on Cotton Yarn for Powerloom	692
954. सूती धागे पर साइजिंग शुल्क लगाना	Imposition of Sizing Excise Duty on Cotton Yarn	692—693
955. कोचीन कस्टम हाउस के निलम्बित अधिकारी	Officers of Cochin Customs House under Suspension	693
956. दिल्ली में परिचारक कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता	Payment of City Compensatory Allowances to Nursing staff in Delhi	693—694
957. कुन्द्रा सिंचाई योजना	Kundra Irrigation Scheme	694
958. छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल कांड	Chhoti Sadri Gold Scandal Case	694
959. ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन	Devaluation of Pound Sterling	694—695
960. स्क्रीन प्रिंटरों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Screen Printers	695
961. राजस्थान में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Rajasthan	695—696
962. ऋण सहायता	Debt Relief	696
963. हल्दिया उर्वरक संयंत्र	Haldia Fertilizr Plant	697
964. उर्वरकों का मूल्य	Cost of Fertilizers	697
965. जम्मू में तेल के लिये छिद्रण कार्य	Drilling for Oil in Jammu	697—698
966. कोचीन सीमाशुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस)	Cochin Customs House	698
967. कोचीन कस्टम्स हाउस	Cochin Customs House	698—699
968. नागार्जुन सागर बांध	Nagar Junasagar Dam	699
969 नसबंदी का आपरेशन	Vascetomy Operations	699—700
970. गण्डक परियोजना का निष्पादन	Execution of Ganak Project	700

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
971.	निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत फालतू इंजीनियर	Surplus Engineers under W. H. and S. Ministry	700—701
972.	कराधान जांच आयोग की नियुक्त	Appointment of Taxation Enquiry Commission	701
973.	गण्डक परियोजना	Gandak Project	701—702
974.	दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी समापन योजना	Jhuggi Jhopri Removal Scheme in Delhi	702
975.	कोका कोला का स्वास्थ्य पर प्रभाव	Effects of Coca cola on Health	702—703
976.	बम्बई हवाई अड्डे पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के वेतनक्रम	Pay scales of Customs Officers working at Bombay Airport	703
977.	पूंजी विनियोजन पर अमरीकी प्रतिबन्ध	US Curbs on investment	704
978.	उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Cyclone affected people of Orissa	704
979.	अस्पृश्यता विधेयक समिति	Committee on Untouchability	704—705
989.	मद्य निषेध	Prohibition	705
981.	नर्मदा बाँध का निर्माण	Construction of Narmada Dam	705
982.	महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली के कार्यालय को आयातित लेखन सामग्री देना	Supply of imported stationery to the office of the Accountant General, Central Revenue, New Delhi.	705—706
983.	नन (ईसाई भिक्षणियों) से पकड़ी गई विदेशी मुद्रा	Foreign currency sized from nuns	706
984.	कोचीन में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातकों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाया जाना	Under inovicing by sea food exporters at Cochin	706—707
985.	नायलोन तथा रेयन धागे की तस्करी	Smuggling of Nylon and Rayon yarn	707

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
986.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against C.P.W.D. enquiry offices	707—708
987.	नई दिल्ली में पंचकुइयाँ रोड पर अन्धों की संस्था	Institution for the Blind Panchkuin Road, New Delhi	708—709
988.	नई दिल्ली की पंचकुइयाँ रोड पर अन्धों की संस्था	Institution for Blind Panchkuin Road, New Delhi	709
989.	हुमायूं रोड, नई दिल्ली	Hymayun Road, New Delhi	709
990.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised colonies in Delhi	709—710
991.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को दिल्ली से अन्य स्थानों पर ले जाना	Shifting of Central Government officers from Delhi	710—711
992.	नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्था की स्थापना	Setting up of National Institute of Ophalmology at A.I.I.M.S., New Delhi	711—712
993.	लूप का निर्माण	Manufacture of Loop	712
994.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये विदेशों से सहायता	Aid for Family Planning Programme from Abroad	712—713
995.	दिल्ली की सरकारी बस्तियों में घास के मैदान (लान)	Grassy Lawns in Government Colonies in Delhi	713
996.	रामकृष्ण पुरम में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Shops in Ramakrishnapuram	713—714
997.	रामकृष्णन पुरम की खोखा एसोशिएशन की ओर से अभ्यवेदन	Representation from Khokha Association of Ramakrishnapuram	714—715
998.	रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) के दुकानदारों को नगर सुविधायें	Civic Amentities Shopkeepers ot of Ramakrishnapuram (New Delhi)	715
999.	रामकृष्णपुरम के सैक्टर 8 में क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters in Sector VIII of Ramakrishnapuram	715
1000.	भारत के उर्वरक निगम के अधिकारियों के दौरे	Tours by Officers of the Fertilizer Corporation of India	716

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1001.	भारत में रोगी लोगों की संख्या	Sick Population in India	716—717
1002.	शमनकारी तथा सल्फा ओषधियाँ	Transquilisers and Sulpha Drugs	717
1003.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories	718
1004.	कांडला उर्वरक कारखाना	Kandla Fertilizer Plant	718
1005.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति	Committee on Incentives for Family Planning Programme	718—719
1006.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में गुर्दा प्रति रोपण शल्य क्रिया	Kidney Transplant Operations at A.I.I. M. S., New Delhi	719
1007.	राजनैतिक दल आयकरों से की वसूली	Recovery of Income tax from political parties	719
1008.	दिल्ली में अस्पतालों के हाउस सर्जनों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by House Surgeons of Delhi Hospitals	720
1009.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बेची गई भूमि का कब्जा देना	Making over possession of plots sold by Delhi Development Authority	720
1010.	उड़ीसा में आदिम जाति लोग	Tribals in Orissa	721
1011.	कुवैत के सहयोग के उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory with Kuwait Collaboration	721—722
1012.	उड़ीसा में राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता योजना	National Water Supply and Sanitation Scheme in Orissa	722—723
1013.	उड़ीसा में महानदी डेलटा सिंचाई योजना	Mahanadi Delta Irrigation Scheme	723—724
1014.	दिल्ली में आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears in Delhi	724
1015.	दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्य संचालन संबंधी समिति	Committee on the Working of Government Hospitals in Delhi	724—725
1016.	कोयना भूकम्प	Koyna Earthquake	725

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1017.	सड़क कूटने के इंजन	Road rollers	725—726
1018.	भारतीय निर्यात के मामले में विश्व बैंक का सुझाव	World Bank on Indian Exports	726
1019.	विश्व बैंक के विशेषज्ञ की भारत यात्रा	World Bank Expert's visit to India	726
1020.	परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिये राजनैतिक दलों का सहयोग	Support of Political Parties for success of Family Planning Programmes	727
1021.	कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालयों पर छापे	Raid on offices of jute Goods Shippers in Calcutta	727
1022.	आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears	727—728
1024.	आयव्ययक प्रणाली के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report on Budgetary System	728
1025.	केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर	Property tax on Central Government Properties	728
1026.	चिकित्सा शिक्षा	Medical Education	728—729
1027.	सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थानों का दिया जाना	Allotment of Residential Accommodation to Government Employees	729
1028.	बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Officers preparing Budget	730
1029.	अंग्रेजी में परिवार नियोजन का प्रचार	Family Planning propaganda in English	730
1030.	अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों से बकाया राशि	Debt, due from Directors and Officers of Scheduled Banks	730—731
1031.	विवाह की आयु बढ़ाना	Raising of Marriageable Age	731
1032.	1967 में अवैध सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Gold in 1967	731—732
1033.	1967 में निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Goods in 1967	732

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1035.	राज्यों में प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita Expenditure in States	732—733
1036.	चांदी का तस्कर व्यापार	Smuggling of Silver	733
1037.	बिड़ला सार्थ समूह से वसूल की जाने वाली आयकर की बकाया राशि	Income tax due from Birlas	733—734
1038.	पारिवारिक खर्च की सीमा निर्धारित करना	Limit on family expenditure	734
1039.	श्री बिजू पटनायक की कम्पनियों द्वारा की जाने वाली अनियमिततायें	Irregularities committed by company belonging to Shri Biju Patnaik	734—735
1040.	विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखाने	Fertilizers factories with foreign collaboration	735
1041.	साबुन के कारखाने	Soap Factories	735
1042.	दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggis in Delhi	735—736
1043.	स्वर्गीय श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को दिया गया मकान	Government accommodation provided to the late Shri Hafiz Mohammad Ibrahim	736
1044.	सरकारी फलैटों तथा बंगलों में छत के पंखे	Ceiling fans in Government Flats Bungalows	736—737
1045.	तट दूर छिद्रण	Off shore drilling	737
1046.	मैसर्स सप्लायर्ज कारपोरेशन द्वारा इंण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई	Supply of barrels to I.O.C. by M/s Suppliers Corporation	737—738
1047.	इंण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई	Barrels to Indian Oil Corporation	738—739
1048.	इण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरल	Barrels for Indian Oil Corporation	739
1049.	इंडियन आयल कारपोरेशन के लिये बैरल	Barrels for Indian Oil Corporation	739—740

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1050.	दिल्ली के अस्पतालों के परिचारक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to nursing staff of Delhi Government Hospitals	740
1051.	मंत्रालयों तथा दूतावासों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Overstaffing in Ministries and Missions	740—741
1052.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rice in prices of Essential Commodities	741—742
1053.	तेल की पाइप लाइनों का डिजाइन	Designs for Oil Pipelines	742
1054.	राजस्थान में आयकर की अदायगी	Payment of Income tax in Rajasthan	742—743
1055.	दिल्ली में अंग्रेजी की मूर्तियों को हटाना	Removal of statues of Britishers in Delhi	743
1057.	उर्वरक उत्पादन संबंधी अध्ययन दल	Study Team on fertilizer production	743—744
1058.	सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का मूल्यांकन	Evaluation of working of public undertakeings	744
1060.	बैंकों का सामाजिक संरक्षण	Social protection of Banks	744
1061.	कम्पनियों में अंशधारी आयकर अधिकारी	Income tax officers having shares companies	744—745
1062.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परमिटों तथा कोटे का आरक्षण	Reservation for S. C. and S. T. in permits and quotas	745
1063.	चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं की बिक्री	Selling of Smuggled Goods	745
1064.	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का कर्मचारियों द्वारा लाई जाने वाली विदेशी वस्तुएं	Foreign Goods Brought by Officials of Indian Missions Abroad	745—746
1065.	नेपाल को चोरी छिपे माल जाना	Smuggling of Goods into Nepal	746

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1066.	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Gorakhpur Fertilizer Factory	746
1067.	नर्मदा परियोजना सम्बन्धी करार	Agreement on Narmada Project	747
1068.	दस रुपये के चांदी के सिक्के	Ten rupee Silver Coins	747—748
1069.	कोयना भूचाल पर अमरीकी आण्विक परीक्षण का प्रभाव	Effect of US Neculear Test on Koyna Tremor	748
1070.	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	748
1071.	केन्द्रीय सरकार के 500 रुपये के अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees Drawing more than Rs.500	748—749
1072.	नई दिल्ली की नई बस्तियों की गलियों में बिजली लगाने पर व्यय	Expenditure on Street lighting in new colonies of New Delhi	749
1073.	बन्ध्यकरण	Sterilization	749—750
1074.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	750
1075.	परिवारनियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	750—751
1076.	परिवार नियोजन के लक्ष्य	Family Planning Targets	751
1077.	मद्य निषेध	Prohibition	751
1078.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	751—752
1079.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	752
1080.	बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति	Appointment of Chairmen of Banks	752—753
1081.	हरियाना में चिकित्सा कालेज	Medical College in Haryana	753
1082.	गुजरात में टाटा बन्धुओं द्वारा उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना	Fertilizer Complex by Tatas in Gujrat	753—754
1083.	कृष्णा और गोदावरी जल सम्बन्धी विवाद	Krishna-Godwari Water Dispute	754
1085.	प्रधान मन्त्री का निवास स्थान	Prime Minister's Residence	754
1086.	जापान को नेपथा का निर्यात	Export of Naptha to Japan	754—755

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1087.	भूमि के कटाव के प्रभाव के कारण नदी घाटी परियोजनाओं को खतरा	Danger to River Valley Projects due to soil Erosion	755
1088.	तेल शोधन क्षमता	Oil Refining Capacity	755
1089.	दिल्ली में राजनैतिक दलों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to politcal parties in Delhi	756
1090.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	756
1091.	आयकर निर्धारण	Income tax Assessment	756—757
1092.	बिहार सिचाई में परियोजना	Irrigation projects in Bihar	757—758
1093.	बहुमंजली इमारतों का निर्माण	Construction of Muti storeyed Buildings	758
1094.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन	C. P. W. D. Divisions	758—759
1095.	आय कर दाता	Income Tax Assessee	759
1096.	धन संचय	Concentration of wealth	759—760
1097.	नई उर्वरक नीति	New Fertilizer Policy	760
1098.	संसद् सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ	Medical Facilities for M.Ps.	760
1099.	बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar	760—761
1100.	बिहार में अकाल तथा सूखे की स्थिति	Famine and Drought conditions in Bihar	761
1101.	राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिचाई परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Irrigation projects in Rajasthan and Mahya Pradesh	761
1103.	केन्सर का प्रतिरोध करने वाली दवाइयों का निर्माण	Manufacture of Anti-Cancer Medicines	762
1104.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	762
1105.	बम्बई के निकट अरब सागर में मिट्टी का तेल मिलने की सम्भावना	Possibility of Locating Kerosene Oil in Arabian Sea near Bombay	762
1106.	कोयना में भूकम्प	Koyna Earthquake	763
1107.	रुमानिया द्वारा उर्वरक फैक्टरियों की पेशकश	Officer for Fertilizer Factories by Rumania	763

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1108.	गर्भ निरोध के लिये आयुर्वेदिक अथवा यूनानी दवाइयाँ	Ayurvedic or Unani Medicines for Contraceptives	763—764
1109.	भारत में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार	Expansion of irrigation facilities in India	764
1110.	बिहार में बागमती और अघवाड़ा नदी घाटी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Cental Assistance for Bagmati and Aghwara River Valley Projects in Bihar	764
1111.	देहाती क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Rural Areas	765
1112.	बिहार में देहाती क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Rural areas in Bihar	765
1113.	बिहार में नदी घाटी परियोजनाएँ	River Valley Projects in Bihar	766
1114.	विदेशी मुद्रा की तस्करी वाला गिरोह	Foreign Exchange Racket	766
1115.	राजनैतिक दंगों के खतरे से उद्योगों का बीमा	Insurance of Industry against Political Distrubances	767
1116.	कालाहांडी (उड़ीसा) में चेचक	Small pox in Kalahandi (Orissa)	767—768
1117.	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plant	768
1118.	नर्मदा नदी के जल का उपयोग	Utilisation of Narmada Waters	768
1119.	गंगा नदी की बाढ़ की रोकथाम	Prevention of Floods in River Ganges	769
1120.	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Rural Areas	769
1121.	ध्रुवरण तापीय बिजली घर	Dhuvaran Thermal Power Station	770
1122.	राज्यों में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in the States	770
1123.	आसाम में आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Tribal People in Assam	770—771

अता० प्र० संख्या
U· Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1124.	सिलचर चिकित्सा कालेज में रोग जाँच पाठ्यक्रम से पहली कक्षाएँ	Pre-clinical classes in Silchar Medical College, Slichar	771
1126.	महाराष्ट्र के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन	Allotment of Kerosene Oil to Maharasthtra	771—772
1127.	राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक धन लेना (ओवर-ड्राफ्ट)	Overdraft by States	772
1128.	जीवन बीमा निगम की ऋण देने की शर्तें	Terms and Conditions of LIC Loans	772—774
1129.	हथकरघा उद्योग द्वारा उपयोग में लाये गये धागे पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Yarn Consumed by Handloom Industry	774
1130.	गांवों में बिजली लगाना	Elctrification of Villages	774—775
1131.	कोयना में आए भूचाल का अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों पर प्रभाव	Effect of Koyna Earthquake on Ankleshwar Oil fields	775
1132.	नसबन्दी आपरेशन और लूप पहनाना	Vasectomy Operations and Loop Insertions	775—776
1133.	तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Project	776
1134.	बड़े जलाशयों में से मिट्टी निकालना	Desiliting of large Reservoirs	776—777
1135.	तेल उद्योग	Oil Industry	777
1136.	अपर कृष्ण परियोजना	Upper Krishna Project	777
1137.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की मंजूरी	Wages of ONGC Workers	777
1138.	निश्चेतक डाक्टरों की कमी	Shortage of Anaesthetists	777—778
1139.	विशेषीकृत निर्यात ऋण संस्था	Specalised Export Credit Institution	779
1140.	दक्षिणी कनारा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres of South Kanara District	779
1141.	सामान्य बीमा का प्रशासनिक व्यय	Management Expenses of General Insurance	779—780

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1142.	बैंकों में जमा राशि	Bank Deposits	780—781
1143.	विश्व बैंक के विशेषज्ञों द्वारा भारतीय आर्थिक स्थिति का अध्ययन	Examination of Indian Economic Situation by World Bank Experts	781
1144.	राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से नियत से अधिक धनराशि का लिया जाना	Overdrafts by States on Reserve Bank of India	781
1145.	भुगतान शेष की स्थिति	Balance of Payment Position	781—782
1146.	विकासातिरिक्त खर्च	Non-Development Expenditure	782—783
1147.	विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन के दौरान दिल्ली में विदेशी मुद्रा के अवैध सौदे	Illegal Deal in Foreign Currencies in Delhi during UNCTAD-II	783
1148.	परिवार नियोजन कार्यक्रम में जालसाजी	Family Planning Programme Racket	783—784
1149.	महाराष्ट्र में दीना सिंचाई परियोजना	Dina Irrigation Project in Maharashtra	784
1150.	जल संसाधनों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद	Indo Pak. Dispute over Water Resources	784—785
1151.	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money	785
1152.	दिल्ली में कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा संबन्धी विनियमों का उल्घंन	Vaiolation of Foreign Exchange Regulation by companies in Delhi	785—786
1153.	चिकित्सा कालेजों में स्थान	Seats in Medical Colleges	786—787
1154.	उर्वरकों की बिक्री	Sales of Fertilizers	787—788
1155.	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plant	788
1156.	व्यावसायिक चिकित्सक तथा भौतिक चिकित्सक घोषणापत्र विधेयक	Charter of Occupational Therapist and Physiotherapist Bill	788—789

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1157.	मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil	789
1158.	पंजाब में ताप बिजलीघर की स्थापना	Setting up of Thermal Plant in Punjab	789
1159.	बाल शिक्षा भत्ता	Children Allowances	789—790
1160.	रूमानिया से पैट्रोलियम के उत्पादों का आयात	Import of Petroleum Products from Rumania	790
1161.	दिल्ली के फल व्यापारियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from Fruit Merchants of Delhi	790—791
1162.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए शान्ति दल के व्यक्ति	Peace Corps Men for family Planning programmes	791
1163.	रूसी सहायता प्राप्त परियोजनायें	Russian aided projects	791
1164.	संचारी रोगों का उन्मूलन	Eradication of communicable diseases	791—793
1165.	बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes	793
1166.	राज्यों को सिंचाई के लिए ऋण	Irrigation Loans to States	793
1167.	सन्तति निग्रह के लिए देशी ओषधियों	Indigenous Drugs for Birth Control	793—795
1168.	कैंसर रोग के लिए आयुर्वेदिक इंजेक्शन	Ayurvedic Injection for cancer	795
1169.	आन्ध्र प्रदेश में जाली नोटों का पकड़ा जाना	Fake notes recovered in Andhra Pradesh	795
1170.	अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarship to students of Scheduled Tribes	795
1171.	डालमिया सीमेंट कारखानों द्वारा दिया गया आयकर	Income tax-paid by Dalmia Cement Factories	795—796
1172.	तेनूघाट बोकारो नहर का निर्माण	Construction of Tenughat Bokaro Canal	796
1173.	श्री बीजू पटनायक की कम्पनियों द्वारा की गई अनियमितताएँ	Irregularties committed by Companies belonging to Shri Biju Patnaik	796

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1174.	लागत की प्रभावशालिता के आधार पर मितव्ययिता अभियान	Economy drive based on cost effectiveness	797
1175.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की पर्यवेदक पदालियां	Supervisory cadres of State Bank of India	797
1176.	आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास योजनाएं	Housing Scheme for Rural Areas in Andhra Pradesh	797—798
1177.	पी० फार्म प्रणाली की समाप्ति	Abolition of 'P' Form System	798
1178.	बांध सुरक्षा सेवा	Dam Safety Service	798
1179.	मंगलोर तथा हल्दिया में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants at Mangalore and Haldia	798—799
1180.	रामकृष्णपुरम में एक दुकान खोलने के लिये एक क्वार्टर का दिया जाना	Allotment of a quarter in Ramakrishna-puram to open a shop	799—800
1182.	मध्य प्रदेश में पीने का पानी	Drinking water in Madhya Pradesh	800
1183.	आर्थिक स्थिति	Economic Situation	800
1184.	दिल्ली में शराब की चलती-फिरती दुकानें	Mobile Liquor Bars in Delhi	800—801
1185.	मनीपुर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली स्टाफ नर्सों के लिए भत्ते	Allowances to Staff Nurses working in Manipur Government Hospitals	801
1186.	माही परियोजना	Mahi Project	801—802
1187.	मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारी	Work charged staff of PWD Manipur	802
1188.	विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Visakhapatnam	802—803
1189.	माडल टाउन विकास योजना में सागर	Sagar in Model Town Development Scheme	803
1190.	रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Reserve Bank Employees	803—804

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1191. त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा	Trivandrum Airport	804
1192. जापान से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizer from Japan	804—805
1192क– प्रधान मंत्री द्वारा सम्पदा शुल्क का भुगतान	Payment of Estate Duty by Prime Minister	805
1192–ख पूर्वी यूरोप के देशों से उधार	Credit from East European countries	805—806
1192–ग नई दिल्ली नगरपालिका में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in N.D.M.C.	806
1192–घ कोयना भूकम्प	Koyna Tremor	806—807
पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे चर्चा	Re. Discussion on situation in West Bengal	807
दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में	Re. Teacher's strike in Delhi	807—808
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	808—811
रेलवे आय व्ययक 1968–69 उपस्थापित	Railway Budget 1968-69 Presented	812—825
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	
जम्मू तथा कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक पुरःस्थापित	Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill Introduced	811—812
जम्मू तथा कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अध्यादेश के बारे में विवरण— सभा पटल पर रखा गया	Statement re. Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Ordinance - Laid on the Table	825
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of thanks on the President's Address	825—837
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamad Imam	
श्री प्रेमचन्द्र वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री स्वेल	Shri Swell	
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	
श्री वेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthama	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
श्री कृष्णकुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
कच्छ न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में	Re. Award of Kutch Tribunal	830—834

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 19, फरवरी 1968 / 30 माघ, 1889 (शक)

Monday, 19 February, 1968/ Magha 30, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को डा० कैलाशनाथ काटजू के दुखद निधन की सूचना देनी है। उनका 81 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में 17 फरवरी, 1968 को देहान्त हुआ।

डा० काटजू भारत की संविधान सभा तथा पहली लोक सभा के 1946–1947 तक तथा 1952 से 1957 तक सदस्य रहे थे। वह बड़े देशभक्त और प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की। वह 1951 से 1957 तक केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में गृह-कार्य, विधि और प्रतिरक्षा मंत्री रहे। उससे पूर्व वह उड़ीसा और पश्चिमी बङ्गाल के राज्यपाल रहे। बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के पद पर रहे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को शोक-संवेदना भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आपके साथ हम भी उस महान व्यक्ति के निधन पर शोक प्रकट करते हैं जो प्रसिद्ध वकील, सच्चा देश भक्त, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के पुनर्निर्माण करने वाले कार्यकर्त्ताओं में से एक थे। हमने

उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। स्वतन्त्रता से पहले वह उत्तर प्रदेश की सरकार में थे। बाद में वह एक राज्य के राज्यपाल बने। सबसे अन्त में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के पद को अलंकृत किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सब चाहते थे, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था। उनका 81 वर्ष की आयु में देहान्त हुआ और उन्होंने अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदनायें प्रेषित करें।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं आभारी हूँ कि मुझे इस शोक प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है। मुझे उनके अधीन काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि वह उन व्यक्तियों में से एक थे जो प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलने को तैयार रहते थे, और देश की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने को इच्छुक रहते थे। इस आधार पर उनके लिये कहा जा सकता है कि वह अमर हो गये हैं।

Shri Kanwar lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I associate myself with the sentiments expressed by my predecessors. The void created by the death of Dr. Katju is difficult to be filled. He fought the freedom struggle and after that he worked for reconstruction of free India. The greatest tribute to his memory will be to follow his steps and to safeguard our freedom for which he boldly fought. With these words I myself and on behalf of my party pay heart felt homage to him. His soul may rest in peace.

श्री अंबाजागन (तिरूचेंगोड़) : मैं अपने दल की ओर से महान नेता डा० काटजू के निधन पर शोक प्रकट करता हूँ। वह कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और निपुण राजनीतिज्ञ थे। वह उस पीढ़ी के नेताओं में से एक थे जिन्होंने सम्पूर्ण देश की एकता के लिये कार्य किया। वह ऐसे अवसर पर चल बसे जबकि उनकी सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता थी। मैं दल की ओर से शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : डा० काटजू के निधन के सम्बन्ध में जो संवेदनापूर्ण भाव व्यक्त किये गये हैं, उनमें मैं अपने आप और अपने दल को सम्मिलित करता हूँ। वह वकील होते हुए भी देश सेवा की ओर बढ़े। एक बार उन्होंने उन कैदियों के पक्ष में वकालत की जिन पर मेरठ षडयंत्र मामले के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा था। स्वतन्त्र भारत में वह पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे और वहाँ उन्होंने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। इस सभा में उनके आलोचक बहुत थे, परन्तु कोई उनका शत्रु न था। उनके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वह शिष्टाचार, प्रतिष्ठा, मानवीयता तथा सहृदय मित्रता की मूर्ति थे। उनकी मृत्यु से सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता पैदा हो गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि शोक संतप्त परिवार को आप शोक संदेश भेजें।

Shri Deven Sen (Asansol) : I associate myself and SSP with this motion of condolences. Dr. Katju was very much popular, when he was the Governor in West Bengal. He often invited us for consultation in respect of trade unions matters. He was least concerned as far as the observance of formalities are concerned. I, on behalf of my party, I pay homage to him.

श्री नायनार (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, डा० काटजू के निधन पर इस सभा में जो दुखपूर्ण भाव व्यक्त किये गये हैं, उनमें मैं अपने दल की ओर से सम्मिलित होता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के युग के

बड़े-बड़े नेता एक के बाद एक हमें छोड़ते जा रहे हैं। डा० काटजू भी अब हमें छोड़ गये हैं। वह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। मुझे उनकी विनम्रता तथा निरपेक्षता ने सबसे अधिक प्रभावित किया। उन्होंने सदैव भारत की एकता के लिए प्रयास किया। मैं अपने दल की ओर से शोक संदेश भेजे जाने का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभासद थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हो जाये।

(इसके बाद सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हुए)

(**The Members then stood in silence for a short while**)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loans From Abroad

*121. **Shri Ram Sewak Yadav** : +**Shri Maharaj Singh Bharati**:
Shri Inder J. Malhotra :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries which provide loans to India to make the purchase of their goods against those loans as a condition precedent ;

(b) whether it is also a fact that such goods are purchased at prices one and a half to two times more than the international prices ;

(c) whether it is a fact that as a result of the above position, investment of capital and the cost of maintenance are higher in the public sector undertakings resulting in their losses ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to offset the losses resulting thereby ?

Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) A statement is given below.

(b) No, Sir.

(c) Although it may generally be said that purchases of goods against tied loans cost more than purchases against untied loans. It is not possible to infer that losses in public sector undertakings arise out of purchases against tied loans.

(d) Government, being aware of the higher costs of purchases against tied loans, have been pressing for the removal of restrictions on the use of loans, on every possible occasion.

Statement

1. Austria
2. Belgium
3. Canada[1]
4. France
5. West Germany[2]
6. Italy

7. Japan
8. Netherlands
9. U.K.
10. U. S. A. [3]
11. Denmark
12. Sweden [4]
13. Switzerland
14. Czecholslovakia
15. Poland
16. U. S. S. R.
17. Yugoslavia
18. Hungary
19. Bulgaria

---

1. In special cases, permits financing of imports of components from non-Canadian sources, for incorporation in Canadian equipment.

2. In 1967-68, gave an amount of $7.5 million, without restrictions of purchase within West Germany.

3. In the past (before 1961-62), was extending loans permitting purchases outside USA.

4. During 1966-67, extended a loan of $6.64 million without restrictions of purchase within Sweden.

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, the hon. Minister has admitted that we have to pay more cost for the machinery purchased against the tied loans. May I know whether Government have ever tried to take such loans from those countries, which are prepared to supply the machinery at lower rates and it can be found out by inviting quotations from abroad ?

Shri Morarji Desai : Success does not accrue from such efforts. Every country is not prepared to give such loans. Secondly it is not right to say that we pay more cost at each time. There are some countries, where costs of the goods are higher by 10% to 20% and we have to pay more to them. We cannot ask loans from any country we like. While giving loans donor countries keep the mutual relations in view.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know the names of the countries to which we have to pay more costs for the goods purchased against the tied loans ?

Shri Morarji Desai : It cannot be said that every thing is dearer in any particular country. So it is difficult to give names of such countries.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : माल की खरीदारी के लिये नियम यह है कि विदेशों से टेन्डर मंगाये जांय । क्या सशर्त ऋण के मामले में इस प्रक्रिया को त्याग दिया जाता है । क्या ऐसे ऋण लेते समय सरकार यह सावधानी बरतती है कि उन्हीं देशों से ऋण लिया जाये जहाँ मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक ऊँचे न हों ?

श्री मोरारजी देसाई : सशर्त सहायता के मामले में विदेशों से टेन्डर मांगना सम्भव नहीं होता। दूसरे यदि टेन्डर मांग भी लिये जायें तो उनकी उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि सामान तो उससे ही खरीदना है जिसने ऋण दिया है । जहाँ तक सम्भव होता है हम मूल्यों की तुलना करते हैं । परन्तु सब वस्तुओं के मूल्य की तुलना नहीं की जा

सकती, क्योंकि कुछ वस्तुयें ऐसी होती हैं, जो किसी एक देश में ही उपलब्ध होती है। अतः मूल्यों की तुलना करने की गुंजाइश भी सीमित है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : हम उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है जैसे एक भिखारी होता है जो अपनी पसन्द की वस्तु भीख में नहीं मांग सकता। उपरोक्त देशों में से कुछ ने बिना शर्त ऋण देने की बात समय-समय पर मान ली थी, परन्तु हमने उस ऋण का सदुपयोग नहीं किया और उस दृष्टि से बदनाम हुये। इससे रुष्ट होकर ऋणदाता देशों ने बिना शर्त के ऋण देने बन्द कर दिये और सशर्त ऋण देने लगे। क्या यह सच नहीं है?

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय सदस्य की बात का खंडन करता हूँ। इस मामले में भिखारी होने का कोई प्रश्न नहीं है। जब हम ऋणदाताओं के पास जाते हैं तो वे पारस्परिक हितों को देखकर ऋण देते हैं। शर्तहीन ऋण केवल विश्व बैंक से उपलब्ध होते हैं या एक दो अन्य देश छोटी-छोटी राशि का ऐसा ऋण देते हैं। कुछ समय पहले अमरीका से ऐसे ऋण मिलते थे।

सशर्त ऋण के अधीन जो वस्तुएँ खरीदी जाती हैं उनके मूल्य के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार समझौते किये जाते हैं, जैसे सामान्य रूप से खरीदारी करते समय किये जाते हैं। ऋण लेना और उससे वस्तुएँ खरीदना हमारी इच्छा पर निर्भर है परन्तु हम ऐसी स्थिति में है कि इस प्रकार के कुछ निर्णय करने ही पड़ते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : बिना शर्त वाले ऋण के पूर्ण रूप से उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर नहीं मिला।

श्री मोरारजी देसाई : ऋण के अनुपयोग के बारे में एक गलत फहमी हो गई है। कुछ सहायता-ऋण इस प्रकार के होते हैं जो परियोजनाओं के निर्माण के लिये दिये जाते हैं। जैसे-जैसे निर्माण कार्य प्रगति करता जाता है तैसे-तैसे सहायता राशि का उपयोग किया जाता है। यदि परियोजना चार या पाँच वर्ष में पूरी होने वाली है तो ऋण की राशि का उपयोग भी चार या पाँच वर्ष की अवधि में किया जायेगा। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है कि सहायता राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : स्वयं सरकार ने अपने प्रतिवेदन में इसे माना है।

श्री मोरारजी देसाई : जो बात स्वीकार कर ली गई है वह बता दी है। यदि माननीय सदस्य इसका कुछ और अर्थ निकालना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री दामानी : इन ऋणों के अन्तर्गत कौन-सी चीजें खरीदी जाती हैं? जो यहां निर्माण होती हैं उन्हें ऐसी मदों में शामिल न करना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोरारजी देसाई : जो सामान यहां निर्माण होता है उन्हें बाहर से नहीं खरीदा जाता। इस कारण उनका इन मदों में शामिल होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री पाशाभाई पटेल : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कई बार विदेशी धन के कारण

भारतीय उद्योगों के विरुद्ध हम सामान खरीदते हैं अर्थात् वह सामान हम बाहर से खरीदते हैं जो भारत में मिल सकता है, क्योंकि ऋण मिल जाता है तथा विदेशी मुद्रा मिल जाती है ?

श्री मोरारजी देसाई : कई बार परिस्थितियों के कारण ऐसा हो जाता है परन्तु हम इसे बिलकुल समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या वित्त मंत्री ने यह पूरी तरह जांच कर ली है कि वे देश भी जो हमें ऋण देते हैं अपनी वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बेचें तथा जब हम उन्हें अपना माल बेचें तो हम भी उनसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लें ?

श्री मोरारजी देसाई : हमारे द्वारा अधिक मूल्यों पर चीज बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि खुले बाजार से वह सामान खरीदते हैं। कुछ देशों में सरकार व्यापार अपने हाथ में रखती है। परन्तु उन्हें हम कोई सहायता दे ही नहीं रहे हैं। सहायता का अर्थ भीख माँगना नहीं है क्योंकि जो सहायता देते हैं उन्हें भी ऐसा करने में लाभ होता है।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार को पता है कि स्वर्गीय श्री डलेस ने कहा था कि भारत को ऋण देने के मामले में छोटी शर्तें नहीं बल्कि बहुत बड़ी शर्तें लगी हुई हैं।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी शर्तें नहीं हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक व्यक्ति पर भारत में कितना ऋण है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके लिये मुझे अलग नोटिस चाहिये।

अमरीका के जाली डालरों की तस्करी

*123 **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **+श्री रमानी :**
श्री अब्राहम : **श्री गणेश घोष :**
श्री एस ेस : **श्री नम्बियार :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री लोबो प्रभु :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1968 के 'पेट्रियेट' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक भारतीय बैंक का कर्मचारी अमरीका के जाली डालरों की तस्करी से सम्बन्धित था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पता लगा लिया गया है कि उस कर्मचारी का नाम क्या है तथा वह बैंक कौन सा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र में दी गयी सूचना में न तो बैंक की ओर न कर्मचारी की ही पहचान दी गयी है। सरकार के पास इससे अधिक अन्य कोई सूचना नहीं है।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या सरकार ने इन अमरीकी व्यापारियों का पता लगाया हैं जो बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से जाली नोटों की तस्करी करते हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सरकार ने कोई जांच नहीं की है क्योंकि समाचारों के अनुसार 75 करोड़ रु० की तस्करी बताते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या सरकार को पता है कि जो अमरीकी बैंक यहां कार्य कर रहे हैं वह भी इस संगठित चालबाजी में शामिल हैं और यदि हां, तो उसे रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सत्य नहीं है । हम विभागीय जांच करते हैं ।

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या यह सच है कि भारत में डालरों की चोरबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और यदि हां, तो उसे रोकने के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं हो रही है । विदेशी नोट जो 1967 में पकड़े गये थे वह 2104 डालर तथा 3180 पौंड के मूल्य के थे ।

श्री मुहम्मद इमाम : यह जाली नोट अमरीका या भारत में बने हैं । क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया हैं कि किस स्थान पर यह बने हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वर्ष 1967 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में नोट बनाने का ब्लाक पकड़ा जिससे अमरीकी डालर बनाये जाते थे अन्य स्थानों का मुझे पता नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is Government aware that dollars are sold in India in the black market and are sold in high price and if so, what action is being taken by Government to to prevent it ?

Shri K. C. Pant : It is a major question and we are considering it.

Shri Ram Gopal Shalwale : I want to know why no enquiry has been conducted as yet about the smugglers of gold in India ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री लोबो प्रभु : क्या सरकार को पता है कि इन डालरों की तस्करी किस प्रकार हो रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक सामान्य प्रश्न है । भारत में डालरों के आने का प्रश्न ही कहां है ?

राजनयिक दूतावासों द्वारा डाक द्वारा तस्करी

+

*124. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री पी० राम मूर्ति : **श्री विश्वनाथ मेनन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 जनवरी, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने सफदरजंग पत्र छंटनी कार्यालय में विदेशी दूतावासों की मुहर वाला एक रजिस्ट्री लिफाफा पकड़ा था जिसमें विदेशी मुद्रा की काफी राशि थी ;

(ख) यदि हां, तो इस लिफाफे पर किस विदेशी दूतावास की मुहर थी तथा उसमें कुल कितनी धनराशि थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में संबन्धित विदेशी दूतावास से बातचीत की है ; और

(घ) सरकार ने विदेशी दूतावासों द्वारा तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी हां । दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 29 नवम्बर 1967 को नई दिल्ली के सफदरजंग पत्र-छंटनी कार्यालय में एक रजिस्टर्ड लिफाफे को रोका जिसमें कुल 4,715 पौंड, 4 शिलिंग 10 पेंस को रकम के दो बैंक ड्राफ्ट पाये गये । लिफाफे पर दूतावास की मुहर नहीं लगी थी लेकिन उसपर 'रायल अफगान एम्बेसी' का अधिचिह्न छपा हुआ था ।

(ग) इस मामले पर विदेशी मिशन के साथ बात-चीत नहीं हुई है क्योंकि अब तक की गई जांच-पड़ताल से ऐसा प्रकट नहीं हुआ है कि मिशन का इस मामले से सम्बन्ध था ।

(घ) विदेशी मिशनों द्वारा तस्करी करने के यदि कोई मामले हों तो, उन्हें रोकने के लिये कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये गये हैं । तस्कर आयात–निर्यात से सभी प्रकार के मामलों को रोकने के सामान्य निरोधक उपायों को पर्याप्त समझा जाता है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या सरकार को पता है कि कुछ दूतावास अपने दूतावासों की कारों की प्लेटों का प्रयोग करके तस्करी करते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब भी कोई ऐसा मामला हमारी दृष्टि में आता है हम उसकी जांच करते हैं । परन्तु ऐसी कोई आम शिकायत नहीं है।

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या सरकार को पता है कि अमरीकी दूतावास में एक दूकान पर वहाँ के कर्मचारियों को बिना शुल्क वस्तुएं बिकती हैं जहाँ से वह बाहर अधिक मूल्यों पर बिकती हैं। सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : दूतावास में दूकान पर बिना शुल्क चीजें, बेचने की प्रथा कई देशों में तथा उनके दूतावासों में प्रचलित है । परन्तु यदि आप कोई विशेष मामला हमारे सामने लायें तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री म० ला० सोंधी : भारत में कोई भी व्यक्ति पाश्चमिक दूत के भेस में तथा मोटर गाड़ी में सी० डी० लगा कर इस प्रकार कोई भी गड़बड़ कर सकता है। क्या सरकार विदेशियों को जो बाहर से धन प्राप्त होता है उसकी जांच करती है ताकि यह पता चल सके कि जिस महीने में कम रकम प्राप्त हो तो इसका अर्थ यह है कि वह धन यहीं से गड़बड़ करके प्राप्त किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मुझे इसके लिये नोटिस चाहिये ।

भारत सेवक समाज को अनुदान

*125. **ज्योतिर्मय बसु** :

क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को उसके स्थापित होने से लेकर अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ; और

(ख) दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर इसको कुल कितने मूल्य की भूमि तथा संपत्ति दी गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) तथा (ख) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Shri Kunwar Lal Gupta : It is a big scandle and something must be done to save it.

Shri Gunanand Thakur : A big scandle is going on in the name of Bharat Savak Samaj.

Shri Hukam Chand Kachwai : This question was raised twenty one days before, then what are reasons for not getting the complete information ? The question must be replied.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में संसद का ध्यान न केवल इस सत्र बल्कि इससे पहले सत्र में बहुत समय से आकर्षित किया जा रहा है । फिर भी यही कहा जा रहा है कि इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है । इस सम्बन्ध में जांच पूरी हो जाने दीजिये ।

श्रीमती फूलरेणु गुह : प्रश्न के (ख) भाग में पूछा गया है :

" दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर समाज को कुल कितने मूल्य की भूमि तथा सम्पत्ति दी गई है ।"

दिल्ली के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना आसान है, परन्तु अन्य स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने में समय लगता है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप हमें दिल्ली के सम्बन्ध में ही कुछ जानकारी दें ।

श्रीमती फूलरेणु गुह : अन्य स्थानों पर सरकारी भूमि और सम्पत्ति की कीमत के सम्बन्ध में हमने जानकारी मांगी है । हमें अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (क) का क्या उत्तर है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : इसके सम्बन्ध में भी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री हनुमन्तय्या : यह सामान्य मामला नहीं है । सदस्यों को सरकारी व्यय के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हें कुछ समय और दिया जाना चाहिये या सभा को जानकारी न देने के लिये सम्बद्ध मंत्री की निन्दा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को स्थगित करता हूँ । यह केवल एक दल का प्रश्न नहीं है । कांग्रेस दल भी इस सम्बन्ध में असंतुष्ट है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संसदीय समिति

*128. श्री सिद्दय्या : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1967 में संसद् में संसदीय समिति गठित करने के बारे में जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) तथा (घ) यह मामला विचाराधीन है ।

श्री सिद्दया : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में सभा को यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्य-सभा के सभापति के परामर्श से संसदीय समिति का गठन किया जायेगा । क्या मंत्री महोदय ने समिति के गठन के सम्बन्ध में लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्य-सभा के सभापति से परामर्श कर लिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : माननीय सदस्य को यह विदित है कि मेरे सहयोगी और मैं इस मामले पर उनसे तथा इस सदन के तथा द्वितीय सदन के अन्य सदस्यों से परामर्श कर रहे हैं । माननीय सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे और उसमें बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हमें इस विषय पर और चर्चा करनी चाहिये । हमारी एक और बैठक हो रही है ।

श्री सिद्दया : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से क्या आयुक्त को अधिक अधिकार देने या उच्च अधिकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ताकि समिति इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर सके ?

अशोक मेहता : इस मामले में बहुत कठिनाइयां हैं अतः इस को ध्यानपूर्वक हल करना होगा । शुक्रवार को हुई बैठक में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की जा चुकी है ।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether it is a fact that the Commissioner appointed for the protection of Scheduled castes and Scheduled castes Tribes has not got the sufficient staff to investigate these complaints ? Will Government provide some facilites so that it may be useful.

Shri Asoka Mehta : The Commissioner has got the necessary staff. Besides this, the staff of Director General of Welfare and Backward Class is also utilised for the purpose.

अमरीका से मंगवाये जाने वाले खाद्यान्न की कीमत का भुगतान

*129. श्री स० कु० तापड़िया : श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने भारत को भेजे जाने वाले खाद्यान्न की कीमत का कुछ भाग डालरों में बसूल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका भुगतान शेष स्थिति पर, विशेषकर, चालू वित्तीय वर्ष में कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जून, 1967 से किये गये पब्लिक लॉ 480 से सम्बन्धित करारों के अनुसार, भारत आने वाले अन्न के लगभग 80 प्रतिशत भाग का मूल्य रुपयों में चुकाता है और बाकी 20 प्रतिशत अन्न, लम्बे अरसे के ऐसे ऋणों के आधार पर लेता है जिनकी अदायगी परिवर्तनीय मुद्रा में की जा सकती है । इस ऋण को 31 सालाना किस्तों में अदा किया जा सकता है, जिनकी शुरुआत अन्न आने के दस वर्ष बाद होती है ।

(ग) चुंकि चालू वर्ष में न तो ब्याज की और न मूल रकम की अदायगी की जानी है, इसलिए चालू वित्त वर्ष में, शोधन-संतुलन की स्थिति पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा ।

श्री स० कु० तापड़िया : ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रक्रिया पहले चलती आ रही है वह अभी भी लालू है । उन्होंने बताया है कि 80 प्रतिशत मुद्रा का रुपयों में और 20 प्रतिशत परिवर्तनीय मुद्रा में होता है । चालू वर्ष में कितने खाद्यान्न का आयात किया जायेगा और इस वर्ष आयात किये गये खाद्यान्न का डालर में कितना भुगतान किया जायेगा ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जो कुछ इस वर्ष आयात किया जायेगा उसकी कीमत की अदायगी इस वर्ष न की जाकर अगले वर्ष से की जायेगी ।

श्री स० कु० तापड़िया : इसकी कीमत क्या होगी ?

श्री मोरारजी देसाई : जैसा 24 जून, 1967 को संशोधित किया गया है इसकी कीमत 242 लाख डालर होगी । जो स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनीय होगी । आयात किये गये खाद्यान्नों की कीमत 877 लाख डालर होगी । कुल कीमत 1120 लाख डालर होगी । 20 फरवरी, 1967 के पी० एल० 480 के समझौते के अन्तर्गत इसकी कीमत 1350 लाख रुपये में होगी ; 12 सितम्बर, 1967 के संशोधन के अनुसार इसकी कुल कीमत 865 लाख रुपये है जो स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनीय है और रुपयों में 675 लाख है । 30 दिसम्बर, 1967 के संशोधन के अनुसार कुल कीमत 2500 लाख डालर, 469 लाख डालर स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनीय है और 1686 लाख रुपये स्थानीय मुद्रा में ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि हमने लगभग अपने समस्त देश को गेहूँ के आयात करने के लिये रहन रख दिया है । खाद्य मंत्री के द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष फसल अच्छी है तो क्या इस वर्ष हम अपने आयात में कमी करेंगे, यदि हां, तो किस सीमा तक ।

श्री मोरारजी देसाई : देश को रहन रखने का कोई प्रश्न नहीं है । देश की कठिनाइयों का हमें ध्यान रखना होता है । इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम आयात किया जायेगा । अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि हमें कितना खाद्यान्न प्राप्त होगा । मेरे विचार से वह 70 लाख मीटरिक टन से अधिक नहीं होगा ।

श्री दमानी : क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत हस्ताक्षर किये गये करार में रूई का आयात भी शामिल है। यदि हां, तो क्या स्थानीय मंडी में रूई के भाव में कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रूई के आयात में कमी करने का है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके अन्तर्गत सब कृषि वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। रूई का आयात किया जाना या न किया जाना हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीका द्वारा हमारे देश में छोड़ी जाने वाली वास्तविक राशि क्या है ? दूसरे, क्या वे इसे मांग पर हमें देना चाहते हैं और क्या हमें इस राशि का भुगतान करने में समर्थन होंगे ? मुझे याद है कि एक बार वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि वे शीघ्र धनराशि के भुगतान की मांग करें तो हम उसका भुगतान नहीं कर पायेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : इसका एकदम भुगतान करने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने बताया इसका भुगतान 40 वर्षों या अधिक समय में वार्षिक किस्तों में करना होता है।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether the Government is aware that a portion of the payment made under P.L. 480 is being made to the American Embassy in India and that is being used for subversive purposes and whether it results in deficit financing.

श्री मोरारजी देसाई : इस सम्बन्ध में यहां एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इसमें उपस्थित बहुत से व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इससे डेफिसिट फाइनेन्सिंग नहीं होती। सम्भव है बहुत से व्यक्ति ऐसे हों जिनके विचार इससे भिन्न हों। इससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं होती। इसका कुछ भाग अमरीकन दूतावास को अपने यहां के खर्च के लिये दिया जाता है। जिसके लिए हम सहमत हो गए हैं। वे इसका उचित प्रयोजन के लिये प्रयोग करते हैं; मुझे विश्वास है कि इसका गलत तरीके के व्यय नहीं किया गया है।

श्री वेद व्रत बरुआ : क्या यह सच है कि हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत तम्बाकू का आयात कर रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जी नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : गृह-कार्य मन्त्री तथा उनके अन्य सहयोगियों ने इस सभा को बराबर आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है कि इन धनराशियों का अमरीकी दूतावास राजनीतिक प्रयोजनों जैसे चुनावों इत्यादि के लिये प्रयोग कर रहा है अथवा नहीं। हम जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्व वित्त मन्त्री यह कैसे वक्तव्य दे सकते हैं कि उन्हें विश्वास है कि वह धनराशि ऐसे किसी प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं की जा रही ?

श्री मोरारजी देसाई : क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी ही सम्बन्ध में हो रही जांच के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि यह जांच कर ली गई है कि पी० एल० 480 धनराशि का किसी और प्रयोजन के लिये प्रयोग नहीं किया जा रहा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या हम जांच के परिणामों को नहीं जान सकते ?

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न विषय है ।

श्री देवकी नन्दन पारोदिया : पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूँ का मूल्य आस्ट्रेलिया और अन्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में कितना है । दूसरे, पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो भी हम आयात करते हैं उसका भाड़ा डालर में दिया जाता है और वह भाड़ा अन्य जहाज कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले भाड़े की तुलना में अधिक है । कुल आयात की लागत पर कितने प्रतिशत भाड़ा दिया जाता है और क्या यह भाड़ा विश्व की दूसरी जहाज कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले भाड़ों की तुलना में अधिक है ।

श्री नायनार : यह बताया गया है कि इस वर्ष 950 लाख टन की भारी फसल हुई है । यदि यह सच है तो हमारे उप-मन्त्री ने अमरीका सरकार से 60 लाख टन गेहूँ के आयात किये जाने का करार क्यों किया ? यद्यपि हमारे खाद्य मन्त्री ने यह सूचित किया है कि हमें इस वर्ष 70 लाख टन गेहूँ के आयात किये जाने की सम्भावना है, परन्तु समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुये हैं कि वियतनाम के युद्ध के कारण अमरीका इस स्थिति में नहीं है कि वह 70 लाख टन गेहूँ का निर्यात कर सके । यदि इस वर्ष 950 लाख टन की बड़ी अच्छी फसल होने की सम्भावना है तो पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की क्या आवश्यकता है ? क्या इसे बन्द नहीं कर सकते ?

श्री मोरारजी देसाई : चूंकि हमें भारी मात्रा में स्टाक जमा करना है अतः हमें खाद्यान्नों का इस वर्ष आयात करना पड़ेगा ।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें यह जानकारी थी कि अमरीकी दूतावास में दी जाने वाली भार-मुद्रा के व्यय किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । यदि यह सच है, तो भूतपूर्व वित्त मन्त्री का वक्तव्य वर्तमान वित्त मंत्री के वक्तव्य से किस प्रकार मेल खाता है ।

श्री मोरारजी देसाई : जब वक्तव्य मेरे सामने नहीं हैं तो उस सम्बन्ध में मैं कैसे बता सकता हूँ ।

Shri Kunwar Lal Gupta : The Hon. Minister informed the house that the money concerning P.L. 480 is spent properly. May I know whether Government has conducted any enqiury in the matter that the U. S. Embassy Staff is not misusing the money received under P.L.-480, who has conducted the inquiry and the result of the enqurires ?

Shri Morarji Desai : It is not proper to disclose the name of the person who has conducted the enquiry and where.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether enquiry has been conducted ?

Shri Morarji Desai : Yes, Sir.

कोयना में भूकम्प पीड़ितों का पुनर्वास

*131. श्री रणधीर सिंह: +श्री देवराव पाटिल:
श्री शिव चन्द्र झा : श्री न० कु० सालवे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना में आये भूकम्प पीड़ितों को स्थायी रूप से बसाने में केन्द्रीय सरकार ने किस रूप में सहायता दी है; और

(ख) महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने उसे कितना धन दिया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दैवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को फिर बसाने की जिम्मेदारी, मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर है। जिन लोगों को कोयना-भूकम्प से नुकसान पहुँचा है, उन्हें स्थायी रूप से फिर बसाने में, भारत सरकार, कुछ इमारती सामान और वित्तीय सहायता देकर, महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रही है ।

(ख) राज्य सरकार का अनुमान है कि पीड़ितों को फिर बसाने के स्थायी उपायों पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा और उसके आधार पर उन्होंने केन्द्र से 10 करोड़ रुपये ऋण मांगा है। अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 3 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी । 1 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर कर दिया गया है और वास्तविक व्यय की स्थिति तथा राज्य सरकार की वित्तीय हालत पर विचार करने के बाद और ज्यादा सहायता देने के सवाल पर गौर किया जायगा ।

Shri Deorao Patil : May I know whether the Central Government considers this earthquake as national calamity. What is the percentage of Central grant arranged for permanent rehabilitating to these sufferers ?

Shri Krishna Chandra Pant : We have given it the importance of national calamity and that is why we have sent some officers to Maharashtra. They have discussion with the Maharashtra Government. The present assisitance is being given on the basis of the present discussion.

Shri Deorao Patil : I want to know the percentage of Central Grant.

Shri K. C. Pant : The State Government has asked for 10 crore rupees in the form of loan. 30 lakh rupees are expected to be spent this year.

A loan of one crore rupees has already been sanctioned. But we are examining the situation and the discussion is in progress. it is is felt necessary we will consider to give some more assistance.

Shri Shiv Chandra Jha : What benefits have been provided to them till they are rehabilated permanently.

Shri K.C.Pant : Centre has supplied two thousand tons of foodgrains and two thousand five hundred tents as a measure of temporary and immediate relief. We have also supplied fifty four thousand Kilograms of milk powder. Besides this we have also supplied iron sheets for constructing houses. We have also supplied five thousand tons of foodgrains afterwards.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether there has been any distribution family wise ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रत्येक परिवार को दिये जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : महाराष्ट्र राज्य को दिए जाने वाला 10 करोड़ रुपये का ऋण कब तक उस राज्य को दे दिया जायेगा । यदि वह 1 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया जायेगा तो क्या केन्द्रीय सरकार इन पीड़ित व्यक्तियों को बसाने के लिये 10 वर्ष लेगी ? यदि समय पर ऋण नहीं दिया गया तो जिन लोगों के घर भूकम्प से बरबाद हो गए हैं उनके लिये यह ऋण बेकार साबित होगा । ऋण को देने के लिये विलम्बकारी और दीर्घकालीन योजना बनाने से कोई लाभ नहीं ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य को विदित है कि इस वर्ष का केवल $1\frac{1}{2}$ महीना बाकी रह गया है और इससे अधिक धन प्रयोग नहीं किया जा सकता । वह धनराशि समय पर दी जायेगी और उसे देने में कई वर्ष नहीं लगेंगे ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पुनर्वास के लिये दिलीय सहायता दे रही है । क्या माननीय वित्त मन्त्री यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार को गणतन्त्र दिवस पर गोहाटी में हुए दंगे में पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । इसका बाढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न इसलिए उठा कि आसाम सरकार ने सहायता नहीं की और ये सहायता आसाम सरकार द्वारा की जानी थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रम

*122. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगी हुई पूंजी के अनुरूप उनमें मुनाफा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके द्वारा उन सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी जिनका कार्य एक निश्चित स्तर से घटिया होगा; और

(ग) इन उपक्रमों में कार्य-संचालन में सुधार करने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (ग) इस प्रश्न के सम्बन्ध में सामान्य रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं हैं; कुछ प्रतिष्ठानों का कार्य संतोषजनक रहा है, जबकि कुछ अन्य प्रतिष्ठानों की नहीं।

प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों के कार्य पर सरकार द्वारा बराबर विचार किया जाता रहा है और उपयुक्त प्रबन्ध कर्मचारियों की व्यवस्था करने, प्रायोजना-रिपोर्टों को और भी अच्छी तरह से तैयार करने और उन रिपोर्टों की जाँच-पड़ताल करने, और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के काम की निश्चित अवधियों के बाद समीक्षा करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई सुझाव दिये हैं जिन पर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Legalisation of Abortion

*127. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to enact legislation for legalising abortion during the current Session of Parliament ;

(b) whether it is also a fact that women at various meetings have passed resolutions against it, as it would have adverse effects on health and morality ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Plannin and Urban Development (Dr. S. Chandarsekhar): (a) A bill for liberalising the present law on abortion is proposed to be introduced either during the current or the next Session of Parliament.

(b) and (c) Resolutions both in favour of and against the porposal have been received from the various women's organisations and they have been duly taken into consideration.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यार्ड से विस्थापित परिवार

*130. **श्री यशपाल सिंह** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 के महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यार्ड से हजारों परिवारों को नांगलोई स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि वहाँ गृहहीन व्यक्तियों के लिये टैन्टों तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो ठंड तथा वर्षा के परिणामस्वरूप नांगलोई में कितने व्यक्तियों की मृत्यु स्थानान्तरण के समय हो गई थी; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत 26 तथा 27 नवम्बर, 1967 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

के निकट केला गोदाम क्षेत्र में लगभग 18,000 व्यक्तियों के रहने की लगभग 4,000 अनधिकृत झुग्गियाँ गिराई गई थीं। लगभग 1,500 पात्र अनधिवासी परिवारों को अर्थात उनको जिन्होंने कि सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर, जुलाई, 1960 से अनधिवास किया था, नजफगढ़ रोड पर नियमित झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में वैकल्पिक वास दिया गया था। शेष अपात्र परिवार जो कि योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सुविधा के अधिकारी नहीं थे, नांगलोई तथा हस्तसल इन दो स्थानों को भेज दिये गये थे। इन स्थानों पर पानी, सामुदायिक शौचालय खण्ड आदि जैसी समुचित नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गयी थी। मेडिकल रिलीफ देने के लिए एम्बुलेंस वैन नियुक्त कर दी गई थी। नांगलोई में एक नियमित डिस्पेंसरी भी है। वर्षा और ठंड से बचाने के लिये दोनों स्थानों पर उचित मात्रा में शामियाने तथा टेन्ट भी लगा दिए गए थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान वर्षा तथा ठंड के परिणाम स्वरूप नांगलोई में किसी व्यक्ति के मरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

Change of Financial Year

132. **Shri Baswant :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Deiveekan :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the administative Reforms Commission has suggested that the financial year should commence on the Ist November instead of Ist April ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant):

(a) Yes, Sir.

(b) The recommendation is under examination and it may take some time before a decision is taken.

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

*133. श्री ब० कृ० दासचौधरी: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया, बरौनी, गोहाटी, बड़ौदा और कोचीन में प्रत्येक का पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन स्थानों में किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन स्थानों पर पहले से कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हां, गोहाटी और कोचीन को छोड़कर।

(ख) बड़ौदा में, एक नैफ्था क्रैकर (भंजक) और एक सुगन्धि परियोजना, जिसमें जाइलीन (xylenes) का निस्सारण और डी० एम० टी० का उत्पादन सम्मिलित हैं, सरकारी

क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। पी० वी० सी०, पी० वी० ए० एक्रीलोनिट्राइल; सिन्थेटिक रबर पौलीथिलीन इत्यादि के उत्पादन के लिए नैफ्था क्रैकर पर आधारित डाउन-स्ट्रीम यूनिटें भी होंगी ; ये निजी क्षेत्र में होंगी। निजी क्षेत्र में एक कैप्रोलैक्टम् यूनिट भी होगा।

बरौनी में, एक सुगन्धि परियोजना, जिसमें वेन्जीन टोलूईन और जाइलीन निस्सारण सम्मिलित है, स्थापित की जायेगी। पेट्रो-रसायन कार्यकारी दल ने हल्दिया काम्प्लेक्स के लिए जिस योजना की सिफारिश की है, उनमें लगभग बड़ौदा (काम्प्लेक्स) के समान एक नेफ्था क्रैकर और कुछ डाउनस्ट्रीम यूनिट है।

(ग) उक्त लिखित कोई भी उद्योग अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*134. श्री बाल गोविन्द वर्मा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अटल विहारी वाजपेयी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री अब्राहम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द० रा० परमार :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों की मांगों के संबन्ध में विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ (पंजीकृत) की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) और, (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 115/68]

जल दूषण के खतरे के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन

*135. श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री वीवीकन :
श्री रामभद्रन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जल दूषण के खतरे के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह):

(क) और (ख) जल दूषण के खतरे के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के किसी प्रतिवेदन की भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। वैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट-माला की 318वीं रिपोर्ट के रूप में 1966 में 'वाटर पौलुशन कन्ट्रोल' शीर्षक से एक किताब छपी थी जो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जल दूषण के प्रभाव, नदियों में मिलने से पूर्व दोषक द्रव्यों के शोधन की विधियां, नदियों तथा उतस्रावों की किस्म का निर्धारण तथा दूषण नियंत्रण से संबंधित कानून दिये हुए हैं।

(ग) जल दूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव पहले से ही भारत सरकार के विचाराधीन है।

रेलों के माध्यम से परिवार नियोजन अभियान

* 136. श्री हेम बरुआ : क्या स्वास्थ्य. परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने परिवार नियोजन अभियान को लोक-प्रिय बनाने के लिये रेलवे विभाग से अनुरोध किया है कि गर्भ निरोध के लिए रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों के डिब्बों पर लाल त्रिकोण प्रदर्शित किया जाये।

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने इस अनुरोध को मनाने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पहिली बात यह है कि रेलवे मन्त्रालय परिवार नियोजन संदेश को भाप इंजिनों के टैण्डरों पर, तीसरी श्रेणी के डिब्बों में, रेलवे स्टेशनों पर और रेलवे क्रासिंग की गुमटियों की दीवारों पर प्रदर्शित करने में सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया का उपचार

* 137. श्री रवि राय : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1968 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की स्थिति की जांच करने वाले विशेषज्ञों के दल ने एक निष्कर्ष यह निकाला है कि डा०

राम मनोहर लोहिया की शल्य क्रिया (आप्रेशन) असामान्य ढंग से की गई थी और उपकरणों को अच्छी तरह कीटाणुरहित नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) और (ख) इस समिति के निर्देश-पदों में स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया की चिकित्सा के विषय में जांच करने की बात शामिल नहीं थी। इसके अतिरिक्त समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट को भी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि

*138. श्री नायनार: श्री एस्थोस:
श्री रमानी: श्री गणेश घोष:

क्या वित्त मन्त्री 21 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की समिति ने 400 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रश्न पर इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) समिति में इस बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं किन्तु अभी तक अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया है। रिपोर्ट पेश करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

ऋण सहायता

*139. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: श्री दामानी:
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: श्री रा० बरूआ:
श्री नारायण रेड्डी:

क्या वित्त मन्त्री 30 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक तथा भारत सहायता सार्थ-संघ ने भारत को ऋण सहायता देने के प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं। इस प्रश्न पर अगले कुछ महीनों में फिर विचार किये जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक होटल (नई दिल्ली) में रिवाल्विंग टावर तथा रेस्तरां

*140. श्री काशीनाथ पांडे : श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल, नई दिल्ली में रिवाल्विंग टावर तथा रेस्तरां बन कर पूरे हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) और (ख) टावर अभी भी निर्माणाधीन है तथा बेसमेंट से आरंभ करके इसमें 15 मंजिलें होंगी। प्रथम दो मंजिलें (बेसमेंट तथा ग्राउन्ड) स्टोर के लिए उपयोग में आयेंगी; इसके बाद की दस मंजिलों में मेहमानों के लिए दस विशेष रिहायशी कमरे (सूइट्स) होंगे; तेरहवीं मंजिल में रसोई (किचन एंड पैन्ट्री) होगी, चौदहवीं मंजिल का उपयोग एक लाउंज के रूप में किया जायेगा तथा पंद्रहवीं मंजिल में रेस्तरां होगा। रेस्तरां का व्यास 80 फुट होगा तथा केवल उसका 12 फुट चौड़ा बाहरी घेरा, जिसमें 250 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होगा, घूमने वाला होगा। न घूमने वाले भाग में लेनदेन तथा सेवा का काउंटर (सर्विस कम कैशियर काउंटर) टेलीफोन के बूथ तथा अन्य सेवा सुविधायें होंगी। रेस्तरां के न घूमने वाले भाग के ऊपर लिफ्टों के लिए मशीन रूम होगा तथा उसके चारों ओर एक ऐसा विचरण स्थल (प्रोमैंन्डा) होगा जिससे ग्राहक शहर को चारों ओर से देख सकेंगे।

अभी तक निर्माण पर लगभग 6 लाख रुपया खर्च हो चुका है। घुमाने वाली मशीन का मूल्य चार लाख रुपये है।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्यवस्थागत परिवर्तनों के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाले दल का प्रतिवेदन

*141. श्री एस्थोस : श्री रमानी :
श्री भगवान दास : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्यवस्थागत परिवर्तनों की संभावना के अध्ययन के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां ।

(ख) निष्कर्ष और सिफारिशों का विवरण नीचे दिया जाता है । वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

विवरण

1. एक अकेला सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक निगम होना चाहिये ।

2. निगम 6 या 7 सदस्यों के बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । इस बोर्ड में पूरे समय के लिए कार्य करने वाले निदेशक और दो सरकारी प्रतिनिधि हों ।

3. निगम के मुख्यालय कार्यात्मक प्रभागों के प्रधानों द्वारा संगठित होने चाहिए; जो सेवा करते हों और विस्तृत विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत यूनिट तथा प्रादेशिक कार्यकलापों का नियन्त्रण करते हों।

4. गवेषणा, डिजाइन और इंजीनियरिंग ग्रुपों और उत्पादन यूनिटों के बीच पूर्णतया अलग प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए ।

5. एक तकनीकी निदेशक के आधीन पी और डी और फीडों को एण्टीटीज के रूप में जारी रखना चाहिए, जो गवेषणा, डिजाइन और इन्जीनियरिंग कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे ।

6. पी और डी और फीडो द्वारा कुछ परियोजनाओं पर उप-संयन्त्रों का अलग इन्जीनियरिंग सम्भाव्य है।

7. नई परियोजनाओं के लिए एक निदेशक के पद का सृजन किया जाए ; जो सारी नई परियोजनाओं और मुख्य विस्तार के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा ।

8. निगम से बाहर भारतीय नियुक्त संस्थाओं द्वारा देशीय रूपांकन, इन्जीनियरिंग और निर्माण कार्य को और विकसित करना चाहिए । इन संस्थाओं द्वारा रूपांकन करना और संरचनाओं को बनाना और कार्य, जो प्रत्यक्ष रूप में रसायन प्रक्रियों में शामिल नहीं हैं, किये जाएं ।

9. निरीक्षण करने, उत्पादन एवं निर्माण को शीघ्र सम्पादित करने और भारत या विदेश में बनाये गये उपकरणों के परिवहन के लिए तकनीकी प्रभाव में अलग ग्रुप स्थापित किये जाने चाहिए ।

10. कारपोरेशन के सारे निर्माण करने वाले यूनिटों के उत्पादों और ऐसे उर्वरकों के बेचने के लिए, एक अलग मार्किटिंग प्रभाग खोला जाना चाहिए, जो दूसरी सरकारी क्षेत्रीय निगमों में संयन्त्रों द्वारा उत्पादित किये जाते हों तथा उनके मुख्य कार्यों के प्रासंगिक हों ।

11. मार्किटिंग प्रभाग देश में प्रदेशों और क्षेत्रों में संगठित किया जाना चाहिए और इन्हें केन्द्रीय मुख्यालयों के निदेशक के अधीन कार्य करना चाहिए।

विदेशी ऋण

*142. श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को भारत ने विभिन्न देशों का कितना विदेशी ऋण देना था तथा इसमें से कितनी राशि का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना था ;

(ख) रुपये में भुगतान किये जाने वाले ऋण की राशि पर प्रति वर्ष कितना ब्याज पड़ जाता है और उन देशों के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सम्बन्धित देशों द्वारा इस धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है कि ऋण देने वाले देश उस धन का उपभोग भारत में राजनीतिक प्रयोजनों के लिये कर रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसा कानून बनाने का विचार कर रही है, जिससे इन देशों के लिए इस फालतू धन राशि को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं में लाना अनिवार्य कर दिया जाये ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 116/68]

Utilisation of Indian Currency by U.S.A.

*143. **Shri H. S. Vidyarthi :** **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of U.S.A. have issued, orders in regard to the maximum utilization of the Indian currency ;

(b) if so, whether the U. S. Embassy have made any purchases in India r ecently and also the manner in which they have utilised the Indian currency ; and

(c) its effect on the Indian economy ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Government have seen reports in the press to the effect that the U. S. President has directed the U. S. Foreign Aid Administrator that there should be maximum utilisation of U.S.-owned local currencies in various countries.

(b) and (c) The U. S. Embassy has already been using its Indian rupee holdings for local expenditures in India. Government have not received any proposals for new uses.

वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

*144. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन वस्तुओं के मूल्य जो थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किये जाते हैं गत तीन महीनों में कम हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य वस्तुएं कौन-सी हैं, सूचकांक में उनका महत्व क्या है और उनके वर्तमान मूल्य क्या तथा तीन महीने पहले उनके मूल्य क्या थे ;

(ग) क्या सरकार ऐसे मूल्यों पर नजर रखती है ; और

(घ) आगामी महीनों में इन मूल्यों के कम होने की आशा है अथवा अधिक होने की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, हां ।

(ख) अनेक प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है और अनाजों, चने और दूसरी दालों, मूंगफली के तेल, गुड़ और औद्योगिक कच्चे माल की क़ीमतों में खास तौर से कमी हुई । ऐसी सब वस्तुओं का भार (वेट) जिनके मूल्यों में कमी हुई है, थोक मूल्यों के सूचक अंक में 57.13 प्रतिशत निकलता है । सभा की मेज पर एक विवरण रखा जा रहा है जिसमें थोक मूल्यों के सूचक अंक में ऐसी वस्तुओं के भार दिये गये हैं और उन वस्तुओं के, तीन महीने पहले के मूल्य-स्तरों की तुलना में उनके 27 जनवरी, 1969 को समाप्त हुए उस अन्तिम सप्ताह के मूल्य-स्तर भी दिये गये हैं जिनके सम्बन्ध में मूल्यों के आंकड़े उपलब्ध है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 117/68]

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार का अनुमान है कि आगामी महीनों में, कीमतों में, और कमी होगी।

कृषि-आय पर कर

*145. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री वे० कृ० रामचौधरी :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि-आय पर कर बहुत कम है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि कृषि-आय पर कर लिया जाये और उसे आयकर में मिला दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि सम्बन्धी आय-कर से कम प्राप्ति होने के मुख्य कारण हैं—नाकाफी क्षेत्र में इस का लागू होना, छूट की ऊंची सीमाएं, और उन राज्यों में से अधिकतर राज्यों में, जहाँ यह कर लगा हुआ है, कर की दर का कम होना।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की 1 दिसम्बर, 1967 को हुई पिछली बैठक में इस विषय पर विचार किया गया था और देहाती इलाकों से साधन जुटाने के

विभिन्न सुझावों के साथ, कृषि सम्बन्धी आय-कर को सामान्य आय-कर में मिला देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। लेकिन राज्य सरकारों से इसे विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।

Untouchability

*146. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the hereditary considerations of caste and untochability in the Indian society are the greatest obstructions which stand in the way of social welfare programmes ;

(b) if so, whether Government porpose to take some steps anew to elimitate these evils ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

(a) Attention is invited to the reply given to part (a) of unstarred question no.4343 answered in the Lok Sabha on 14th December, 1967 .

(b) and (c) A committee was appointed two years ago to examine these problems, evaulate steps already taken and suggest new courses of action. The Committee's Report is expected to be submitted in the near future.

नया वित्त आयोग

*147. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री रवि राय :
श्री विश्वनाथन :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नया वित्त आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके विचारार्थ विषय क्या हैं तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या विचारार्थ विषयों के बारे में विभिन्न राज्यों से विचार विमर्श किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने केन्द्र के साथ राज्यों के वर्तमान वित्तीय सम्बन्ध का पुनर्विलोकन किये जाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ङ) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रस्तावित आयोग को कोई संकेत दिया गया है और यदि हाँ तो किस रूप में तथा किन-किन पहलुओं के बारे में ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, हां।

(ख) आयोग को सौंपे जाने वाले विचारणीय विषय और आयोग के सदस्यों के नाम अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां।

(ङ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, आयोग के विचारणीय विषय अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किये गये हैं।

विश्व बैंक के ऋणों पर ब्याज की दर

*148. श्री अनिरुद्धन : श्री प० गोपालन :
श्री अब्राहम : श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि विश्व बैंक द्वारा ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिये जाने के निर्णय का देश की अर्थ व्यवस्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के प्राधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने ऋणों के ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत करने का जो फैसला हाल में किया है वह बैंक द्वारा दिये जाने वाले नये ऋणों पर तथा भारतीय ऋण और निवेश निगम को हाल में दिये गये 2.5 करोड़ डालर के ऋण में से ली जाने वाली रकमों पर ही लागू होता है । भारत को बैंक-समूह (बैंक ग्रुप) द्वारा दी जाने वाली सहायता का अधिकतर भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलता है । यह संघ ब्याज नहीं लेता, बल्कि अपने ऋणों का $\frac{3}{4}$ प्रतिशत भाग सेवा-प्रभार (सर्विस चार्ज) के रूप में लेता है । इसलिए अनुमान है कि विश्व बैंक के ऋणों के ब्याज की दर में हाल में हुई वृद्धि का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) भारत के कार्यकारी निदेशक ने इस विषय पर चर्चा करते हुए यह विचार व्यक्त किया था कि ब्याज की दर की वृद्धि से भारत सहित विकासशील देशों का परिशोध सम्बन्धी दायित्व बढ़ जायगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मानव निर्मित रेशा

*149. श्री श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध होने वाले तथा मानव निर्मित रेशे के उत्पादन के लिये अपेक्षित विविध प्रकार के देशी कच्चे माल के पूर्ण उपयोग कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस वर्ष उत्पादन करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) नान-सैलूलोज संश्लेषी रेशा के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु अगले कुछ वर्षों में देशीय उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष के दौरान में पालीस्टर के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे मालों में से एक अर्थात् ईथीलीन ग्लायकोल पूर्णतया देशीय होगा और यह बम्बई पेट्रो-रसायन समूह उद्योग (एन ओ सी आई एल) से प्राप्त होगा।

सैलूलोज संश्लेषी या पुनरुत्पादित तन्तुओं के बारे में रायन ग्रेड वुड पल्प का देशीय उत्पादन पूर्णतया प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु यह सारे रायन यूनिटों की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है; सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पल्प का आयात करना पड़ेगा और आयात किया जा रहा है।

अमरीकी सहायता में कटौती

*150. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को दी जाने वाली सहायता में काफी कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां तो कितनी और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस कटौती को दृष्टि रखते हुए सरकार ने दूसरी क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस कटौती से भारत की विकास योजनाओं पर कहां तक असर पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ङ) हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद् (कांग्रेस) ने सहायता की जितनी राशि की स्वीकृति की है, वह उस रकम से कम है जिसकी सिफारिश अमेरिका के प्रशासन द्वारा की गयी थी, लेकिन अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि भारत को दी जाने वाली सहायता पर इसका किस हद तक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी आशा है कि भारत को जितनी सहायता दी जावेगी वह भारत की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम नहीं होगी।

महाराष्ट्र म आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास

902. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में महाराष्ट्र में आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) यह राशि किस जिले अथवा किन जिलों के लिये नियत की गई थी ; और

(ग) इस राशि का किन-किन खास योजनाओं के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) ;

(क) महाराष्ट्र में कोई "आदिम जातीय क्षेत्र" नहीं हैं । अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए चालू की गई योजना आदिम जातीय विकास खण्डों की है । इस योजना के लिए निम्नलिखित राशियां नियत की गई थी :—

1966-67	93.00 लाख रुपये
1967-68	93.80 लाख रुपये

(ख) निम्नलिखित जिलों में आदिम जातीय विकास खण्ड स्थित हैं :—

चंदा, पश्चिमी खानदेश, थाना, नासिक, धुलिया, अमरावती, अहमदनगर, येओतमाल, तथा पूना ।

(ग) कृषि, सहकारिता तथा संचार साधनों का विकास ।

Service Conditions of Employees of Public Undertakings

903. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is imperative for the public undertakings to get the rules regarding recuritment, pay scales, allowances and facilities, privileges, etc.,promotion policy and service coditItions of their employees approved by the Central Government ;

(b) if so, the names of public undertakings, which have framed the rules in this regard and got them approved by the Central Government ; and

(c) the names of the public undertakings which have not framed any rules for their employees or have framed rules in regard to certain matters only and the matters in regard to which rules cave been framed as also the matters for which no rules have been framed by them ?

The Deputy Primc Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The rules regarding recruitment, pay scales and other service condititions require the pproval of Government only in the case of those enterprises whose Articles of Association Statute contain a stipulation to this effect.

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Ceilings on Salaries for various posts in Public Undertakings

904. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to **state**:

(a) whether different ceilings of salaries for various posts have been fixed for the different public undertakings and whether it is essential for those undertakings to obtain the sanction of

the Central Government in the cases of appointments against or promotions to the posts carrying pay scales higher than these ceilings ; and

(b) if so, the ceilings prescribed for the various public undertakings ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Deasi) :

(a) and (b) In addition to the appointments of Chief Executives (i.e. Chairman, Managing Directors or General Managers) and Financial Advisers which are to be made by Government, the powers of the Boards of Directors of Public Enterprises to create and fill posts subject to a limit are incorporated in the relevant Statutes/Articles of Association of Public Enterprises. It was decided in 1951 that the Boards of Directors could have powers to create and fill posts on scales of pay upto Rs. 2250 p.m. While this limit is followed by most of the Public Enterprises except in a few cases where the limit is fixed at Rs 1600 or Rs. 2 000 p. m., it was also envisaged that this limit may have to be enhanced if the size of the undertaking concerned so requires. In case of Hindustan Steel Ltd. and Bokaro Steel Ltd. the limit was enhanced to Rs.2 500 p.m. In respect of a few other Enterprises, it has been formally laid down that appointments to certain posts will be subject to approval of Government irrespective of the scales of pay sanctioned for those posts.

दिल्ली में शीत से मृत्यु

905. **श्री म० ला० सोंधी : श्री रामजी राम :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष शीतकाल में राजधानी में खुले स्थान में रहने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या इस वर्ष निर्धन लोगों के लिये कोई नये आश्रय-स्थल बनाये गये हैं ; और

(ग) भविष्य में लोगों को इस प्रकार मरने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) ऐसी किसी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस वर्ष किसी नये आश्रम-स्थल का निर्माण नहीं हुआ ।

(ग) दिल्ली के 21 रात्रि आश्रय-स्थलों में 5,000 व्यक्तियों के लिये आवास व्यवस्था है । पुलिस को यह आदेश है कि वे फुटपाथ पर रहने वालों को उठाकर निकटतम रात्रि आश्रय-स्थल पर पहुँचा दें ।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

906. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कितने कौन-कौन से, कहां-कहां तथा किस-किस तारीख से उर्वरक कारखाने लगाये गये हैं और प्रत्येक कारखाने में कितनी कितनी पूंजी लगी हुई है; प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित उर्वरकों की मात्रा और मूल्य कितना-कितना है, उनमें कितने-कितने

श्रमिक हैं तथा उनकी मजूरियों पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च आता है और प्रत्येक कारखाने को पिछले वर्ष कितना शुद्ध लाभ हुआ; और

(ख) विदेशों से आयातित रासायनिक पदार्थों का विवरण क्या है और प्रत्येक कारखाने के लिये प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के इन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

उर्वरक कारखानों के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

907. श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक उर्वरक कारखाने के 20 सर्वोच्च अधिकारियों के नाम, पद पदों के नाम, वार्षिक वेतन तथा उपलब्धियां कितनी हैं;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के कारखानों के, कारखाने-वार उन अधिकारियों के नाम तथा पदों के नाम क्या हैं जो विदेश गये थे और वे किन-किन तारीखों को गये थे, किन-किन देशों में गये थे और प्रत्येक मामले में यात्रा व्यय कितना हुआ तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) इन दौरों पर कौन-कौन से अधिकारी अपनी पत्नियों तथा सम्बन्धियों को साथ ले गये थे और उसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भवनों का निर्माण

908. श्री बाबूराव पटेल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से आज तक भारत में निर्माण-भवन, उद्योग-भवन, वायु-भवन, रेल-भवन, विज्ञान-भवन आदि जैसे कितने भवन बनाये गये और उनके नाम क्या क्या हैं;

(ख) प्रत्येक भवन का उद्घाटन किस-किस तारीख को हुआ था और प्रत्येक भवन की निर्माण लागत कितनी-कितनी है;

(ग) प्रत्येक भवन की सजावट आदि करने तथा उसे वातानुकूलित बनाने पर, अलग-अलग कितना खर्च आया है; और

(घ) प्रत्येक भवन के रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों का उत्पादन

909. श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष अन्ततः खाद्य उगाने के लिये विभिन्न प्रकार के कितने टन तथा कितने मूल्य के उर्वरक की आवश्यकता होगी, प्रतिवर्ष सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कितना तथा कितने मूल्य के उर्वरक का उत्पादन होता है और प्रतिवर्ष प्रत्येक किस्म के उर्वरक में कितनी कमी रहती है ; और

(ख) दोनों क्षेत्रों में निकट भविष्य में कितने नये कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव हैं, उनमें सहयोगियों, विनिधान वार्षिक क्षमता का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में गैर-सरकारी प्रायोजकों और विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 118/68]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए राज्यों के मन्त्रियों का सम्मेलन

910. श्री सिद्दय्या : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य के प्रभारी मन्त्रियों का एक सम्मेलन नवम्बर, 1967 में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या उनमें से किन्हीं निर्णयों को अब तक कार्य रूप दिया गया है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) हां।

(ख) और (ग) यह सम्मेलन सलाहकारिक तथा समन्वेषी प्रकार का था। कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिए गये थे।

गोआ, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

911. श्री सिद्दय्या : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) 12 जनवरी, 1968 को जारी किए गये राष्ट्रपति के एक आदेश में गोआ, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का उल्लेख किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि-तल पर बहने वाली नदियां

912. श्री नारायण रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमितल पर बहने वाली नदियों की कुल लम्बाई कितनी है और कितने स्थानों पर उन के बहाव को रिकार्ड किया जाता है;

(ख) 25,00 फुट से कम गहराई पर भूमि और पहाड़ों के अन्तराल में अनुमानतः कितना जल विद्यमान है; और

(ग) देश में गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना जल भूमि के अन्दर रिस गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की उप-नदियों समेत लम्बाई लगभग 1.9 लाख मील है। जितने स्थानों पर प्रवाह को रिकार्ड किया जाता है उनकी कुल संख्या करीब 1000 है । इनके अतिरिक्त करीब 900 स्थान ऐसे है जहां केवल ऐजों को रिकार्ड किया जाता है ।

(ख) 2500 फुट से कम गहराइयों पर देश की भूमि और चट्टानों के अन्तराल में विद्यमान जल की अनुमित मात्रा 3000 करोड़ एकड़ फुट है ।

(ग) देश में गत पांच वर्षों में भूमि के अन्दर हर साल रिसने वाले जल की मात्रा 3000 लाख एकड़ फुट प्रतिवर्ष है, ऐसा अनुमान है ।

निजामाबाद जिले के आयकर दाता

913. श्री नारायण रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर जिला निजामाबाद (आंध्र प्रदेश) में पिछले तीन वर्षों में धनकर लगाया गया;

(ख) इस प्रयोजन के लिये उनकी आस्तियों का कुल कितना मूल्य आंका गया और उन पर कितना धनकर लगाया गया ;

(ग) निजामाबाद जिले के उन आयकर-दाताओं के नाम तथा पते क्या हैं। जिन पर 31 मार्च, 1967 के अन्त में आयकर अथवा अन्य केन्द्रीय करों की 5,000 रुपये से अधिक राशि बकाया थी ; और

(घ) उन करदाताओं से जिन पर आयकर की एक लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है कुल कितना तथा किस अवधि का आयकर लिया जाना शेष है और इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दिया जाना

914. श्री अ० वि० पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में महाराष्ट्र की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या कुकड़ी परियोजना की स्वीकृति दी गई है और 1968 में प्रारम्भिक कार्य के लिये राशि मंजूर कर दी गई है; और

(ग) क्या परियोजना की प्राथमिकता के बारे में निर्णय केन्द्रीय सरकार करती है या राज्य सरकार ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) 1966 में 11 और 1967 में 3 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकार की गईं।

(ख) कुडकी परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा की जा रही जांच के अन्तिम चरण में है।

(ग) विचार-विमर्श के पश्चात् दोनों सरकारों द्वारा।

इलैक्ट्रोनिक संगणक

915. डा० रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और गैर सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने इलेक्ट्रॉनिक संगणक मंगाने के लिये आर्डर दिये गये तथा लगाये गये; और

(ख) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही प्राप्त हो जायेगी सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) विधेयक

916. श्री देवराव पाटिल : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सत्र में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें 70 संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर थे और जिस में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पास करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की हैं; और

(ग) सरकार का विचार उस विधेयक को संसद् के विचार के लिये कब प्रस्तुत करने का है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) हां।

(ख) और (ग) लोक-सभा की कार्य-सलाहकार समिति ने अपनी तेरहवीं रिपोर्ट में इस विधेयक को एक प्रवर-समिति को भेजने के लिये एक घंटा नियत करने की सिफारिश की थी।

Suspension of work on Rajasthan Canal

917. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Irrigaton and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of Rajasthan Canal has been suspended by the State Government between Kharwara and Chattor Garh area for want of finances ;

(b) if so, whether Government propose to give financial assistance to the State Government for the completion of this canal ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Due to constraint of resources and to derive maximum benefit form the investment already made, some rephasing in the construction programme of Rajasthan Canal has been done according to which the canal with its distribution system will first to be completed upto mile 70 near Kharwara before proceeding with the work beyond this point.

(b) and (c) Hundred percent earmarked central loan assistance within the State Plan ceiling, is being given to the Government of Rajasthan for the construction of the Rajasthan Canal Project. During the current financial year, Central assistance to the extent of Rs.3 crores will be given.

भारत सरकार के मुद्रणालयों में भर्ती

918. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों में बाइंडिंग सेक्शन में प्रशिक्षणार्थियों तथा वेयर-हाउसमैनों की भर्ती के लिये कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त मुद्रणालयों में सेक्शन होल्डरों तथा बाइंडरी फोरमैनों के लिये कोई न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रशिक्षणार्थी-बाइंडरों और वेयर-हाउसमैनों के पदों की तुलना में सेक्शन होल्डरों तथा बाइंडरी फोरमैनों के पद अधिक वरिष्ठ तथा अधिक जिम्मेदारी वाले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) जी हां । कम से कम आवश्यक योग्यता है " मैट्रीक्यूलेशन से 2 कक्षा कम तक अथवा हायर सेकण्डरी से 3 कक्षा कम तक अध्ययन किया हो।"

(ग) और (घ) जी हां ।

(ङ) सेक्शन होल्डर्स (जिल्दसाजी) तथा फोरमैन (जिल्दसाजी) के पद जिल्दसाज (बाइंडर्स) ग्रेड 1 तथ सैक्शन होल्डर (जिल्दसाजी) से क्रमशः पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पूर्णतः पदोन्नतीय हैं। अतएव इन पदों के लिये निम्नतम योग्यतायें निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन ग्रेडों से पदोन्नति होती है उनके लिए निर्धारित निम्नतम योग्यता इनके लिए स्वतः लागू हो जायेंगी।

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

919. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं; और

(ख) वर्ष 1967-68 से उक्त राज्य में कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	किस प्रकार का परिवार नियोजन केन्द्र है।	ऐसे कितने केन्द्र काम कर रहे हैं	ऐसे जितने केन्द्र 1967-68 में खोले जाने का प्रस्ताव है
1.	नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र।	190	—
2.	ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र (मुख्य)	414	38
3.	ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन उप-केन्द्र।	13 1220	136

Tribal Development Block in Madhya Pradesh

920. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of tribal development blocks in Madhya Pradesh at present ;

(b) the number of such blocks proposed to be opened in that State during 1967-68; and

(c) the number of such blocks proposed to be opened in Hoshangabad and Eastern Nimad Districts during 1967-68 ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) 127

(b) Nil.

(c) Nil.

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

921. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigaton and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken any decision with regard to some irrigation schemes of Madhya Pradesh for the fourth Plan ;

(b) if so the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (c) The Fourth Plan is yet to be finalised.

चेचक से मृत्यु

923. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्री रा० रा० सिंहदेव :**
श्री देवव्रत बरुआ :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 के पहले दस महीनों में चेचक से 12,000 व्यक्ति मरे थे; और

(ख) यदि हां, चेचक फैलने के क्या कारण थे और उसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) इस वृद्धि का कारण सम्भवतया यह है कि यह रोग प्रति 5-7 वर्ष के बाद पुनः फैल जाता है । इस हिसाब से इसका प्रकोप 1967-68 में होना सामूहिक टीका अभियान चलाकर रोगानुकूल वर्गों नामतः 4-5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों तथा असुरक्षित घुमन्तू श्रमिक वर्ग की रक्षा के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । म्युनिसिपल अधिकारी इस कार्य के लिये अधिकाधिक उड़न-दस्तों को काम में ला रहे हैं ।

सरकारी उपक्रम

924. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कानूनी रूप देने का है जिससे संसद्, सरकार और सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों के बीच सम्बन्धों की परिभाषा में मदद मिल सके ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

"सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान" विषय पर अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से एक सिफारिश कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों को सांविधिक और क्षेत्रीय निगमों के रूप में वर्गीकृत करने बारे में है । इस सिफारिश समेत, आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

Minerals used for Chemical Fertilisers

925. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether some progress has been made in respect of extracting minerals used for chemical fertilizers with a view to avoid the import of such minerals ;

(b) ifso, the time by which the importof such mineral is likely to stop ; and

(c) the nature of difficulties which are being experienced in extracting these minerals ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) Sulphur and Rock-phosphate are the two important minerals that are not imported for production of fertilizers. No large deposits of sulphur worthy of commercial exploitation has so far been located. A minor deposit has been found in Puga Valley (J & K) but detailed investigations are yet to be made. Pyrites , which can be substituted for sulphur in the prouction of sulphuric acid used in the manufacture of fertilizers have been located at Amjhore in Bihar, Saladipura in Rajasthan and Ingaldahl in Mysore. The Pyrites and Chemicals Development Co. Ltd. are presently engaged in expoliting the Amjhore deposits. The company will also start developing the Saladipura deposit in the near future. On the basis of the projects under implementation and under contemplation for the exploitation of pyrites it is anticipated that by 1975-76, sulphuric acid, equivalent to about 500,000 tonnes of sulphur will be produced from pyrites.

Rock phosphate deposits have been located in the country in Mussorie area in Uttar Pradesh, Birmania and Udaipur areas in Rajasthan, Visakhapatnam District in Andhra Pradesh and Singhbhum and Hazaribagh areas in Bihar. Of the above deposits only the Visakhapatnam area has so far been worked by Fertilizer Corporation of India, who have mined upto 31-3-'67 4,300 tonnes of apatite (Rock phosphate) from this area. They have a programme to exploit the deposit at the rate of 8,000 tonnes per year. The deposits in Uttar Pradesh and Rajasthan are still under investigation. Firm estimates of the reserves and the possibility of their commercial exploitation will be known only after investigations are complete.

(b) It is difficult to state at this stage when the import of the minerals in question can be stopped.

(c) Difficulties likely to be encountered in extracting the above-mentioned minerals will be known only when the actual operations start.

Price of Cigarettes

926. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whethe it is a fact tht the manufacturers of cigarettes increased the price of cigarettes in accordance with the excise duty imposed on cigarettes but after the exemption of taxes, none of them made the reduction in the price of cigarettes accordingly ; and

(b) If so, the action taken by Government to safeguard the interests of the consumers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) It is a fact that the manufacturers of cigarettes had increased the price of cigarettes on account of the increase in the rates of duty during the Budget session of the current financial year. However, as the increased rates of duty were maintained and no exemption was granted , the question of reduction in price of cigarettes on that account did not arise.

Loan From Czechoslovakia

927. **Shri Maharaja Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the first loan received from Czechoslovakia by India in 1959 could not be fully utilised so far, and

(b) if so, the reasons threfor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The total value of supply orders placed so far under the first credit, of Rs.36.38 crores from Czechoslovakia is Rs.32.86 crores. This credit was intended to finance the following projects :

(i) First phase of III Stage of Foundry Forge Plant, Ranchi.

(ii) Heavy Machine Tools Plant, Ranchi.

(iii) High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapalli.

(iv) Heavy Power Equipment Plant, Hyderabad.

Orders for these projects amounting to Rs.28.91 crores have already been placed. Out of the savings which arose as a result of increased idigenous availability of machinery and equipment, further contracts for Rs.3.95 crores have been placed for the Heavy Plate and Vessels Works, Vishkhapatnam and for components for turbo-blowers and compressors requird for Heavy Power Equipment Plant, Hyderabad.

The ordering under this credit has been completed and it is proposed to obtain any further requirements from Czechoslovakia under the second credit. The first credit can therefore to treated as fully utilised and closed.

निर्यात के बीजक में राशि कम दिखाने के फलस्वरूप हानि

928. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित फर्मों द्वारा निर्यात के बीजकों में राशि कम दिखाने के फलस्वरूप 1947 से 1966 तक की अवधि में देश को कितनी हानि हुई :

(1) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

(2) मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

(3) मैसर्स जार्डन हेंडरसन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

(4) मैसर्स माथेसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

(5) मैसर्स लुई ड्राफीव एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

(6) मैसर्स बंज एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

(7) मैसर्स साहू जैन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

929. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार कर समंजन योजना को फिर से लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) निर्यात-प्रवृत्तियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है उपयुक्त नीति-साधन अपनाये जाते हैं। नीति सम्बन्धी उपायों के बारे में पहले से ही जानकारी दे देना लोक-हित में नहीं होगा।

Welfare of Backward Classes

930. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 11th January, 1968, the Prime Minister had stated at Lal Bahadur Nagar that Government have not taken adequate steps for the welfare of the Backward Classes ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the remedical measures proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Jawahar Jyoti

931. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news published in the Statesman of the 16th December, 1967 that the officials of Tin Murti are misappropriating thousands of rupees every month in the name of Jawahar Jyoti ;

(b) whether Government are also aware that the Jawahar Jyoti is daily extinguished in the night and lighted in the morning and its oil is sold in the black market ;

(c) whether Government are also aware that three persons were apprenheneded during the second week of January, 1968 while stealing oil from the Jawahar Jyoti ; and

(d) if so, the action taken against the offenders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) No. The Jyoti remains alight round the clock throughout the year.

(c) and (d) Two casual labourers were apprehended by the Police outside the Tin Murti House and the case is being pursued by the Police.

Backward Classes Legislators Conference

932. **Shri Nihal Singh : Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reprsentation from All-India Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes Legislators' Conference held on the 22nd and 23rd December, 1967 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

(a) No.

(b) and (c) Does not arise.

प्रधान मंत्री द्वारा उड़ीसा में तूफानग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

933. **श्री रा० कुण्डू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जनवरी, 1968 में उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों और पारादीप पत्तन का दौरा किया है ;

(ख) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन के सुधार और बड़े बांधों के निर्माण के लिये और उड़ीसा के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो कितना अनुदान दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार ने बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए 215 लाख रुपये और तूफान-पीड़ितों की सहायता के लिए 240 लाख रुपये के अधिकतम खर्च की मंजूरी दे दी है। सहायता की अधिकतम सीमाएं आवश्यकता सम्बन्धी विस्तृत जांच करने के बाद निर्धारित की गयी हैं। ऐसी हालत में अतिरिक्त अनुदान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार, पारादीप बन्दरगाह की आवश्यकता की विस्तृत जांच करने के बाद केन्द्रीय बजट में उसके लिए जो व्यवस्था की गयी थी उसमें वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये मद्यसार का आयात

934. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में सरकार ने प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1 करोड़ गैलन मद्यसार के आयात के लाइसेंस जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) इसके आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और इसका किन-किन देशों से आयात किया गया ;

(घ) आयायित तथा देशी मद्यसार की प्रति गैलन तुलनात्मक लागत कितनी है ; और

(ङ) क्या चालू वर्ष में देश के मद्यसार में आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) 1967 के दौरान में प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ताओं को ईथल मद्यसार (औद्योगिक ग्रेड) के लगभग 11.3 मिलियन गैलन के आयात के लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) देश में मद्यसार की पर्याप्त कमी के कारण, संश्लिष्ट रबड़, पोलीथीलीन और शैलिक जैसे मद्यसार पर आधारित मुख्य उद्योगों के उत्पादन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस स्थिति में सुधार करने के बारे में रबड़ और पोलीथीलीन के आयात की आवश्यकता से बचने के लिए मद्यसार के आयात की अनुमति दी गई थी। शैलिक का निर्यात किया जाता है और इससे अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।

(ग) विदेशी मुद्रा 386 लाख रुपये व्यय की थी । इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसीयेशन से सहायता की स्कीम से अन्तर्गत जनरल करन्सी क्षेत्र से आयात की अनुमति दी गई थी । आयात अधिकांश ब्राजील से थे ।

(घ) (1)	आयातित मद्यसार का औसतन मूल्य	=	लगभग 3.50 रुपये प्रति गैलन (लागत–बीमा–भाड़ा)
(2)	देशीय मद्यसार का मूल्य	=	मद्यशाला पर 0.96 रुपये प्रति गैलन।

(ङ) जी नहीं, चालू वर्ष में लगभग 20–25 मिलियन गैलनों की कमी का अनुमान है ।

भारत सेवक समाज

935. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज का अध्यक्ष निर्वाचित होता है अथवा नाम निर्देशित ;

(ख) यदि यह निर्वाचित पद नहीं है, तो ऐसी संस्था को इतनी बड़ी राशियां देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसी प्रकार के सहायता कार्य में लगी अन्य पंजीकृत समितियों को संरक्षण सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) से (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

नंगल में तैयार किये गये उर्वरकों के वितरण के लिए एजेंसियां

936. **श्री मोलहू प्रसाद :** **श्री लषण लाल कपूर :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1967 में यह नीति अपनाई गई थी कि नंगल उर्वरक कारखाने में उत्पादित उर्वरकों के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को एजेन्सियां दी जायेगी ।

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों को कोटा दिया गया है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के वितरण के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 30 सितम्बर, 1966 तक केन्द्रीय उर्वरक पूल, देश में सारे नाईट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन को ले लेता था । 1 अक्तूबर, 1966 से, भारत सरकार ने 30 प्रतिशत उत्पादन फैक्ट्रियों के द्वारा सीधे बिक्री के लिए आदेश दिया । 1 अक्तूबर, 1967 से यह 50 प्रतिशत कर दिया गया और 1 अक्तूबर, 1968 से 100 प्रतिशत तक कर दिया जायेगा, बशर्ते कि सरकार चाहे तो 30 प्रतिशत को, तय किए मूल्य पर, खरीद सकती है । नांगल से, खुली बिक्री के के लिए दी गई मात्रा का बड़ा भाग पंजाब व हरियाना राज्यों के सहकारी सप्लाई तथा मार्केटिंग फेड्रेशनों के द्वारा वितरण किया जा रहा है । 14,000 मीटरी टन की छोटी मात्रा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में वितरण के लिये अलग रख दी गई है । इस प्रकार नांगल से प्राप्त उर्वरक उक्त प्रकार वितरित हो जाता है परन्तु जो मात्रा इन संस्थाओं के लेने से बच जाती है वह दूसरे उपभोक्ताओं को वितरित कर दी जाती है ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात

937. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने अनाज का आश्वासन दिया जा चुका है, उसकी कितनी कीमत होगी और सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में (एक) तत्काल और (दो) दीर्घकालीन व्यवस्था के अधीन कितना भाड़ा दिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

जिस पी० एल० 480 करार पर दिसम्बर, 1967 में हस्ताक्षर किये गये थे उसके आधार पर हम 21.07 करोड़ डालर, (जहाज घाट तक के मूल्य) का 35 लाख मेट्रिक टन अन्न मंगा सकेंगे । इस माल के जहाज भाड़े पर लगभग 40 करोड़ रुपया खर्च होगा जिसमें से 4 करोड़ रुपये की पूर्ति दीर्घकालीन रूपान्तरणीय मुद्रा ऋण से की जायेगी और बाकी रकम की पूर्ति मुक्त (फ्री) विदेशी मुद्रा से की जाएगी ।

आयकर के अपवंचन के मामले

938. **श्री मुहम्मद इमाम : श्री मुत्तुस्वामी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और कम्पनियों द्वारा किये गये करापवंचन के बारे में अगस्त, 1966 से लेकर अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अगस्त 1966 से संसद् से वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) को 29 प्रसंग मिले हैं जिनमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये कर अपवंचन के बारे में शिकायत की गई है ।

(ख) इन सभी मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है ।

पारादीप को जाने वाला सीधा (एक्सप्रेस) राजपथ

939. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदायगी खानों से पारादीप पत्तन तक लौह-अयस्क ले जाने के लिये सीधा (एक्सप्रेस) राजपथ बनाने के हेतु 3.25 करोड़ रुपये की मन्जूरी के लिये योजना आयोग की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सीधा (एक्सप्रेस) राजपथ बनाने के लिये अब तक कितना धन दिया गया है ; और कितने धन का उपयोग किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरियाणा विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा मांग-दिवस

940. **श्री नम्बियार** : **श्री चक्रपाणि** :
श्री नायनार : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1968 को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने मांग-दिवस मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी, हां ।

(ख) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मांगे निम्नलिखित हैं :—

(1) महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचक अंक के साथ सम्बद्ध करना ।

(2) वेतन मानों में संशोधन ।

(3) कर्मचारियों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था ।

(4) उन सब कर्मचारियों को, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक सेवावृत्ति की है, स्थायी बनाना ।

(5) कर्मचारियों को औजार आदि देना ।

(6) मासिक चिकित्सा भत्ता का दिया जाना ।

(7) डिवीजनल आफिसों में पुस्तकालयों का खोला जाना ।

(8) जिन कर्मचारियों का कार्य ऐसा है जिसमें जीवन का खतरा है उनके लिए जीवन बीमे का प्रबन्ध ।

(9) चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थानों में मकान-किराया भत्ते का दिया जाना ।

(10) खेलों के लिए धन की व्यवस्था ।

(11) चालकों, मीटर पढ़ने वालों और मीटर निरीक्षकों को वर्दियों का दिया जाना ।

(12) धुलाई भत्ते का दिया जाना ।

(13) कैन्टीन की सुविधाएं ।

(14) कार्य के घन्टों को निर्धारित करना तथा चौकीदारों, फील्ड और सब स्टेशन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना ।

(15) फैक्ट्री कानून के अनुसार अन्य सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, रोगियों की चिकित्सा आदि का दिया जाना ।

(16) त्यौहार और राष्ट्रीय अवकाशों का दिया जाना ।

(17) साइकिल भत्ते का बढ़ाना ।

(18) मुअत्तली और तहकीकात का उचित तरीका ।

(19) रिक्त स्थानों का तरक्की द्वारा भरा जाना तथा आमतौर से बाहरी व्यक्तियों को न लिया जाना ।

(20) व्यावसायिक टैक्स से मुक्ति ।

(21) वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थायी करना ।

(ग) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की एक प्रशासनिक समिति कर्मचारियों की मागों पर गौर कर रही है और उनकी यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हुई हैं । हरियाणा राज्य श्रम आयुक्त ने भी समझौते के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है ।

जाली नोटों के मामले

941- श्री क० लकप्पा : श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रामजी राम : श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में अब तक देश में जाली नोटों के कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया ; और

(ग) देश में जाली नोट बनाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) जाली करेंसी नोट और बैंक नोट बनाने से सम्बद्ध अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता में ऐसे कड़े दण्ड की व्यवस्था है जिससे लोगों को इस प्रकार के अपराध करने का साहस न हो। राज्य की पुलिस इस प्रकार के अपराधों पर नजर रखती है और उनके सम्बन्ध में कार्रवाही करती है। गृह मंत्रालय का केन्द्रीय जांच कार्यालय भी, पकड़े जाने वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच करके और इस काम में अपनाये गये विभिन्न तरीकों का रिकार्ड रख कर जाली भारतीय मुद्रा सम्बन्धी समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। केन्द्रीय जांच कार्यालय केन्द्र और राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें बुलाता है और राज्यों के अधिकारियों के अनुरोध पर महत्वपूर्ण मामलों में जांच पड़ताल भी करता है।

सरकारी उपक्रमों में अर्थग्रस्त नियोजन तथा हानियां

942. श्री हेमराज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई थी ;

(ख) चालू तथा पिछले तीन वर्षों में कितना मुनाफा हुआ है ; और

(ग) 1967 में हड़तालों, घेराओं आदि के कारण कितने दिन तक काम बन्द रहा और धन तथा उत्पादन दोनों की पृथक-पृथक कितनी हानि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिसम्बर, 1967 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कुल 3088 करोड़ रुपया लगा हुआ था।

(ख) चालू वर्ष के कार्य के परिणामों का पता 31 मार्च, 1968 के बाद वार्षिक लेखा बन्द होने पर ही चलेगा। जीवन बीमा निगम और बनाये जा रहे प्रतिष्ठानों को छोड़ कर सरकारी उद्यमों को 1964–67 के 3 वर्षों में कुल मिला कर 5.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में 1963–65 के दो वर्षों के मूल्यांकन में 62 करोड़ रुपये के और 1965–67 के दो वर्षों के मूल्यांकन में 74 करोड़ रुपये के अधिशेष का पता चला।

(ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ताप्ती नदी पर (महाराष्ट्र) पर हतनूर बांध

943. श्री सयद अली : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में ताप्ती नदी पर हतनूर बांध के निर्माण का कार्य कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) इस पर कितनी लागत आयेगी ? और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) परियोजना को तकनीकी रूप में स्वीकार कर लिया गया है और अब यह योजना आयोग की स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना की अनुमति लागत लगभग 12 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्हें परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए आरम्भ से छः साल लग जाएंगे।

करों के युक्तिकरण के बारे में बूथलिंगम समिति का प्रतिवेदन

944. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० स्वा० विद्यार्थी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रवि राय :
श्री मोहसिन :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय करों के युक्तिकरण के उपाय सुझाने के लिये नियुक्त बूथलिंगम समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसका अध्ययन किया जा रहा है। जैसा कि उप प्रधान मन्त्री ने 1967–68 के बजट भाषण में बताया था, यह रिपोर्ट छापी जायगी तथा इस की प्रतियाँ माननीय सदस्यों को उपलब्ध की जाएंगी। ऐसा 1968–69 का बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद किया जायगा।

रिपोर्ट का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, इसलिये इसमें दी गयी सिफारिशों पर सरकार के फैसलों की घोषणा करना सम्भव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ऋणों की अदायगी

945. श्री मयावन :
श्री रामभद्रन :
श्री अंबुचेजियान :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कुल कितना ऋण लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने भारत की इस प्रायोजना को स्वीकार कर लिया है कि वह अपने ऋणों की अदायगी का समायोजन कर ले;

(ग) यदि हाँ, तो ये रियायतें किस अवधि से सम्बन्ध रखती हैं;

(घ) क्या उससे यह प्रार्थना भी की गई है कि वह ऋणों की अदायगी आसान किस्तों में स्वीकार कर ले ; और

(ङ) भारत को कुल कितनी अवधि में ऋणों की अदायगी करनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से अब तक कुल मिलाकर 109.0 करोड़ डालर के बराबर की विभिन्न देशों की मुद्राएं खरीदी हैं, जिसमें से 58.25 करोड़ डालर के बराबर की मुद्राएं फिर से खरीदी गयी हैं ; और इस तरह 50.75 करोड़ डालर के बराबर की मुद्राओं की खरीद बकाया है ।

(ख) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने 29 दिसम्बर, 1967 को 38·75 करोड़ डालर के बराबर की बकाया निकासियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्राओं की फिर से खरीद का संशोधित कार्यक्रम स्वीकार कर लिया । इसमें से 18.75 करोड़ डालर की मुद्रा अधिक से अधिक 31 दिसम्बर 1967 तक, 10.0 करोड़ डालर की मुद्रा अधिक से अधिक 28 मार्च, 1968 तक और 10.0 करोड़ डालर की मुद्रा अप्रैल और अक्तूबर, 1968 के बीच फिर से खरीदी जानी थी । संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 31 मार्च और 15 दिसम्बर, 1968 तक क्रमशः 5 करोड़ डालर और 4 करोड़ डालर के बराबर मूल्य की मुद्राएं फिर से खरीदी जायंगी । बाकी 29.75 करोड़ डालर के बराबर के मूल्य की मुद्राएं 30 अप्रैल, 1969 और 31 मार्च 1971 के बीच फिर से खरीदी जायंगी ।

अमरीकी डालर बचाना

946. श्री मयावन :
श्री अंबुचेजियान :
डा० रानेन सेन :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सु० कु० तापाड़िया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री जुगल मंडल

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 दिसम्बर, 1967 को अमरीकी सरकार द्वारा घोषित डालर बचाने के नये उपायों के कारण भारत को पर्यटकों से होने वाली आय के बारे में बहुत नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जानसन के वक्तव्य से यह प्रकट

होता है कि विकासशील देशों में, नये वास्तविक निवेशों की मात्रा, 1965-66 के औसतन निवेश की मात्रा के 110 प्रतिशत तक सीमित रखी जायगी, जबकि महाद्वीपीय पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी अफरीका में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने वाले निवेश पर पूरी रोक लगी रहेगी और कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा जापान में, यह मात्रा, 1965-66 के औसत निवेश के 65 प्रतिशत तक सीमित रखी जायगी। लेकिन, मात्रा-सम्बन्धी पाबंदियां केवल पूर्वी गोलार्द्ध पर लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, प्रशासनिक और कानूनी तरीकों से अभी इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार करेगी कि ये पाबंदियां कैसी होंगी और किस तरह लागू की जायेगी। इसलिए भारत में किये जाने वाले निवेशों पर, इन पाबंदियों के प्रभाव का अंदाजा इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता। इस मामले पर बराबर विचार किया जा रहा है और हर तरह के ऐसे उपाय, जो स्थिति के अनुसार जारी होंगे, मुनासिब समय पर किये जायेंगे।

कोयना बांध पर भूचाल के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति

947. श्री मधावन : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयना बांध पर हाल में आए भूचाल के प्रभावों का अध्ययन करने तथा बचाव के उपाय के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसे क्या कार्य सौंपा गया है, और

(ग) इसके कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी, हाँ।

(ख) समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) श्री एस० जी० के० मूर्ति, अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड।

(2) महानिदेशक, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था।

(3) श्री पी० एम० माणे, सदस्य (अभिकल्प व अनुसंधान), केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग।

(4) डा० ए० एन० टन्डन, निदेशक (भूकम्प विज्ञान) भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग।

(5) निदेशक, भूकम्प इन्जीनियरी स्कूल, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की;

(6) श्री वी० आर० दुर्गोस्कर, मुख्य इन्जीनियर, महाराष्ट्र सरकार;

(7) श्री बी० वी० देशमुख, तकनीकी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड।

उपर्युक्त भारतीय विशेषज्ञों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार यूनेस्को विशेषज्ञ भी इस समिति के साथ काम कर रहे हैं।

(1) प्रोफेसर शुन्जों ओकामोटो, नेता
औद्योगिक विज्ञान संस्था,
टोकियो विश्वविद्यालय, जापान।

(2) प्रो० जोशीरो तमूरा, सदस्य
भूकम्प बांध अभिकल्प विशेषज्ञ,
औद्योगिक विज्ञान संस्था,
टोकियो विश्वविद्यालय, जापान।

(3) डा० जॉह्न आडन (इंगलैंड) सदस्य
भूवैज्ञानिक,
(भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था)।

(4) प्रो० आइगर ई० गुबिन, सदस्य
भूकम्प भू-विज्ञान विशेषज्ञ,
प्रवर वैज्ञानिक, इस्टीट्यूट आफ अर्थ फिजिक्स,
एकेडेमी आफ साइंसिस्, सोवियत रूस।

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :—

(1) प्रभावित क्षेत्र की भूकंम्पनीयता का संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण करना।

(2) भूकम्प की तीव्रता का सर्वेक्षण करना और प्रभावित क्षेत्र के समभूकम्पीय चित्र तैयार करना।

(3) प्रभावित क्षेत्र की भू-विशेषताओं और भूचाल के प्रभाव के सम्बन्ध का अध्ययन करना।

(4) कोयना भूकम्प के आने के पश्चात् हुई दरारों और अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में कोयना भूचाल पर और आँकड़ों का अवलोकन करना और उन्हें इकट्ठा करना।

(5) कोयना पर इस्ट्रूमेन्टेशन का अवलोकन करना और इस सम्बन्ध में कोई और सुझाव देना।

(6) इस क्षेत्र में किफायती और सुरक्षित भवनों के लिए सुझाव देना।

(7) कोयना बांध, इन्टेक टावर, बिजलीघर तथा अन्य आनुषंगिक कार्यों के डिजाइनों की जांच करने के लिए कौन सी भू-कम्पनीय बातों को ध्यान में रखा जाए, इस बारे में सुझाव देना।

(ग) समिति ने प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अन्तिम रिपोर्ट के जून, 1968 तक मिलने की सम्भावना है।

लूपों का आयात

948. श्री हेम बरुआ : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए लूप की उपयोगिता से संतुष्ट नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार का विचार अन्य देशों से लूपों का आयात करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन देशों में निर्मित लूपों की सफलता से सन्तुष्ट है जिन देशों से इनका आयात किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर)

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते । फिर भी कुछ पूर्व-विसंक्रमित लूप, 'इंसंटरों' सहित, पापूलेशन कौंसिल, से प्राप्त किए गए हैं और डैनिश लूप, जो 'पोलीगन' के नाम से प्रसिद्ध हैं, का उपहार भी डैनमार्क से प्राप्त हुआ है । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् इन लूपों की क्लिनीकल जांच कर रही है ।

कर से छूट

949. श्री हेम बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दो वर्ष की अवधि के लिये कर से छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार, किसी नये औद्योगिक उपक्रम, किसी जलयान अथवा किसी होटल के मामले में लगाई गई पूंजी पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत तक के लाभ के सम्बन्ध में, अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट मिली हुई है । आयकर अधिनियम में किये गये इस उपबन्ध का सामान्यतः " कर से छुट्टी" के उपबन्ध के रूप में उल्लेख किया जाता है । अन्य कोई "कर से छुट्टी" देने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नूनमती तेल शोधक कारखाना

950. श्री हेम बरुआ : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि सरकार का विचार गोहाटी में विद्यमान नूनमती तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का है ;

(ख) क्या इस समय वहां उपलब्ध अशोधित तेल को परिष्कृत करने के लिये सरकार का विचार इस राज्य में दूसरा तेल शोधक कारखाना लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) गोहाटी में नूनमती तेल शोधन कारखाने की उत्पादन क्षमता के विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में बताये गये विचाराधीन प्रस्ताव में शोधनशाला की प्रतिवर्ष 0.75 मिलियन मीटरी टन वर्तमान क्षमता को प्रतिवर्ष लगभग 1.1 या 1.2 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाना है।

भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य

951. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री एल० के० झा ने दिल्ली में 12 जनवरी, 1968 को सार्वजनिक रूप से कहा था कि "करारोपण" अथवा घाटे की बजट व्यवस्था के द्वारा अनिवार्य बचत अपरिहार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का कथित वक्तव्य देखा है। सरकार के विचार से करों का लगाया जाना, सरकारी तौर पर बचत करने और इस प्रकार विकास कार्यों के लिए वित्त-व्यवस्था करने के लिए देश में कुल बचत में वृद्धि करने का एक मुख्य साधन है। 'जबरी बचतों' के एक उपाय के रूप में, घाटे की वित्त-व्यवस्था को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही उचित ठहराया जा सकता है। किस सीमा तक एक या दूसरा उपाय अनिवार्य है, यह व्यक्तिगत विचार की बात है और यह आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

Gandak Project

952. **Shri Mrityunja Prasad**: Will the **Minister of Irrigation** and Power be pleased to state :

(a) the acreage of land and the names of Districts where land is likely to be irrigated in Bihar and Uttar Pradesh and the wattage of electricity likely to be generated on the completion of the Gandak project ; and

(b) the acreage of land likely to be irrigated in Nepal and the wattage of electricity likely to be supplied to Nepal on the completion of the project ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) and (b) Annual Irrigation envisaged from the Gandak Project is as under :

Bihar :

Districts

Saran	..	..	11.35 lakh acres
Champaran	..	..	7.58 lakh acres
Muzaffarpur	..	..	7.30 lakh acres
Darbhanga	..	..	2.22 lakh acres
		Total ..	28.45 lakh acres

Uttar Pradesh :

Districts

Gorakhpur and Deoria	..	..	7.12 lakh acres

An area of 1.44 lakh acres is expected to be irrigated by the Project in Nepal.

The Gandak Power House will have an instulated capacity of 15,000 kw. The power House will be handed over to the Nepal Government after the full load of 10,000 kw. at 60% load factor has been developed in Nepal from the Power House.

शक्तिचालित करघे के लिये सूती धागे पर सज्जीकरण अधिभार

953. **श्री बसवन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाबावी में 1 जून, 1917 से 31 दिसम्बर, 1967 तक उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा शक्तिचालित करघे के लिये सूती धागे पर सज्जीकरण अधिभार वसूल किया गया था;

(ख) क्या वसूल की गई राशि निर्धारित्त लक्ष्य से कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कितनी राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

सूती धागे पर साइजिंग लगाना

954. **श्री बसवन्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती धागे पर सज्जीकरण उत्पादन शुल्क लगाये जाने के पश्चात् सूती धागा इस्तेमाल करने वाले विद्युत् चालित करघा उद्योग बड़ी कठिनाई में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 1967 के के बाद बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कहा गया था कि मांड लगे सूती धागे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की दरों में वृद्धि कर देने से विद्युत् चालित करघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस मामले पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

कोचीन कस्टम हाउस के निलम्बित अधिकारी

955. श्री नायनार : श्री अनिरुद्धन :
श्री प० गोपालन : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन कस्टम हाउस के इस समय कितने अधिकारी निलम्बित हैं ;

(ख) उनके विरुद्ध विभागीय जांच पूरी करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या किसी मामले में यह समय-सीमा बीत चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) कोचीन सीमा शुल्क गृह के दो अधिकारी, उनके विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही के सिलसिले में, इस समय नौकरी से मुअत्तल हैं '

(ख) ऐसे कोई नियम अथवा आदेश नहीं हैं जिनमें मुअत्तल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा करने सम्बन्धी किसी निश्चित मियाद की व्यवस्था हो । विभागीय आदेशों में केवल इतनी ही व्यवस्था है कि जिन मामलों में अधिकारियों की अनुशासनिक कार्यवाही शुरू किये जाने से पहले ही मुअत्तल कर दिया गया हो उनमें आरोप-पत्र (चार्ज-शीट) मुअत्तल किये जाने की तारीख से छः महीने के अन्दर जारी कर दी जानी चाहिए ।

(ग) इन दो मामलों में आरोप-पत्र जारी किये जाने की मियाद की तारीख अभी नहीं गुजरी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में परिचारक कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता

956. श्री नायनार : श्री अनिरुद्धन :
श्री रमानी :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों के परिचारक कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता बढ़ाये जाने के बारे में उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) से (ग) इस प्रार्थना-पत्र पर अभी विचार किया जा रहा है । क्योंकि इस पर अन्त-

विभागीय परामर्श करना आवश्यक है इसलिये निश्चित रूप से यह बतलाना संभव नहीं है कि इस पर कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

कुन्द्रा सिंचाई योजना

957. श्री नायनार : श्री के० रमानी :
श्री गणेश घोष :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर जिले में कुन्द्रा सिंचाई योजना को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (ग) ऐसी सूचना मिली है कि राज्य सरकार कुन्द्रा सिंचाई परियोजना को अन्तिम रूप दे रही है ।

छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल कांड

958. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार ओमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी सादड़ी स्वर्ण गोलमाल कांड के अपराधी ने उस पर व्यक्तिगत रूप से किए गये जुर्माने का अभी तक भुगतान नहीं किया है ।

(ख) यदि हां, तो जुर्माने की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कांड से उत्पन्न अन्य मामले पर क्या कार्यवाही की गई है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) श्री छगन लाल गोदावत ने अभी तक दण्ड अदा नहीं किया है । सरकार को देय रकमों को वसूल करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ; दण्ड को भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिये मन्दसौर के जिलाधीश को एक 'प्रमाणपत्र' जारी कर दिया गया है । दण्ड की अदायगी से बचने के लिये श्री छगन लाल गोदावत द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण की कोशिशों को रोकने के लिये मन्दसौर तथा चित्तौड़गढ़ के जिलाधीशों को भी सतर्क कर दिया गया है ।

(ग) सोने की जब्ती और दण्ड लगाने से सम्बन्धित विभागीय न्याय-निर्णय की कार्य-वाही सितम्बर, 1966 में पूरी हुई थी । एक मुकदमा भी दायर कर दिया गया है जो मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है ।

ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन

959. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1967 के 'ब्लिट्ज' समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन से भारत को लगभग 80 लाख पौंड की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जैसा कि मैंने इस सभा में दिये गये अपने 20 नवम्बर, 1967 के वक्तव्य में और उसके बाद 14 दिसम्बर, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर में बताया था, पौंड-स्टर्लिंग के अवमूल्यन से ठीक पहले भारत की स्टर्लिंग राशि 340 लाख पौंड की थी। अवमूल्यन के परिमाणस्वरूप, इस राशि का मूल्य सोने या विदेशी मुद्राओं के रूप में 14.3 प्रतिशत अथवा 48.6 लाख पौंड के बराबर कम हो गया, हालांकि ब्रिटेन में भारत की अदायगी सम्बन्धी देनदारियों को पूरा करने के लिए, स्टर्लिंग के रूप में इसके मूल्य में कोई कमी नहीं हुई। इस वास्तविक स्थिति को देखते हुए, प्रश्न के भाग (क) में जिस समाचार का उल्लेख किया गया है वह सही नहीं है।

स्क्रीन प्रिंटरों पर उत्पादन शुल्क

960. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा निर्माता संघ अमृतसर ने अप्रैल, 1962 से फरवरी, 1964 तक की अवधि के लिये स्क्रीन प्रिंटरों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मई, 1962 में तत्कालीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर ने स्क्रीन प्रिन्टरों को आश्वासन दिया था कि वे 24 अप्रैल, 1962 को सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 51/62 के अन्तर्गत नहीं आते और उनके द्वारा प्रिन्ट किये गये सामान पर शुल्क नहीं लिया जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिये अमृतसर के स्क्रीन प्रिंटरों पर शुल्क लगाए जाने की मांग किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चले कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनायें

961. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री श्रीगोपालन साबू :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राजस्थान में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 की अनुमानित प्रगति की तुलना में वास्तविक प्रगति बहुत कम होगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और प्रगति में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(घ) वर्ष 1968-69 में इन योजनाओं की क्रियान्विति शीघ्रता से करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा वर्ष 1968-69 में इन योजनाओं को क्रियान्विति के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) कमी मुख्यतः राजस्थान नहर में है ; 1967-68 के लिए परिव्यय प्रबन्ध 3 करोड़ का किया गया था जब कि 1966-67 में 5 करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

(घ) 1968-69 के परिव्यय प्रबन्ध को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ऋण सहायता

962. **श्री रेवती नन्दन पाटोदिया : श्री वाघानी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों में घटी विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता की अनुमित राशि पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में विदेशी सहायता की कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) 1967-68 के दौरान, भारत सहायता संघ (कंसार्शियम) के सदस्यों ने अब तक 35.28 करोड़ डालर की गैर-प्रायोजना सहायता के वचन दिये हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सहायता संघ के सदस्यों से 6.54 करोड़ डालर की और अन्य देशों से 1.5 करोड़ डालरों की प्रायोजना-सहायता प्राप्त हो चुकी है।

1968-69 में कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है, इसका पता तभी चलेगा जब इस विषय पर भारत सहायता संघ 1968-69 के शुरू में विचार कर लेगा।

(ग) इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि 1969-1974 की अवधि में कितनी सहायता मिलेगी।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र

963. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री मयावन :**
श्री रामभद्रन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विवाद के कारण फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी ने हल्दिया उर्वरक संयन्त्र में सहयोग देने की अपनी पेशकश वापस ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो मतभेद किन-किन बातों पर है ; और

(ग) क्या मतभेद को दूर करने के लिये प्रयत्न किये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी नहीं। फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी ने बताया है कि हल्दिया में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के अपने प्रस्ताव को वापस लेने के कारण हैं—अमरीका में धन सम्बन्धी मामलों में तंगी; विश्व के विभिन्न भागों में डालर के निवेश में प्रतियोगिता और पौंड के अवमूल्यन से उत्पन्न अनिश्चितता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरकों का मूल्य

964. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री देवव्रत बरुआ :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अनुमान के अनुसार छः से सात वर्ष की अवधि में भारत में उर्वरकों का मूल्य 30 प्रतिशत कम हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमान किन तथ्यों पर आधारित है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) यह आशा है कि वर्तमान कारखानों की तुलना में नये उर्वरक कारखानों में उर्वरकों के उत्पादन की लागत में कमी होगी। नये निर्माणाधीन संयंत्रों की क्षमता अधिक होगी और इन में आधुनिक तकनीकी अर्थात् स्टीम रिफार्मिंग प्रोसेस, एकाकी धारा युक्त अपकेन्द्रिक संपीडक आदि का प्रयोग होगा और फलस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी हो जाने से विक्रय मूल्यों में कमी हो जायेगी।

जम्मू में तेल के लिये छिद्रण-कार्य

965. **श्री काशीनाथ पाण्डेय : श्री क० लकप्पा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में एक झील में पर्याप्त मात्रा में तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में विस्तार से छिद्रण-कार्य आरम्भ करने का विचार किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) एक बड़ी अपनत रचना अर्थात सूरिन-मस्तगढ़ रचना, को भूगर्भीय तौर पर विस्तृत रूप से मापा गया है और भूभौतिकी तौर पर जांच भी कर ली गई है ;

(ग) इस संरचना के परीक्षणार्थ इस वर्ष के दौरान एक गहरे अन्वेषी कुएं के व्यधन करने का प्रस्ताव है ।

कोचीन सीमाशुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस)

966. श्री एस्थोस : श्री राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन सीमाशुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) में व्याप्त कदाचार तथा कुप्रशासन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सरकार को मिली शिकायतों में कोचीन सीमा-शुल्क गृह में भ्रष्टाचार तथा खराब प्रशासन व्यवस्था के आरोप हैं ।

(ख) इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

कोचीन कस्टम हाउस

967. एस्थोस : श्री विश्व नाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन कस्टम्स हाउस के किसी अधिकारी के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद अभियोग संबंधी कार्यवाही बन्द कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) कोचीन सीमाशुल्क गृह के एक अधिकारी को अक्तूबर, 1964 में तब तक के लिए मुअत्तिल कर दिया गया था जब तक उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती. बाद में इस अधिकारी को इस कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ कागज-पत्रों का निरीक्षण करने का अवसर दिया गया था जिससे वह आरोप-पत्र के उत्तर में लिखित स्पष्टीकरण दे सके। ऐसा संदेह हुआ कि इस निरीक्षण के दौरान इस अधिकारी ने दो महत्वपूर्ण कागज-पत्र प्रतिस्थापित कर दिये हैं। उन कागज-पत्रों को वापस लेने के उद्देश्य से जिलाधीश,

एरणाकुलम् की अदालत में फौजदारी शिकायत दायर की गयी। बाद में यह फैसला किया गया कि इस मामले पर आगे कार्यवाही न की जाय क्योंकि विशेष पुलिस संस्थापन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

नागार्जुन सागर बांध

968. **श्री सीताराम केसरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर बांध पर आरम्भ में कितनी लागत आने का अनुमान था और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है,

(ख) क्या यह सच है कि इस बांध की नहरों से सिंचाई किया गया कुल क्षेत्र बांध के पूरा होने पर संभावित क्षेत्र से एक चौथाई से भी कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बांध के दोनों ओर नहरों के निर्माण का कार्य भी नियत समय के अनुसार पूरा नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के पूरा करने के लिये कितना और धन चाहिए और क्या इसके लिये आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) 91·12 करोड़ रुपये के स्वीकृत प्राक्कलन के प्रति जनवरी, 1968 के अन्त तक 129 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत के 160 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगभग 31 करोड़ रुपये और चाहिए। परियोजना की कार्यान्विति के लिए राज्य सरकार को राज्य योजना में निर्धारित राशि तक शतप्रतिशत केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

नसबंदी का आपरेशन

969 **श्री सीताराम केसरी :** **श्री राम सेवक यादव:**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि धन लाभ की दृष्टि से कुछ ऐसे लोग भी नसबन्दी कराते हैं, जिनका आपरेशन नहीं किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन आपरेशनों का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ; तथा

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्र शेखर):

(क) जी हां, ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में पूरी सतर्कता बरतने और निगरानी रखने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

गण्डक परियोजना का निष्पादन

970. श्री सीताराम केसरी :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या सिंचाई और वित् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गण्डक परियोजना पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और अब तक इस पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने, और इसे पूरा करने के लिये अपेक्षित धन और विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) गण्डक परियोजना की कुल अनुमित लागत 41·71 करोड़ रुपये है। जुलाई, 1967 तक परियोजना पर 40·85 करोड़ रुपये खर्च हुये थे ।

(ख) और (ग) परियोजना पर कार्य लगभग अनुसूची के अनुसार ही चल रहा है । किन्तु धन की कमी के कारण उसके पूरा होने में विलम्ब होने की सम्भावना है ;

(घ) वर्तमान साधनों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए यथासंभव वित्तीय सहायता दी गई है । धन की कमी के कारण निर्माण कार्य को उपयुक्त रूप से चरणित किया जा रहा है । मशीनरी के आयातार्थ विदेशी मुद्रा के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रार्थना पत्र इस समय विचाराधीन नहीं है।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अंतर्गत फालतू इंजीनियर

971. श्री सीताराम केसरी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के कुछ विभागों में कुछ तकनीकी कर्मचारी (इंजीनियर) आवश्यकता से अधिक (फालतू) घोषित किये गए हैं ;

(ख) उनके मन्त्रालय के अधीन नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की संख्या इस समय कितनी है और क्या मन्त्रालय का विचार फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार छंटनी किये गये कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी दिलाने

और नये स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

कराधान जाँच आयोग की नियुक्ति

972. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री न० कु० साल्वे :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुई कराधान संबन्धी विचार गोष्ठी में यह सिफारिश की गई है कि कर संबंधी मूल नीतियों और कर सम्बंधी विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कर निर्धारण के बारे में नयी व्यापक जांच के लिये एक कर-जांच आयोग नियुक्त किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) समाचार पत्रों की खबरों में बताया गया है कि जनवरी, 1968 में चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा कराधान के विषय पर आयोजित गोष्ठी ने कराधान जांच आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की है। किन्तु सरकार को अभी तक इस सम्बंध में संस्था से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कर-कानूनों को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने बाबत श्री एस० भूतलिंगम् की अंतिम रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसकी जांच की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग भी कर-प्रशासन तथा प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के आवश्यक उपायों के अध्ययन में लगा हुआ है। श्री भूतलिंगम् द्वारा की गयी सिफारिशों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर सरकार जब विचार और निर्णय कर चुकेगी तभी किसी आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता की जांच हो सकेगी।

गंडक परियोजना

973. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्डक परियोजना के लिये बिहार सरकार की 4.38 करोड़ रुपये के ऋण की प्रार्थना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) बिहार सरकार को चालू वर्ष से इस परियोजना पर धन लगाने के लिए

कुल 5.50 करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं; 1.30 करोड़ रुपयों का एक और ऋण शीघ्र ही देने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी समापन योजना

974. **श्री वीवीकन :** क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली प्रशासन को कहा है कि झुग्गी-झोंपड़ी समापन योजना की क्रियान्विति दिल्ली विकास प्राधिकार को सौंप दी जाये:

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) स्टैंडी ग्रुप जो कि दिल्ली में झुग्गी–झोंपड़ी समस्या पर विचार करने के लिए निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त, 1967 में बनाया गया था, उसने यह अनुभव किया कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिक उपयुक्त एजेन्सी होगा। गृह मन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार किया गया था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि योजना को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाये। यह महसूस किया गया था कि प्राधिकरण में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधि होते हैं तथा इसे योजना सौंप देने से झुग्गी निवासियों के लिए एकीकृत योजनाएँ बनाने में सहायता मिलेगी। दिल्ली प्रशासन इस निर्णय की एक पार्टी है।

कोका कोला का स्वास्थ्य पर प्रभाव

975. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका के नेवल मेडीकल रिसर्च इन्स्टीटयूट में किये परीक्षण के अनुसार प्योर प्रोडक्टस कम्पनी द्वारा बनाये जाने वाले कोका कोला में मिलाये जाने वाले केफीन तथा गन्धक के तेजाब के मिश्रण से विभिन्न किस्म के रोग होते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से कोका कोला के बोतलों में भरे हुए द्रव का पदार्थ विश्लेषण कराने तथा मानव स्वास्थ्य पर इन तत्वों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिये कोई मेडिकल समिति नियुक्त करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री० ब० सू० मूर्ति)

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका के नेवल मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट में ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग किया गया जिससे कोला द्रव्यों में रखे मनुष्य के दांतों को नर्म पड़ने तथा थोड़े समय में ही घुलना शुरू होने का पता चला है। तथापि अमरीका के केलिफो-

निया विश्वविद्यालय चिकित्सा-केन्द्र के डाक्टर जेम्ज नक्कोलस और एमरी विश्वविद्यालय के डा० जान हाल्डी ने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया है ।

(ख) और (ग) कोका कोला में शामिल चीजों का कई बार विश्लेषण किया जा चुका है तथा इन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 में निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। पोषण अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किये गये प्रयोगों से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि कोका कोला मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । इस ये मानव स्वास्थ्य पर कोका कोला के प्रभाव जानने के लिये किसी चिकित्सा समिति की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है ।

Pay Scales of Customs Officers Working at Bombay Air Port

976. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The pay scale of Customs Officers working at Bombay Airport and the hours of work they are required to put in daily ;

(b) whether it is a fact that their pay scales are still the same as were fixed 30 years ago and these have not been revised along with the pay scales of other Government employees ;

(c) whether it is also a fact that the said Customs Officers are not allowed to avail themselves of holidays like other Government employees ;

(d) whether it is further a fact that adequate arrangements have not been made by Government for their residence also ; and

(e) if so , the action Government porpose to take to improve the service condiitions ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Customs Officers at Airports are drawn both from the Customs and Central Excise Departments. They continue to draw pay in the scales admissible to them in their parent Departments but are given certain allowances in addition. The different grades in the Customs and Central Excise Departments from which persons are drawn for the Airports are given in the enclosed Annexure together with the allowances. **[Placed in Library. See. No. LT-119168]**

At Bombay Airport, each Air Customs Officer puts in 58 hours of work in a cycle of eight days.

(b) No, Sir. The pay scales were revised twice ; once on the recommendation of the Ist Pay Commission in 1947 and last with effect from Ist July, 1959 on the recommendations of the Second Pay Commission along with the pay scales of other Government employees.

(c) As stated at (a) above, these officers work in shifts, in rotation in a cycle order, as the work at the Airport is round the clock. Though the average number of hours they put in per weak is slightly higher than Government servants with fixed hours of duty, they are compensated by having longer off-hours in between their shifts and by being given compensatory allowance.

(d) Number of Air Customs Officers Class III, posted at Bombay is 68. 20 flats in the Civil Aviation Colony near the Bombay Airport have been earmarked for these Customs Officers.

(e) The Customs Study Team have recently made some recommendations which include a complete reorientation and streamlinging of the existing arrangements at the various International Air ports including the formation of a separate baggage pool, improvement in the service condititions of their staff with payment of overtime and other incentives. These recommendations are under consideration of the Government.

पूंजी विनियोजन पर अमरीकी प्रतिबन्ध

977. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका की सरकार से इस बारे में आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा अमरीकी पूंजी विनियोजन और विदेशी यात्रा पर हाल ही में घोषित किये गये प्रतिबन्धों से भारतीय व्यापार में बाधा नहीं पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो आश्वासन का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने वाले पूंजी-निवेश और विदेश यात्राओं पर किस प्रकार की पाबंदियां लगायी जाएंगी और उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसका विस्तृत ब्योरा अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा तैयार करना है । इसलिए अभी यह अनुमान लगाना समय के बहुत पूर्व होगा कि इन पाबन्दियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिये जाने का सवाल अभी तक नहीं उठा है और न इस प्रकार का आश्वासन मिला है ।

उड़ीसा के तूफान-पीड़ित लोगों का पुनर्वास

978. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये एक ज्ञापन पत्र में यह प्रार्थना की है कि भारत सरकार तूफान पीड़ित लोगों को सहायता और पुनर्वास के के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये की और व्यवस्था करे ;

(ख) क्या सरकार ने इस ज्ञापन-पत्र पर विचार कर लिया है ; और

(ग) उस ज्ञापन में सुझाये गये उपायों को कार्य रूप देने के लिये सरकार ने और कितनी धनराशि मन्जूर की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अस्पृश्यता विषयक समिति

979. श्री सिद्दय्या : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अस्पृश्यता विषयक समिति द्वारा अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) सरकार राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बंधित प्राधिकारियों की सलाह से अभी तक सिफारिशों का परीक्षण कर रही है । हरिजन-कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय

सलाहकार बोर्ड के विचारों को जानने का भी प्रस्ताव है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट भी इसी महीने में पेश किए जाने की आशा है ।

मद्य-निषेध

980. श्री सिद्दय्या : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों में मद्य-निषेध समाप्त न करने तथा उसमें ढील न देने के लिये राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

राज्य सरकारें यदि चाहें तो उन्हें मद्य-निषेध करने की स्वतंत्रता है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह संविधान में दी गई नीति का पालन करने की चेष्टा कर रही है ।

नर्मदा बांध का निर्माण

981 : श्री शशि भूषण बाजपेयी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नर्मदा बांध के निर्माण से पहले रेलवे सम्पर्क तथा सड़कें बनाई जानी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी, हां ।

(ख) परियोजना के प्राक्कलनों की जांच करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पहुँच सड़कों और रेल की साइडिंग आदि बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन का प्रबन्ध किया गया है ।

Supply of Imported Stationery to the Office of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

982. **Shri Shashibushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the imported stationery is at present being supplied to the Accountant General, Central Revenues, Delhi and his Assistants ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reactions of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**):

(a) The Government of India Stationery Office have not supplied to the Accountant General, Central Revenues, New Delhi any imported item of stationery since 1965-66. However, when supplies of stationery by the Chief Controller of Printing and Stationery were inadquate and could not meet the urgent needs of official work, the Accountant General had to resport to local purchase. During 1967-68 some stationery articles were purchased locally out of which articles worth Rs.41 were of foreign make.

(b) and (c) The above articles have been purchased locally for official use keeping in view their quality, utility and need.

नन् (ईसाई भिक्षुणियों) से पकड़ी गई विदेशी मुद्रा

983. श्री नम्बियर: श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री मुहम्मद स्माइल : श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो नन् (ईसाई भिक्षुणियों) के पास जो 19 जनवरी, 1968 को हालैंड से आई थीं, अघोषित विदेशी मुद्रा पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य की अघोषित विदेशी मुद्रा पाई गई थी ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) चोरी-छिपे विदेशी मुद्रा लाने को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हां ।

(ख)	फ्रेंक	—	3185
	अमरीकी डलर	—	95
	बेल्जियन फ्रेंक	—	500
	स्टर्लिंग पौंड		17

(ग) उपर्युक्त मुद्रा पकड़ ली गई हैं तथा मुद्रा की घोषणा न करने के अपराध में सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(घ) विदेशी मुद्रा के भारत से निर्यात पर तथा उसके भारत में आयात पर प्रतिबन्ध हैं । उसका निर्यात अथवा आयात तभी किया जा सकता है जब निर्धारित मुद्रा घोषणा फार्म में उसको घोषित किया गया हों । माल तथा विदेशी मुद्रा के चोरी छिपे आयात निर्यात को रोकने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं ; सूचना का व्यवस्थित ढंग से संग्रह तथा उस की परवर्ती कार्यवाही, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, उचित मामलों में तलाशियां लेना तथा माला पकड़ना एवं उचित मामलों में अदालतों में मुकदमे चलाना ।

कोचीन में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातकों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाया जाना

984. श्री नम्बियार : श्री चक्रपाणी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कोचीन में समुद्री खाद्य

पदार्थों के कुछ निर्यातक निर्यात के कम मूल्य के बीजक बना रहे हैं और विदेशों में विदेशी मुद्रा जमा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) हाल में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु 1963 में इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कोचीन तथा दक्षिण भारत के कुछ अन्य स्थानों पर समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाले कुछ लोग निर्यात का बीजक में कम मूल्य दिखा रहे हैं, किन्तु जांच-पड़ताल की जाने पर, बीजक में कम मूल्य दिखाने का कोई मामला देखने में नहीं आया।

नायलोन तथा रेयन धागे की तस्करी

985. श्री नम्बियार :　　　　　　　　　श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० राममूर्ति :　　　　　　　　　श्री चक्रपाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी 1968 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पाकिस्तान से भारी मात्रा में नायलोन-सूत चोरी-छिपे भारत में लाया जाता है जबकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में रेयन सूत बाहर को चोरी-छिपे ले जाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)।

(क) और (ख) यह समाचार सरकार की जानकारी में आया है किन्तु नायलोन के सूत के पाकिस्तान से भारत में चोरी छिपे आयात करने अथवा रेयन के सूत के भारत से बाहर चोरी-छिपे निर्यात करने का कोई संकेत नहीं मिला है। फिर भी, सीमा-शुल्क अधिकारी इस सम्बन्ध में सतर्क हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें

986. श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के विरुद्ध क्वार्टरों के अलाटियों द्वारा इस आशय की अनेक शिकायतें की गई हैं कि मरम्मत आदि के लिये उनके द्वारा की गई प्रार्थना पर कार्यवाही करने में विलम्ब किया जाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में इन पूछताछ कार्यालयों में एक वर्ष पहले क्वार्टर के दरवाजे टूटने के बारे में दर्ज कराई गई शिकायतें दूर नहीं की जाती, न तो उनकी मरम्मत की गई है और न ही उनके स्थान पर नये दरवाजे की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि क्वार्टर में रहने वाले लोगों की शिकायतें शीघ्र दूर की जायें ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) देरी की शिकायतें प्रायः प्राप्त होती हैं। ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं जो कि एक वर्ष से पड़ी हो।

(ग) सभी पूछताछ कार्यालयों में अनुरक्षित शिकायत पंजी से सम्बंधित अधीक्षक इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों के द्वारा समय-समय पर जांच से शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देना आश्वासित है। पूछताछ कार्यालय तथा अनुरक्षण करने वाले कर्मचारियों के बीच तुरन्त सम्पर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि शिकायतों का शीघ्र निपटान निश्चित हो जाये।

नई दिल्ली में पंचकुइयां रोड पर अन्धों की संस्था

987. श्री म० ला० सोंधी : श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री चक्रपाणि :
श्री पं० गोपालन :

क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकुइयां रोड स्थित अन्धों की संस्था, नई दिल्ली में हाल ही में हुई निर्मम घटना का सरकार को पता है जिसमें किराये के गुण्डों ने वहां रहने वाले सभी अन्धों को पीटा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी संस्थाओं को जिन्हें गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा सन्तोषजनक रूप से नहीं चलाया जा रहा है, अपने हाथ में लेने का है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) और (ख) पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार कुछ छात्रों तथा प्रबन्धकों में हाथापाई हुई थी। स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। आठवीं कक्षा में पास हुए कुछ छात्रों को स्कूल को छोड़ जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां उन्हें और अधिक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं थी। जब छात्रों को नोटिस दिया, तो उन्होंने उस पर आपत्ति की और हाथापाई हो गई।

बताया जाता है कि छात्रों को कुंद हथियारों से मामूली चोटें आई थी । यह प्रज्ञेय अपराध नहीं हैं, इसलिये पुलिस कोई कार्रवाही नहीं कर सकी ।

(ग) जी, नहीं ।

नई दिल्ली की पंचकुइया रोड पर अंधों की संस्था

988. **श्री म० ला० सोंधी : श्री प० गोपालन :**

क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुइयां रोड स्थित अन्धों की संस्था नई दिल्ली के अन्धे छात्रों को, जो उच्चतर अध्ययन में लगे हैं, छात्रवृत्तियां 8–10 महीने के बाद मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठीक समय पर छात्रवृत्तियां दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) सरकार ने किसी अंधे छात्र को पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली स्थित अन्धों की संस्था में अध्ययन करने के लिये कोई छात्रवृत्ति नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हुमायूं रोड, नई दिल्ली

989. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हुमायूं रोड 16 महीने तक बन्द रही थी;

(ख) क्या सरकार को स्कूल जाने वाले हजारों बच्चों तथा कार्यालय जाने वाले हजारों कर्मचारियों को हुई असुविधाओं का पता है ;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हां ।

(ख) स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वालों को कोई असुविधा न हो इसके लिये वैकल्पिक मार्ग खोल दिये गये थे ।

(ग) और (घ) बताया गया है कि यह कार्य नियत समय में पूरा हो गया था । इसलिए संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं ।

Unauthorised Colonies in Delhi

990. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal from the Delhi Municipal Corporation

to the effect that the unauthorised colonies in Delhi should be declared as authorised by amending the Master Plan ; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Shifting of Central Government Offices From Delhi

991. **Shri Hardayal Devagun** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have deferred the porposal of shifting Central Government offices from Delhi ;

(b) the number of Central Government offices shifted from Delhi since March, 1966 ; and

(c) the number of offices which were formerly schduled to be shifted, but have not been shifted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) No.

(b) The following offices have shifted from Delhi since March, 1966 :—

1. National Sample Survey Directorate, Cabinet Secretariat (bulk portion).
2. Exploratory Tubewell Organization, Ministry of Food and Agriculture (Part)
3. Storage Distribution Sections of the publication Division, Ministry of Information and Broadcasting (part)
4. Central Water and Power Commission, Ministry of Irrigation and Power (Some Directorates of the Water and Power Wings).
5. Regional Office of the Iron and Steel Controller, Department of Iron and Steel.

(c) The Government have since decided that the following offices out of those which were scheduled to be shifted outside Delhi either wholly or in part, in terms of the decisions of the Cabinet taken in their meetings held on the 28th December 1962 and 23rd January 1963, may coninue in Delhi for the present :

1. Department of Light Houses and Light ships (Ministry of Transport and Shipping)
2. Central Hindi Directorate (Ministry of Education)
3. National Buildings Organisation (Ministry of Works, Housing and Supply).
4. All India Handicrafts Board (Ministry of Commerce).
5. Office of the Registrar of Newspapers for India.

As regards the shifting of the remaining offices outside Delhi, the matter is being pursued with the Ministries/Departments concerned. The names of these offices are given below :

1. Plant protection Quarantine and Storage Directorate.
2. Publication Unit of the Indian Council of Agricultural Research.
3. Central Warehousing Corporation.
4. Distribution Unit of the Department of Tourism.
5. National Projects Construction Corporation.

6. Bhakra and Beas Dam Designs Directorate, Ministry of Irrigation and Power. (Major portion still in Delhi).

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में राष्ट्रीय नेत्र-विज्ञान संस्था की स्थापना

992. **श्री अंबुचेजियान :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में एक राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य क्या होगा और इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना की स्थापना पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) और (ख) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र नामक एक नेत्र विज्ञान केन्द्र पहले ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाव नई दिल्ली में खोल दिया गया है जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं ।

(1) नेत्र विज्ञान की स्नातकोत्तर शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान कार्य का विकास करना ;

(2) नेत्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना ;

(3) नेत्र वैज्ञानिकों तथा तत्सम्बन्धित सहायक कर्मचारियों जैसे ओप्टोमिट्रिस्ट आर्थोप्टिस्ट्स फण्डस आर्टिस्टों आदि के प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करना ;

(4) स्वास्थ्य कर्मचारियों को निरोधी नेत्र विज्ञान के प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करना ;

(5) नेत्र विज्ञान में अनुसंधान की सुविधाओं की व्यवस्था करना, नामत :

(क) दृष्टि संबन्धी अनुसंधान

(ख) क्लिनिकी अनुसंधान

(ग) प्रयोगात्मक अनुसंधान

(घ) नैदानिक तथा चिकित्सीय नये-नये औजारों और उपकरणों का निर्माण ;

(6) अन्धों के पुनर्वास के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(7) नेत्र चिकित्सकों के लिये नेत्र विज्ञान के अभिनवन पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) की सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(8) नेत्र कोष (आई बैंक) संबन्धी प्रशिक्षण संचालन तथा अनुसंधान जिसमें निरोपण और उपरोपण भी सम्मिलित हैं की सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ग) इस परियोजना पर 5 वर्ष की अवधि में 90 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

लूप का निर्माण

993. **श्री अंबुचेजियान:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार कानपुर स्थित कारखाने में रूसी तथा डेनमार्की लूप बनाने का है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि रूसी लूपों की तुलना में डेनमार्की लूप अच्छे साबित हुए हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) जी नहीं।

(ख) डेनिश लूपों की अभी क्लिनीकल जांच की जा रही है। सोवियत लूप अभी तक जांच के लिये प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये विदेशों से सहायता

994. **श्री अंबुचेजियान:**
श्री शिवचन्द्र झा:
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा:
श्री काशीनाथ पांडे:
श्री प्रेमेन्द्र शर्मा:

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क और रूस को छोड़कर किन्हीं अन्य देशों ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) उनकी सहायता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी:

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं:—

1. खाने वाले गर्भनिरोध प्रदर्शन 560,000 डालर

2.	जनविद्या	75,000 डालर
3.	परिवार नियोजन प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना	82,500 डालर
4.	व्यावसायिक वितरण कार्यक्रम (विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए धन प्रदान करने के लिए अभी बातचीत चल रही है)	10 करोड़ निरोध

जापान :

निरोध की खरीद के लिए 4 लाख डालर के बराबर येन राशि का ऋण उपलब्ध किया गया है ।

स्वीडन :

स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने स्वीडन सरकार को भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता के लिये निरोध, छपाई प्रेस, फोटो उपकरण, मोटर गाड़ी आदि सामान और उपकरणों के रूप में देने का सुझाव दिया है ।

इंगलैण्ड :

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए खास-खास सामान और सेवाओं के रूप में सहायता का सुझाव दिया है । इस पर विचार-विमर्श और बातचीत चल रही है ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की समग्र आवश्यकताओं के लिए विभिन्न स्रोतों से सहायता के समन्वित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है ।

Grassy Lawns in Government Colonies in Delhi

995. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that grass has not been planted so far in the parks in Nanakpura, Moti Bagh, Ramkrishnapuram, Netaji Nagar, Nauroji Nagar, Sarojini Nagar, Laxmibai Nagar, Kidwai Nagar and other Government colonies in Delhi, where Government employees belonging to low income groups are living, while many Malis are working in big Government bungalows ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(c) Lawns are developed in all the colonies regularly. Because of inadequate supply of unfiltered water, there are a few areas where the development could not be undertaken properly. Efforts are, however, constantly being made to develop the lawns in these areas by augmenting the water supply whenever possible.

Procedure for Allotment of Shops in Ramakrishnapuram

996. **Shri Bal Raj Modhok** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the procedure followed since 1963 for the allotment of shops to the shopkeepers in Ramkrishnapuram, New Delhi ;

(b) whether the shops were allotted by inviting tenders or applications or under the jhuggi-jhonpri scheme and the factors kept in view when the allotment was made on the basis of applications ;

(c) whether it is also a fact that many of these shops were transferred in the names of other persons and if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the pugree for these shops in Ramakirshnapuram ranges from Rs. 8,000 to Rs.12,000 ; and

(e) the action which has been taken or porposed to be taken to prevent such practices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) The initial allotments of shops in R. K. Puram were made keeping in view the blanced representation of various trades and the capacity of the allotment concerned. This was not done under the Jhuggi-jhonpri Scheme. The subsequent allotments of shops were made on tender basis.

(c) Instances of subletting of shops do come to the notice of Government from time to time. The following action is taken in such cases :

(i) When a shop is sublet to a third party and the subletee apporaches the Government for regularisation, the shop is regularised in favour of the sublettee in accordance with the existing instructions for the Administration of Markets, provided he can establish that he is in aoccupation of the shop, clears the entire arears of rent and agrees to pay licence fee euqal to the market rent fixed for the shop plus 50 percent thereof.

(ii) In cases where the Government come to the conclusion that the shop has actually been sublet to a third party, but the sublettee does not approach for regularization of the shop, the allotment is cancelled and action taken to evict him under the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1958.

(d) We have no information.

(e) Transfer of shops by their occupants to third parties is a normal business for the Administration of Markets for dealing with the matter as explained in the reply to part (c) above.

Representation from Khokha Association of Ramkrishnapuram

997. **Shri Bal Raj Modhok : Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have agreed to allot shops or sites for shops to the Khokha Association of Ramkrishnapuram, New Delhi which had been representing to Government for the last four years for allotment of shops ;

(b) whether it is also a fact that the said Association has made a complaint to Government that allotment to them is being delayed although they are out of business for the last four years; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter and the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) Squatters removed from Ramakrishnapuram in July, 1964 were not eligible for the allotment of alternative accommodation under the Jhuggis and Jhonpris Removal Scheme. However, as a special case, it was decided to provided alternative accommodation to 253 of the squatters removed from this area, in the shopping centres planned under the Scheme.

(b and (c) Yes. The question of provision of shop plots or platforms for them is under active consideration of Government and the matter is expected to be finalized shortly.

Civic Amenities to Shopkeepers of Ramkrishnapuram (New Delhi):

998. **Shri Bal Raj Modhok : Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that public hydrants, latrines and bathrooms have not been provided to the shopkeepers in some Sectors of Ramakrishnapuram, New Delhi although four years have lapsed ; and

(b) if so, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) Lavatories, bathrooms and water taps have been provided in the shopping centres in Sectors V to VII, Ramakrishnapuram and the work is in progress in Sectors I to IV and VIII and XII.

The work is expected to be taken up shortly in Sectors IX and XIII.

(b) It is the responsiblity of the local body to maintain the lavatory blocks, etc., in shopping centres. There has been delay in the construction of lavatory blocks because the Municipal Corporation of Delhi did not undertake to maintain the lavatory blocks, etc. Even so, Government have decided to provide lavatory blocks etc. in all the shopping centres.

Allotment of Quarters in Sector VIII of Ramakrishnapuram

999. **Shri Bal Raj Madhok : Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whther it is a fact that all the quarters in Sector VIII of Ramakrishnapuram, New Delhi had been allotted about two months back;

(b) whether it is also a fact that electricity has not been supplied in the said quarters so far when the street light has aready been provided there ;

(c) whether it is also a fact that the water supply is not adequate in this sector ; and

(d) if so, the reasons for not supplying electricity and inadequate water supply in the quarters of the said sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes.

(b) Electricity has not yet been provided in the quarters or in the streets.

(c) Water supply to the quarters has been restricted to a few hours in the morning and in the evening, due to general shortage of filtered water.

(d) There was disagreement between the Delhi Electric Supply Undertaking and Government over the basis of payment to be made to the Undertaking for the electrification works. Payments have since been made and the work, which is in progress, is expected to be completed in the next two months.

भारत के उर्वरक निगम के अधिकारियों के दौरे

1000. श्री श्रीधरन : श्री लकप्पा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उर्वरक निगम के अधिकारी देश के विभिन्न भागों में बार-बार और अनावश्यक दौरे करते हैं;

(ख) उर्वरक निगम के विभिन्न यूनिटों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली का दौरा करने के लिये 1967 में कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में खर्च कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :
(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में रोगी लोगों की संख्या

1001. श्री श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय चिकित्सक सम्मेलन के प्रधान के हाल ही के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत में सदा साढ़े छः करोड़ लोग बीमार रहते हैं;

(क) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कितने प्रतिशत रोग कुपोषण के कारण होते हैं; और

(ग) देश में रोगों को घटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) दिसम्बर 1967 में जबलपुर में हुए 43वें अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा था कि लगभग 13·3 प्रतिशत लोग हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं जिनमें से 4·3 प्रतिशत गम्भीर बीमारियों से, 7·3 प्रतिशत पुराने रोगों से तथा 1·7 प्रतिशत हलकी-फुलकी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं ।

(ख) रुग्णता दर और मृत्यु दर रिकार्ड करते समय आमतौर पर कुपोषण को रिकार्ड नहीं किया जाता । इसलिये कुपोषण के फैलाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है । वैसे, 9 खण्डों में किये गये पोषण सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कुपोषण से पीड़ित गम्भीर रोगी करीब 9·6 प्रतिशत तक हो सकते हैं ।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा-केन्द्रों, बाल-कल्याण-केन्द्रों और प्रसूति-केन्द्रों तथा अस्पतालों में विभिन्न विशेषज्ञ विभागों की स्थापना करके देश में स्वास्थ्य-सेवाओं को सुधारने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता से भारत सरकार के विभिन्न विभाग कुपोषण की समस्या के हल के लिये एक समन्वित प्रयास कर रहे है। इसमें रोगानुकूल व्यक्तियों में बड़े पैमाने पर अनुपूरक भोजन कार्यक्रम चलाना, पौष्टिक भोजन तैयार करना और उसका वितरण करना, हर सम्भव प्रकार से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और उसका विस्तार करना, व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम चलाना तथा प्रारम्भिक मामलों की जांच और चिकित्सा करना सम्मिलित है।

बच्चों के पोषण के स्तर को सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय बरते जाते हैं।

(1) निम्नलिखित कार्यक्रमों द्वारा अनुपूरक भोजन उपलब्ध किया जाता है। ये कार्यक्रम विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से चल रहे हैं :–

(क) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन खिलाना।

(ख) बालबाड़ियों के माध्यम से भोजन खिलाना।

(ग) केयर भोजन कार्यक्रम, और

(घ) युनिसेफ दुग्धाहार कार्यक्रम।

(2) माताओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना ताकि वे अपने शिशुओं की पौष्टिक खुराक के लिए सामान्य मिलने वाले सस्ते भोजनों का उपयोग कर सकें।

(3) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य-केन्द्रों में कुपोषण के प्रारम्भिक मामलों का उपचार।

(4) खाद्य विभाग ने बालाहार बहुद्देश्यीय आहार और मां का दूध छुड़ाने में प्रयोज्य आहार जैसे उच्च प्रोटीन वाले आहार तैयार करने की परियोजनायें चलाकर बच्चों और दूसरे रोगानुकूल वर्गों में कुपोषण समाप्त करने के कदम उठाये हैं।

शमनकारी तथा सल्फा औषधियां

1002. श्री ओंकारन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मेडिकल कान्फ्रेन्स ने हाल की अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि जाली औषधियों की बिक्री को समाप्त करने के लिये शमनकारी तथा सल्फा औषधियों के प्रविक्रय पर नियंत्रण रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) दिसम्बर, 1967 में भारतीय चिकित्सा संघ ने जबलपुर में हुई अपनी पिछली बैठक में कोई ऐसा सुझाव दिया था भारत सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक कारखाने

1003. श्री श्रीधरन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के अधीन चलने वाले कारखानों में उत्पादिता को बढ़ाने और फिजूल के खर्च कम करने के लिये कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस योजना के कारण कोई सुधार हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) उत्पादन बढ़ाने, और खर्च को काबू रखने के लिए, जैसे सेवि-वर्ग के लिए प्रशिक्षण योजनाएं—अन्तरीय आडिट्, विधाओं में संशोधन, और जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त या सन्तुलन-सामग्री लगाने के लिए, भारतीय उर्वरक निगम ने कदम उठाये हैं।

(ग) जी हां।

कांडला उर्वरक कारखाना

1004. श्री चेंगलराया नायडू : श्री टी० वी० रामभद्रन् :
श्री को० सूर्यनारायण :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला उर्वरक परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति

1005. श्री चेंगलराया नायडू : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिये एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ।

(ख) समिति के सदस्यों की नामावली संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 120/68]

(ग) समिति को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1968 तक देनी है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में गुर्दा-प्रतिरोपण शल्य-क्रिया

1006. श्री वेंगलराया नायडू : श्री रामावतार शर्मा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का शल्य-क्रिया विभाग शीघ्र ही गुर्दा-प्रतिरोपण शल्य-क्रिया आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये अर्हताप्राप्त सर्जन (शल्य चिकित्सक) उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) और (ख) गुर्दों के प्रतिरोपण सम्बन्धी आपरेशन तभी किये जा सकते हैं जब किसी पूर्णतः जीवाणु रहित वार्ड तथा कृत्रिम गुर्दा एकत्र की सुविधायें उपलब्ध हों। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फिलहाल ये सुविधायें उपलब्ध नहीं है। ऐसे आपरेशनों के करने से पहले यह भी आवश्यक है कि इस दिशा में काफी कुछ संगठनात्मक तथा पशुओं पर प्रयोगात्मक कार्य कर लिया जाय। इसलिये यह कहना कि इस संस्थान में गुर्दा प्रतिरोपण के आपरेशन ठीक-ठीक कब से शुरू किये जा सकते हैं सम्भव नहीं है।

(ग) जी हाँ।

Recovery of Income-Tax from Political Parties

1007. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri N. S. Sharma : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no·5270 on the 21st December, 1967 and state :

(a) whether the assessment of income of the All-India Congress Party for the purposes of levying income tax on the Party, which was pending assessment, has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether Government porpose to exempt the political parties from the payment of Income-tax ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. There is no such proposal under Government's consideration at present.

दिल्ली में अस्पतालों के हाउस सर्जनों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

1008. श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री दीवीकन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के कुछ अस्पतालों के हाउस सर्जनों ने सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें उन्होंने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) हाउस सर्जनों ने मांग की है कि हमारा मासिक वेतन 200 रुपये से बढ़ाकर रुपये कर दिया जाये और साथ ही भोजन की सुविधाओं के लिए भी कुछ सहायता दी जाये । इसके अतिरिक्त उन्होंने सुसज्जित आवास की तथा सप्ताह में एक आधे दिन और एक पूरे दिन के अवकाश की मांग की है ।

(ग) यह विषय विचाराधीन है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बेची गई भूमि का कब्जा देना

1009. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा छः वर्ष पहले तक के बेचे गये प्लाटों का कब्जा उनके खरीददारों को नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बेचे गये प्लाटों का कब्जा उनके खरीददारों को कब देने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) सफदरजंग आवासिक योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार ने 17 जनवरी, 1962 को पर्चियां डाल कर जिन 75 प्लाटों का नियतन किया था उनमें से 72 प्लाटों के पट्टे पहले ही पंजीकृत किये जा चुके हैं और खरीददारों को कब्जा दे दिया गया है । किश्त न मिलने के कारण दो प्लाटों का नियतन रद्द कर दिया गया । शेष एक प्लाट का मूल पट्टा उस पर टिकट लगाने के लिए खरीददार के पास भेज दिया गया था किन्तु उसने उसे खो दिया । उनके अनुरोध पर एक नया पट्टा टिकट लगाने के लिए उनके पास भेज दिया गया है । उन्होंने उसे अभी तक वापस नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में आदिम जाति लोग

1010. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बारे में आंकड़े हैं कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों में आदिम जाति के लोग स्थान-स्थान पर एकत्रित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या 1968-69 में सरकार का विचार उड़ीसा के लिये नये आदिम जाति ब्लाक अलाट करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) तथा (ख) यह सूचना "भारत की जनगणना, 1961 (1962 का पत्र संख्या 1)" नामक प्रकाशन में दी गई है । उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सीमित वित्तीय साधनों के कारण ।

कुवैत के सहयोग से उर्वरक कारखाना

1011. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत कैमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी के सहयोग से एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के धर्मजी मुरारजी के प्रस्ताव पर अब पुनः विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पहले इन्कार करने तथा बाद में पुनः विचार आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हां ।

(ख) मैसर्स कुवैत कैमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी के सहयोग से महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए मैसर्स धरामसी मुरारजी कैमिकल कम्पनी लि० से प्राप्त प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ अमोनिया के आयात के साथ गन्धक की सप्लाई भी शामिल है । इसे पहले अस्वीकार किया गया था क्योंकि गन्धक सप्लाई की गारण्टी, तरल अमोनिया के आयात के लिए, पर्याप्त आधार नहीं समझी गई थी । किन्तु, बाद में कम्पनी से एक अभ्या-वेदन के प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया और निम्न कारणों से सिद्धान्त रूप में इसे मंजूर किया गया :—

(1) यह आशा है कि परियोजना नेफ्था पर आधारित परियोजना के मुकाबले में,

लगभग १½ साल पहले देश में उर्वरक तैयार करने लगेगी। इसका स्वागत करना है क्योंकि कई दूसरे प्रस्तावों के पूरे होने में हुई देरी और असफलता से देखा जा रहा है कि आम उर्वरकों और विशेष रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के देशीय उत्पादन और उनकी 1970–71 तक की माँग के बीच अन्तर बढ़ जायेगा और इस कारण अधिक आयात की आवश्यकता होगी।

(2) देश में नेफ्था की सप्लाई के संतुलन और नेफ्था तथा दूसरे कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में रुख का ध्यानपूर्वक पुनः मूल्यांकन करने पर, उर्वरक-उत्पादन के लिए कच्चे माल की अनेकता और आयातित अमोनिया के चयनात्मक प्रयोग को इष्टकर (या कार्यसाधक) समझा गया है।

(3) गन्धक के मुख्य पारम्परिक उत्पादकों ने भारत जैसे देशों को सप्लाई में कटौती की घोषणा की है और कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इस स्थिति में तुलनात्मक मूल्यों पर, नियमित प्रदाय, उचित समय के लिए, लाभप्रद है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता योजना

1012. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीसरी योजना के दौरान उड़ीसा सरकार को कितनी और कैसी सहायता दी गई;

(ख) किन कस्बों, शहरों और ग्रामों में इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है और कितनी लागत पर ;

(ग) क्या जिला पुरी में जटनी को इस योजना में शामिल कर लिया गया है ;

(घ) 1966–67 और 1967–68 में कौन–कौन सी योजनाएँ आरम्भ की गई ; और

(ङ) 1968–69 में कौन-सी योजनाओं को आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजना तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) 1966–67 तक प्रचलित कार्यविधि के अनुसार सभी " स्वास्थ्य " योजनाओं के लिए जिनमें ग्राम जल-पूर्ति योजनायें भी सम्मिलित हैं, केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के निमित्त राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक-मुश्त नियत की गई अथवा दी गई थी। इसलिए किसी राज्य को किसी खास केन्द्र सहाय्यित "स्वास्थ्य" योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई यह बतलाना संभव नहीं है।

ग्राम जलपूर्ति सहित सभी "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा सरकार के लिए निम्नलिखित धन-राशि का नियतन किया गया :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1961–62	93·32
1962–63	74·91
1963–64	103·84
1964–65	97·76
1965–66	76·72

जहां तक नगर जलपूर्ति योजनाओं का सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता "ऋण" के रूप में नीचे लिखे ब्यौरे के अनुसार दी गई :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1961–62	23.87
1962–63	16·70
1963–64	31·98
1964–65	40·00
1965–66	27·60

राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार दी जा जा रही है :—

नगर जलपूर्ति योजनाएं	100 प्रतिशत ऋण के रूप में
ग्राम जलपूर्ति योजनाएं	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने जटनी के लिए 16·93 लाख रुपये की अनुमानित लागत की जलपूर्ति योजना की जांच कर ली है और उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया है । केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार संशोधित की गई योजना की अभी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में महानदी डेलटा सिंचाई योजना

1013 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी डेलटा सिंचाई योजना पूरी करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को अब तक कुल कितना धन दिया है ;

(ख) इस योजना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) 1968-69 के लिये कितना धन नियत किया गया है ;

(घ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ङ) क्या किसानों को उनकी भूमि का पूरा मुआवजा दिया जा चुका है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) उड़ीसा सरकार राज्य योजना में शामिल सभी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये विविध विकास ऋणों में से इस स्कीम पर धन लगा रही है । अतः परियोजना के लिए पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 31 मार्च, 1967 तक 23.60 करोड़ रुपये ।

(ग) 1968-69 के आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(घ) 1970-71

(ङ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में आयकर की बकाया राशि

1014 श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य के क्षेत्र को उन फर्मों या व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनसे एक लाख रु० से अधिक आयकर की बकाया राशि वसूल की जानी है ।

(ख) इसे वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

(ग) इन बकाया राशि में से कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है अथवा बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कार्य संचालन संबन्धी समिति

1015. श्री जार्ज फरनेंडीज : श्री सम्बन्धन:
श्री रविराय : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति की जांच करने के लिए बनाई गई समिति ने कोई प्रारम्भिक अथवा अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिफारिशें की गई हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1968 में।

कोयना भूकम्प

1016. श्री जार्ज फरनेंडीज : श्री न० कु० साल्वे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भूकम्प के कारण कोयना बांध तथा बिजलीघर को हुई क्षति के बारे में रिपोर्ट पहुँच गई है;

(ख) यदि हां, तो जन तथा धन की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य से कोई कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि उस क्षेत्र में और झटके आने पर कम क्षति हो।

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी हाँ।

(ख) भूकम्प के परिणाम स्वरूप कोयना नगर कालोनी में 60 व्यक्ति मर गये और कई घायल हुये किन्तु इनमें से भूचाल के वक्त बांध अथवा बिजली घर पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। बिजली संयत्र और कोयना बांध को कुछ थोड़ा-सा नुकसान हुआ दिखाई पड़ता है और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इंजीनियरों, भूकम्प-वैज्ञानिकों, भू-वैज्ञानिकों, भू-भौतिकीविदों की एक विशेषज्ञ समिति सरकार द्वारा भूकम्प के व्यवहार का अध्ययन करने और कोयना बाँध तथा सहवर्ती क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को आँकने तथा कोयना बाँध और परियोजना के अन्य कार्यों के डिजाइनों की जांच करने के निमित्त हाथ में लिए जाने वाले भूकम्प सम्बन्धी पक्षों पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित की गई है। इस समिति के साथ यूनेस्को के चार विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं।

सड़क कूटने के इंजन

1017. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री राम गोपाल शालवाले : श्री शारदा नंद :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 754 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच विभाग ने यूनाइटेड प्राविंसेज कमर्शियल कारपोरेशन द्वारा सड़क कूटने के इंजनों की सप्लाई के संबन्ध में विभिन्न आरोपों की जाँच इस बीच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय निर्यात के मामले में विश्व बैंक का सुझाव

1018. श्री उमा नाथ : श्री पी० राममूर्ति :

श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत सरकार पर इस बात के लिये जोर डाल रहा है कि वह उन देशों को अधिक निर्यात बढ़ाये जिनको ऋण की काफी राशि का भुगतान करना है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दिये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के साथ इस मामले पर बातचीत की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्व बैंक के विशेषज्ञ की भारत यात्रा

1019. श्री उमानाथ : श्री भगवान दास :

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या वित्त मन्त्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5224 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों, मिस्टर गुलौम गिड ने विश्व बैंक को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) चूंकि विश्व बैंक इस रिपोर्ट को 'गोपनीय' दस्तावेज मानता है, इसलिए खेद है कि इसमें लिखी बातों को प्रकट नहीं किया जा सकता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिये राजनैतिक दलों का सहयोग

1020. **श्री विश्वनाथन :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिये सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चंद्र शेखर) :

(क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का एक कार्यक्रम है, इस लिए सभी नेताओं से, जिनमें राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, इसकी सफलता के लिए सहयोग लिया गया है और सभी से अनुकूल उत्तर प्राप्त हुये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में पटसन के जहाजी व्यापारियों के कार्यालय पर छापे

1021. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मन्त्री 30 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के निर्यात के बारे में अगस्त, 1967 में कलकत्ता की फर्मों के कार्यालयों की तलाशी के मामलों में सीमा शुल्क तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के बारे में आगे कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने तक इन फर्मों को पटसन के निर्यातकों के रूप में कार्य करते रहने को अनुमति दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों के आरोपित उल्लंघन के लिये आठों ही फर्मों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं । उनके उत्तरों की प्रतीक्षा का जा रही है। इसी बीच उनमें से तीन फर्मों ने रिट-याचिकाएँ दायर कर दी हैं और उच्च न्यायालय से स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

(ग) जी, हां।

आयकर की बकाया राशि

1022. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों को बकाया राशि के 30 लाख से अधिक मामलों में से केवल 4000 मामलों को ही निपटाने के निदेश दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन 4000 मामलों के अतिरिक्त शेष अन्य मामलों से सम्बन्धित करदाताओं को उनके दायित्वों से वस्तुतः मुक्त किया जा रहा है।

(ग) इन करदाताओं द्वारा कुल कितनी राशि देनी बकाया है; और

(घ) उन करदाताओं की संख्या कितनी है जिनकी ओर 50,000 रु० से लेकर 1 लाख रुपये तक राशि बकाया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सभी मामलों में मांग की बकाया की शीघ्र वसूली के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं और लगभग 4,000 मामले ऐसे है जिनमें से प्रत्येक में बकाया की एक लाख रुपये से अधिक की वसूली होनी है और ऐसे मामलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जिन मामलों में से प्रत्येक मांग की बकाया रकम एक लाख रुपये से कम हैं उनमें 1.4. 1967 तक बकाया रकमों का जोड़ 229.83 करोड़ रुपया है।

(घ) 1. 4. 1967 को 62,853।

Administrative Reforms Commission Report on Budgetary System

1024. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Miister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the report of the Administrtaive Reforms Commission on the Economy and budgetary system of the country has been received ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) The Report of the Administrative Reforms Commission on Finance, Accounts and Audit has been received and copies thereof have been placed in the Parliament Library.

(c) The recommendations are under examination and it may take some time before decisions thereon are taken.

केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों पर सम्पत्ति-कर

1025. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्र से ऐसा विधान बनाने को कहा है जिससे स्थानीय स्वायतशासी निकाय केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति-कर लगा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

चिकित्सा शिक्षा

1026. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा अब भी बहुत मंहगी है; और

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :

(क) विज्ञान तथा/अथवा कलाविषयों की सामान्य शिक्षा की अपेक्षा चिकित्सा-शिक्षा साधारणतया अधिक महंगी है क्योंकि क्लीनिकी प्रशिक्षण देने के लिए अस्पतालों में शिक्षण सम्बन्धी पलंगों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(ख) देश में चिकित्सा-शिक्षा के खर्च को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) चिकित्सा-शिक्षा के खर्च को कम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1961 में हजारा समिति नियुक्त की गई थी उसके सुझाव राज्य सरकारों के ध्यान में लाये गये हैं।

(2) मेडिकल कालेजों में आवास, स्टाफ और उपकरणों के न्यूनतम मानकों के संबंध में योजना आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट को भी राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

(3) कम मूल्य पर तकनिकी पुस्तकें निकालने के बारे में शिक्षा मंत्रालय एक परियोजना चला रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित की गई कुछ पुस्तकों के मूल्य मूल संस्करणों के मूल्य के लगभग आधे के बराबर हैं।

Allotment of Residential Accommodation to Government Employees

1027. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the percentage of Government employees including officers who could not be allotted residential quarters in Delhi so far ;

(b) the number of those who are awaiting allotment and the period thereof ;

(c) the number of quarters built during 1967-68 to date, the number allotted and the number still lying vacant ; and

(d) the measures Government porpose to take to make available Government accommodation to all the Government employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (**Shri Iqbal Singh**:)

(a) and (b) A statement giving the information in respect of the general pool accommodation at Delhi/New/Delhi is attached. (**Placed in Library See. No. LT-121/68**)

(c) During the year 1967-68 the construction of 1,812 quartres of various types was in progress in Delhi/New Delhi. Out of these 1,176 quarters have been completed and allottede The work on the remaining quarters is expected to be completed in phases beginning from the middle of March, 1968 to the end of April, 1968.

(d) Keeping in view the difficult financial position, Government is not in a posittion to construct residential accommodation on a large scale.

बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के वेतनक्रम

1028. **श्री वाल्मीकि चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में अंग्रेजी में बजट तैयार करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तुलना में हिन्दी में बजट तैयार करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का दर्जा तथा वेतनक्रम कम होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अंग्रेजी में बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के लिये केवल अंग्रेजी का ही अच्छा ज्ञान होना जरूरी है जबकि हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों को दो भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) यह समझना ठीक नहीं है कि अधिकारियों का एक समूह हिन्दी में बजट तैयार करता है और दूसरा अंग्रेजी में। बजट प्रभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी केवल हिन्दी में काम करते हैं, वे वही हैं जो विभिन्न बजट-पत्रों का हिन्दी में अनुवाद करते हैं और जो पद तथा वेतन-मान हिन्दी अनुवादकों और सहायकों के लिए निर्धारित हैं, वे ही उन्हें दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, चूंकि हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारी अनुवाद करते हैं, इसलिए उनके लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है।

Family Planning Propaganda in English

1029. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Health and Family Planning Department carries on its propaganda work mostly through the medium of English whereas about 93 per cent of the population of the country do not understand that language ; and

(b) the reasons for not using the regional languages which will be more effective in propagation work ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri S. Chandrasekhar) :

(a) No, Sir. The motivation and information material on Family Planning is printed mostly in Hindi and regional languages. Only such material that is for foreign audiences or certain opinion leaders is printed in English. Out of the print order of 6.1 million copies, only one hundred thousand are printed in English and 6 million are printed in Hindi and regional languages. The advertisements issued on behalf of Family Planning are also issued mostly in Hindi and regional languages. Almost entire outdoor publicity is done in Hindi and regional languages.

(b) Does not arise.

अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों से बकाया राशि

1030. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अनुसूचित बैंक के प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक अधिकारी से पन्द्रह वर्ष पहले, दस वर्ष पहले और पांच वर्ष पहले ऋणों की कितनी-कितनी राशि बकाया थी तथा इस समय कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) ऋण लेने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बैंकों में प्रचलित कार्यप्रणालियों और प्रथाओं के अनुसार, आसामियों के मामलों की सूचना नहीं दी जाती।

(ख) बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1967 के खंड 5 के अनुसार, किसी बैंक के निदेशक को या ऐसी कम्पनी या फर्म को, जिसमें उसका हित हो या जिससे किसी रूप में उसका सम्बन्ध हो, ऋण और अग्रिम देना निषिद्ध करने का प्रस्ताव है।

विवाह की आयु बढ़ाना

1031. श्री यशपाल सिंह : श्री स० च० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कों और लड़कियों को विवाह की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों के परामर्श से इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद संसद् में पेश किया जाएगा।

1967 में अवैध सोने का पकड़ा जाना

1032. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1967 में देश के विभिन्न पत्तनों तथा शहरों में कितने मूल्य का और कितना निषिद्ध सोना पकड़ा गया। और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा 1967 में भारत के विभिन्न बन्दरगाहों तथा शहरों में पकड़े गये अवैध सोने की कुल मात्रा लगभग 5,315 किलोग्राम थी जिसका मूल्य लगभग 4·5 करोड़ रुपया है।

(ख) पकड़े गये प्रत्येक मामले पर विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जाती है और उपयुक्त मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ अदालतों में मुकदमें भी चलाये जाते

हैं। 15 जनवरी, 1968 तक जिन मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की तथा इस्तगासे की कार्यवाही की गई, उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(i) जब्तशुदा सोने का मूल्य - -	(लगभग)	81,09,431 रु०
(ii) व्यक्तिगत रूप से लगाये गये दण्ड की रकम		2, 68,329रु०
(iii) जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या		69
(iv) सजा दिये गये व्यक्तियों की संख्या		12

1967 में निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

1033. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1967 में देश में कितने मूल्य की, कितनी बार तथा किन-किन स्थानों पर निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ा : और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) वर्ष 1967 में, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 12, 770 मामले दर्ज किये जिनमें लगभग 16·4 करोड़ रुपये मूल्य का माल चोरी-छिपे लाया गया था। माल पकड़े जाने की जगहें कई हैं, जिनमें बीच समुद्र, तटवर्ती क्षेत्र, सड़के तथा राजपथ, शहरी बाजार, व्यापार करने और रहने के स्थान आदि भी शामिल हैं ।

(ख) प्रत्येक मामले का पता लगाने पर उस पर विभागीय न्याय निर्णय की कार्यवाही की जाती है और उपयुक्त मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों पर अदालतों में मुकदमें भी चलाये जाते है । जिन मामलों में विभागीय न्याय निर्णय तथा अभियोजन की कार्यवाही की गई उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(i) जब्त किये जा चुके माल का मूल्य	5,14,17,053 रुपये
(ii) लगाये गये व्यक्तिगत दण्ड की रकम	6,44,021 रुपये
(iii) जिन व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये उनकी संख्या	232
(iv) जिन व्यक्तियों को सजा दी गई उनकी संख्या	69

इन आंकड़ों में कोचीन सीमा शुल्क गृह से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है । जब्त किये गये माल के मूल्य और लगाये गये व्यक्तिगत दण्ड की रकम के आंकड़ों में भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, मद्रास, के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

Per Capita Expenditure in States

1035. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1461 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) whether the objective of the Central Planning is to remove the disparities in the development of various States and to ensure balanced development of the whole of country ;

(b) if so, whether the Central assirtance is considered to be an important means of this balanced development ;

(c) whether any suitable step can be taken in this connection without knowing the per capita expenditure on development, state-wise ; and

(d) the details in regard to the other methods ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) Yes, Sir. A steady reduction in the disparities in levels of development in different regions is one of the longterm objectives of planning in the country and the Central assistance to State Governments also helps towards the achievement of this goal.

(c) and (d) In the absence of information regarding the per capita expenditure on development by the Centre, state-wise suitable criteria for distribution of Central assistance to states have been evolved over time. Broadly 70% of the Central assistance is distributed to states on a population basis and 30% is distributed taking into account the requirements of continuing schemes and special requirements of particular states :

Smuggling of Silver

1036. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to check the smuggling of silver outside the country ;

(b) the quantity of silver seized so far since Ist August, 1967 ; and

(c) the consumer goods which are being sumuggled into the country against silver ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) Among the important steps taken by Government to check smuggling, including the smuggling of sliver out of the country, are systematic collection and follow-up of information, setting up of reliable informers and keeping a watchful eye on the various gangs of smugglers, rummaging of suspected vessels and aircraft, patrolling of vulnerable sections of the coastal waters, and the coastline and land frontiers, launching of prosecution in suitable cases in addition to department at adjudication.

(b) Approximately 54, 317 Kgs. of silver was seized by the Customs and Central Excise authorities during the period from the Ist August, 1967 to the 31st January, 1968.

(c) Textiles, playing cards, cigarettes razor blades, cosmetics, transistor radios etc. are some of the important consumer goods smuggled into India but it cannot be stated that these goods are being smuggled into India against illicit exports of silver.

बिड़ला सार्थ समूह से वसूल की जाने वाली आयकर की बकाया राशि

1037. **श्री भगवान दास : श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री अब्राहम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले दस वर्षों से बिड़ला सार्थ समूह से वसूल की जाने वाली आयकर की बकाया राशि कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कुल बकाया राशि कितनी थी और कम करने के बाद कुल कितनी राशि वसूल की जायेगी ; और

(ग) इस राशि को कम करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पारिवारिक खर्च की सीमा निर्धारित करना

1038. श्री स० चं० सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवहन तथा नौवहन मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि प्रति परिवार 2,000 रुपये मासिक के खर्चे की सीमा निर्धारित करने से देश में जो इस समय गम्भीर वित्तीय संकट है ; वह दूर हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने सुझावों के समर्थन में क्या मुख्य बात पेश की हैं ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) पंजाब विश्वविद्यालय में दिये गये दीक्षान्त भाषण में और बाद में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भेंट में केन्द्रीय परिवहन और जहाजरानी मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि 2,000 रुपये प्रतिमास से अधिक की आमदनियों को पांच वर्ष के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में या सरकारी जमा योजनाओं में लगाया जाना चाहिये फिर ये रकमें उद्योगों में भी लगायी जा सकती हैं । मंत्री महोदय का विचार था कि यदि यह तरीका अपनाया गया तो इससे ऐसा वातावरण तैयार हो जायगा जिसमें लोग वेतनों में होने वाली वृद्धियों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए सहमत हो जायेंगे । गांवों में भी बचत की रकमें जुटाने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं ।

(ग) सरकार विकास के लिए बचत करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है और मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये थे ।

Irregularities committed by Companies belonging to Shri Biju Patnaik

1039. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question no. 4275 on the 14th December, 1967 and state :

(a) the amount of Income-tax deductions made by the Kalinga Airlines and the Kalinga Tubes from the salary of their employees and the reasons for their non-payment ;

(b) the action Government propose to take against these Companies and the steps proposed to be taken to recover the amount and the income-tax thereon ;

(c) whether there is a porposal to recover interest as well on the unpaid amount for this period ; and

(d) if so, the rate of interest to be charged thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) The amount of income-tax deductions made by the Kalinga Airlines and the amount of income tax outstanding payment is given in the annexure. (Placed in library See. No. L.T.

—122/68. The reasons for non-payment of the tax deducted at source, which is still to be credited to Government is stated by the Kalinga Airlines to be due to the fact that large amounts are due to it from the NEFA Administration.

Kalinga Tubes : No amount is outstanding from this company on account of tax deducted from its employees.

(b) All steps possible for recovery of this tax under the provisions of the Income-tax Act had been taken but the recovery proceedings have been stayed by the High Court of Calcutta. The aircrafts of the company have already been attached in pursuance the recovery proceedings initiated earlier.

(c) Interest will be charged as provided in the Income tax Act, 1961.

(d) The rate of interest is 6% from 1-4-'1966 and 9% from 14-9-1967.

Fertilizers Factories with Foreign Collaboration

1040. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 696. on the 16th November, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the setting up of Chemical and Fertilizer factories by foreign Companies in India has since been collected; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) Yes.

(b) A statement giving the details is attached. (**Placed in Library See. no.LT—123/68**

Soap Factories

1041. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1437 on the 23rd November 1967 and state:

(a) whether the information about soap factories has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the information is likly to be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes.

(b) A statement is attached. (**Placed in Library See. No. LT--124/68)**

(c) Does not arise.

Demolition of Jhuggis in Delhi

1042. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of jhuggis demolished during the last three years and the number of families rehabilitated at other places ;

(b) whether it is a fact that more jhuggis and colonies were domolished in 1967 as compared to the previous years ;

(c) whether it is also a fact that no colony was approved last year while many colonies were approved in 1965 and 1966; and

(d) the number of shops, houses and jhuggis demolished during the last six months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) About 25,000 families living in unauthorised jhuggis on Government and public lands

in Delhi were removed during the last three years. About 12,000 of these families, who were eligible for allotment of alternative accommodation under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme, were allotted plots in colonies set up under the Scheme.

(b) Yes.

(c) No unauthorised colony was approved last year by the Municipal Corporation of Delhi.

(d) During the period from 1-8-1967 to 31-1-1968 the following demolitiios were carried out :

Shops	..	..	1209
Houses	..	..	127
Jhuggies	..	..	7518
		Total	8854

स्वर्गीय श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को दिया गया मकान

1043. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मन्त्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को संसद् सदस्य के नाते 4, मौलाना आजाद रोड स्थित बंगला नं० 4, में रहने देने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो जितने समय वह उस बंगले में संसद् सदस्य के नाते रहे थे, उस अवधि का इस बंगले का कितना किराया तथा अन्य शुल्क तय किये गये थे तथा उनसे कितनी राशि वसूल की गई अथवा बट्टे खाते में डाली गई थी अथवा उनसे वसूल नहीं की गई; और

(ग) यदि हाँ, तो बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने के क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) स्वर्गीय हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम के नाम पर निवास स्थान तथा फ़र्नीचर आदि के प्रति 7,333.36 रुपये की राशि बकाया थी। दीन परिस्थितियों तथा मामूली पेंशन के आधार पर उनकी इस देय राशि को सरकार ने बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया है ।

सरकारी फ्लैटों तथा बंगलों में छत के पंखे

1044. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि टाइप चार के तथा उससे ऊँची श्रेणी के फ्लैटों तथा बंगलों में सरकार ने प्रत्येक शयन-कक्ष, बैठक-कक्ष तथा अध्ययन-कक्ष में छत के पंखे लगा रखे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि टाइप दो और टाइप तीन के क्वार्टरों में जिनमें केवल एक शयन-कक्ष, और एक बैठक-कक्ष हैं उनमें केवल एक छत का पंखा लगाया गया है तथा टाइप एक के क्वार्टरों में जिनमें केवल एक कमरा है, छत का कोई पंखा नहीं है ; और

(ग) यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं तथा इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (ग) बिजली का सामान लगाने के लिए, क्वार्टर की इमारत की लागत का एक निर्धारित प्रतिशत की अनुमति है । दो कमरे वाले टाईप II तथा III क्वार्टरों में दो छत के पंखे लगाने की व्यवस्था के लिए यह प्रतिशत अपर्याप्त थी । इसीलिए, ऐसे क्वार्टरों में केवल एक पंखा लगाया जाता था । टाइप iv तथा इससे ऊपर के टाइप के पुराने मकानों में भी उनके कमरों की संख्या से एक कम पंखे लगाये जाते थे । कुछ दिन पूर्व ही यह निर्णय किया गया था कि सभी टाइप के क्वार्टरों में प्रत्येक रिहायशी कमरे में पंखा लगाया जाये । पुराने मकानों में इस कमी को धीरे-धीरे (प्रक्रमों में) दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार टाइप I के क्वार्टरों में भी पंखे लगाये जा रहे हैं । दिल्ली में इस टाईप के अधिकांश क्वार्टरों में पहले ही से पंखे लगे हुए हैं। शेष क्वार्टरों में भी शीघ्र ही पंखे लगा दिये जायेंगे ।

तट-दूर छिद्रण

1045. श्री आर्जुन सिंह भदौरिया : श्री मुत्तुस्वामी :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवराव पाटिल : श्री जुगल मंडल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात क्षेत्र में तट-दूर छिद्रण करने के लिये विदेशी तेल समवायों के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये किस समवाय को चुना गया है और इसके साथ हुए करार की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स सप्लायर्ज कारपोरेशन द्वारा इंण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई

1046. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 23 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 227 और 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5264 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सप्लायर्ज कारपोरेशन पंजीकृत तथा लाइसेंस प्राप्त निर्माता हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बिना लाइसेन्स वाले तथा गैर-पंजीकृत निर्माताओं को आर्डर देने के क्या कारण है ;

(ग) क्या इन्डियन आयल कारपोरेशन ने अपनी तुरन्त आवश्यकताओं के लिये अन्य लाइसेन्स प्राप्त निर्माताओं से पूछा था ;

(घ) यदि हाँ, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स सप्लायर्ज कारपोरेशन के भागीदार हिन्द-ग्लेवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के निदेशकों के सम्बन्धी हैं और उन्होंने हिन्द-गैलवेनाईजिंग में बने 21000 बैरल मैसर्स सप्लायर्ज कारपोरेशन के नाम से इन्डियन आयल कारपोरेशन को सप्लाई किये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) वे ही ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने आई० ओ० सी० के सार्वजनिक टेण्डर को भरा और अपने कलकत्ता स्थित उपलब्ध स्टाक में से बैरल देने के लिए तैयार थे !

(ग) और (घ) जी हाँ। सार्वजनिक टेण्डर के द्वारा।

(ङ) आई० ओ० सी०, सप्लायर्ज कारपोरेशन के किसी भागीदार को नहीं जानते जिनका सम्बन्ध हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड एन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के डाइरेक्टरों से हो, न ही उस स्रोत को जहां से फर्म ने बैरल प्राप्त किये ।

इंडियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई

1047. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री इन्डियन आयल कारपोरेशन को पीपों की सप्लाई के बारे में 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रयादेश में ऐसी कोई शर्त थी कि मैसर्स हिन्द-गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड टेन्डर संख्या ओ० पी०/टैन 17165 के अन्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन को केवल उतने ही बैरलों की सप्लाई करेगा जितने बैरल उस इस्पात में बन सकते हैं जो इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह वक्तव्य दिये जाने के क्या कारण हैं कि वह केवल 26061 बैरलों की सप्लाई करेगी जबकि उसे 2 लाख 50 बैरलों के क्रयादेश पर 1,12,000 की सप्लाई करनी है ;

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन को सप्लाई के हेतु मेसर्स हिन्द-गैलवेनाईजिंग को जो 2321.666 टन इस्पात दिया गया था उसमें से उत्पादकों ने हाट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड चादरें कितनी मात्रा में पृथक-पृथक देना तय किया था ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि 1 टन हाट रोल्ड चादरों में से 40 पीपे बनाये गये

हैं और क्या मेसर्स हिन्द-गैलवेनाइजिंग द्वारा हाट रोल्ड चादर के पीपों की सप्लाई के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन ने उक्त गणना को ध्यान में रखा था ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया)

(क) जी नहीं ।

(ख) फर्म ने कुल 2,50,000 बैरल देने होते हैं चाहे भारतीय तेल निगम के क्रयादेश के लिये इस्पात दिया गया हो अथवा नहीं । 26,061 बैरलों का आंकड़ा बैरलों की वह मात्रा है जो फर्म ने उनको भारतीय तेल निगम के अंश के रूप में दिये गये 4321·666 मीट्रिक टन इस्पात से देने हैं । 2,50,000 बैरलों के कुल क्रयादेश में से फर्म ने 1,11,838 बैरल और देने हैं ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) अब तक किसी रचक यंत्र से एक मीट्रिक हाट रोल्ड चादर से 40 बैरल नहीं बनाये गये हैं ।

इंडियन आयल कारपोरेशन के लिए बैरल

1048. श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इन्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई के बारे में 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जाने का क्या कारण है जबकि कोल्ड रोल्ड चादरों के स्थान पर हाट कोल्ड चादरों वाले बैरलों के मूल्य के अन्तर को इन्डियन आयल कारपोरेशन सीधे ही मेसर्स हिन्द-गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के खाते में डाल सकता था ; और

(ख) क्या क्रयादेश की शर्तों के अनुसार ठेका पूरा न करने के कारण मेसर्स हिन्द-गैलवेनाइजिंग कम्पनी के विरुद्ध और कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरमैया)

(क) मामला पार्टी ने, मध्यस्थ को भेजा था, न कि भारतीय तेल निगम ने ।

(ख) पंचाट हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया है और, पंचाट के आधार पर, डिक्री प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । कोर्ट से डिक्री प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

इंडियन आयल कारपोरेशन के लिए बैरल

1049. श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इन्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई के बारे में 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेन्डर संख्या ओ० पी०/टेन 17-65 के संबंध में मेसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने इन्डियन आयल कारपोरेशन को हाट कोल्ड चादरों

के बने हुये कितने बैरल अब तक सप्लाई किये हैं जिनके मूल्य कोल्ड रोल्ड चादरों के बने हुये बैरलों के मांगे गये हैं ;

(ख) क्या उस निर्णय के आधार पर कोई कोई कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(ग) निर्णय में वास्तव में क्या कहा गया है और उसके अनुसार उनके बिलों में से कोल्ड रोल्ड चादरों के बने हुए बैरल देने के बजाय हाट रोल्ड चादरों के बने बैरल सप्लाई करने के कारण कितनी राशि काटी जानी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बेरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड एन्जीनियरिंग कम्पनी के द्वारा भारतीय तेल निगम को सप्लाई किये गये ऐसे बैरलों की संख्या क्रमशः 6588 और 49266 है ।

(ख) और (ग) एवार्ड के अनुसार हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी की कीमत "कोल्ड रोल्ड" इस्पात पर आधारित थीं और यदि पार्टी ने 'हाट रोल्ड' इस्पात की कोई बैरल सप्लाई की है तो उनके बिलों से आवश्यक कटौती की जानी चाहिये । बिलों से कटौती की जाने वाली रकम लगभग 97,000 रुपये है। इसको कार्यान्वित करने के लिए, मध्यस्थ के पंचाट को, डिक्री लेने के लिये हाई कार्ट में प्रस्तुत किया गया है ।

दिल्ली के अस्पतालों के परिचारक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1050. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के परिचारक कर्मचारियों को पूरा मंहगाई भत्ता दिये जाने के बारे में उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) विषय विचाराधीन है और ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि अंतिम निर्णय कब लिया जायगा ।

मंत्रालयों तथा दूतावासों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

1051. श्री प्रेमचन्द वर्मा : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय कम करने की दृष्टि से कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकता के कोई सर्वेक्षण किए गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो इन सर्वेक्षणों का क्या परिणाम निकला तथा प्रत्येक विभाग तथा मंत्रालय अथवा दूतावास में आवश्यकता से अधिक कितने कर्मचारी पाये गये;

(ग) क्या विभिन्न विभागों तथा दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या घटाने तथा व्यय कम करने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुल कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी-निरीक्षण एकक-सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की छंटनी करने के उद्देश्य से उन कार्यालयों की कर्मचारी-स्थिति का समीक्षण करता रहता है। इस एकक की स्थापना अप्रैल, 1964 में की गई थी। तब से एकक ने 161 कार्यालयों की कर्मचारी-स्थिति की समीक्षा की है जिसमें पड़ोसी देशों में स्थित (हमारी) 3 मिशनों की समीक्षा भी सम्मिलित है।

(ख) इन अध्ययनों का परिणाम यह हुआ कि 6858 स्वीकृत पद फालतू पाये गये और 5840 नये अतिरिक्त पद बनने से रोक दिये गए। कर्मचारी-निरीक्षण एकक द्वारा जिन कार्यालयों के स्वीकृत पद फालतू पाये गये उनके नाम तथा फालतू पाये गये पदों की संख्या का विवरण पत्र सदन की मेज पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 125/68]

(ग) कर्मचारी-निरीक्षण-एकक की सिफारिश का पालन करने की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों की है और इस सम्बन्ध में निगरानी की जिम्मेदारी मन्त्रालयों तथा उनके सम्बद्ध वित्तीय सलाहकारों पर रखी गयी है। अगस्त, 1966 से यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में कर्मचारी-निरीक्षण एकक की सिफारिशों को उपयुक्त स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है उन मामलों में सिफारिशों का प्रतिपालन करना अनिवार्य होगा। सिफारिशों के कार्यान्वियन के बारे में सामयिक रिपोर्टें भी मंगवाई जाती हैं।

(घ) अब तक पूरे किये गये अध्ययनों से सम्भवतः कुल 5.5 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी जिसमें 'निवारक' मितव्ययिता से होने वाली 2.7 करोड़ रुपये की बचत भी शामिल है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1052. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रित अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी, कपास, गन्ना, सीमेंट, इस्पात, कोयला तथा कपड़े के मूल्यों में बराबर वृद्धि की जाती रही है;

(ख) क्या अत्यावश्यक सेवाओं, जैसे रेलवे और विमान-यात्रा की कीमत में भी ऐसी ही प्रवृत्ति की स्पष्ट झलक मिलती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार मूल्य स्तर को नियन्त्रण में रखने तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह ठीक है कि नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों में और रेल-यात्रा और हवाई-यात्रा जैसी कुछ सेवाओं के किराये में पहले कुछ वृद्धियां की जा चुकी हैं। सरकार की नीति सम्बद्ध उद्योग के विभिन्न पहलुओं, जैसे वेतन उद्योग के लिए आवश्यक सामान के मूल्य में हुई वृद्धि की जांच करके मूल्यों में केवल ऐसी न्यूनतम वृद्धियां करने की अनुमति देता है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो और उपभोक्ताओं के हित से मेल खाती हो।

(ग) वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं। इनमें, अत्यधिक मांग को रोकने के लिए लगायी गयी राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी पाबन्दियां और उपलब्धि बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। उपलब्धि बढ़ाने के उपायों में, उत्पादन बढ़ा कर अधिक आयात करके अन्न की उपलब्धि बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। कृषि-सम्बन्धी नई नीति का उद्देश्य खेती के लिए आवश्यक सामान का और संस्थागत ऋणों का पर्याप्त प्रबन्ध करके कृषि-क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना है। ऋण-सम्बन्धी उदार नीति अपना कर, उद्योगों के लिए उदारता से लाइसेंस देकर और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करके, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए, हाल ही में अधिनियम में संशोधन किया गया था। सामान्यतः मूल्यों में और विशेषकर कृषि-पदार्थों के मूल्यों में हाल के महीनों में स्पष्ट रूप से कमी हुई है।

Designs for Oil Pipelines

1053. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the designs of oil pipelines would be prepared by an Italian firm ;

(b) if so, on what terms ; and

(c) the amount of foreign exchange which would be required therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) It is proposed to get the design of the Kalol-Nawagam-Koyali pipeline prepared by an Italian firm.

(b) and (c) The cost of the techno-economic study including the design of the system will be U. S. Dollars 23 000-20% to be paid within 15 days of the acceptance of the offer and the balance within 15 days after the designs etc. have been delivered.

Payment of Income Tax in Rajasthan

1054. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees in many Districts of Rajasthan have to go to Jaipur for payment of Income-Tax and to attend the hearings ; and

(b) if so, the reasons for not making Division-wise arrangements as there are income-tax officers in all the Divisions ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The cases of private salaried employees are assessed by the Income-tax Officer of the district concerned.

It is only the cases of Government employees which are centralised in the Salary Circle at Jaipur. Even in their cases the assessments are either made on the basis of returns filed or information collected by correspndence and only in a small number of cases actual hearing is given. Regarding payment, the normal practice in the Salary Circle is to make the challan for payment payable in the local treasury.

(b) The cases of Government employees are assessed by the Income tax Officer who functions at the Headquarters of the Accounts Officer who authorises payment of their salaries as all particulars regarding salary and tax deducted at source pertaining to those employ as will be easily available with the Accounts Officer. Government servents do not generally have any other income than salary. When they have such income any clarification necessary is ascertained by correspondence. The present arrangements regarding Government servants is not peculiar to Rajasthan and is prevalent in other Commissioner's charge as well and has led to expeditious assessment.

Removal of Statutes of Britishers in Delhi

1055. **Shri Onkar Lal Berwa** ; Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have removed all the statues of Britishers in the capital ;

(b) if so the number thereof ;

(c) whether it is also a fact that the names South Avenue North Avenue, Rouse Avenue etc. given to certain places by the Britishers are still continuing; and

(d) if so the steps taken by Government to change these names ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b) In pursuance of Government's policy of gradual removal of the statues of Britishers in Delhi 11 out of 12 statues have already been removed and, only the statu of King George V at India Gate remains.

(c) Yes.

(d) Changing of names of roads etc. falls within the purview of local bodies. No decision has been taken by them to change those names.

उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल

1057. **श्री के० हाल्दर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट का निष्कर्ष और सिफारिशों का सारांश संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 126/68]

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का मूल्यांकन

1058. श्री के० हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह समिति कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रस्तावित समिति के निर्देश पद क्या होंगे ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के काम के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनपर सरकार विचार कर रही है।

बैंकों का सामाजिक संरक्षण

1060. श्री के० हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित सामाजिक नियंत्रण उपायों को दृष्टि में रखते हुए निजी क्षेत्रों में बैंकों ने सामाजिक संरक्षण की मांग की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबन्ध में बैंकों ने क्या मांगें की हैं ;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) इस प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है । बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1967 के कुछ उपबन्धों के बारे में भारतीय बैंक संघ से कुछ सुझाव मिले हैं। जिस समय इस विधेयक पर संसद् में विचार किया जायगा, उस समय सरकार इन सुझावों को उस सीमा तक ध्यान में रखेगी जो बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से सम्बन्धित सरकारी नीति को देखते हुए, स्वीकार्य और उचित समझी जायगी ।

Income Tax Officers having Shares in Companies

1061. **Shri Ram Charan : Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Blitz of the 20th January, 1968 that complaints of complicity of certain officers of the Income-tax department in tax evasion of certain Companies have been lodged with the Central Government :

(b) if so, the names and designations of the Officers and the action taken by Government against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) Yes, Sir. The allegation that a certain group of officers and staff members were conniving at large scale concealment of wealth by leading businessmen and traders has been looked into . No complicity of the officers could be established but a case of tax-evasion by an individual has been taken up for investigation.

(b) The question does not arise.

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Permits and Quotas

1062. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether suggestions have been made by several Members of Parliament in various meetings of the Informal Consultative Committee that some reservations should be made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of various permits and quotas ;

(b) if so, the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (**Shrimati Phulrenu Guha**) : (a) Yes.

(b) So far, the specific questions raised related to grant of import and export licences and agencies for cement, iron and steel. As regards import licences, licences are granted only to actual users. If a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person is an actual user requiring imported material for running a particular industry, there wil be no difficulty in getting an import-licence if foreign exhange is available. As regards export licences, there is no licensing. As regards agencies for cement iron and steel, the position is that these items have been decontrolled.

No general rule of reservation covering all cases of the grant of permits and quotas appears to be feasible. If difficulties are encountered in respect of any particular class of cases, the matter could be examined on merits.

Selling of Smuggled Goods

1063. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign goods smuggled into India are sold by smugglers in the open market at big ports of India particularly at the Bombay Port; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to check it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Foreign goods including some smuggled goods and some goods acquired from other sources such as passenger's baggage cleared on payment of fine and duty, are sold in small quantities in some shops and by hawkers.

(b) Normal preventitve measures are taken and would continue to be taken which include collection of intelligence for organising raids, surveillance and watch in the markets. Periodical searches of shops and pavement stalls displaying and selling foreign goods are also carried out. When seizures are effected, departmental proceedings are instituted which may lead to confiscation of seized goods and imposition of personal penalty.

Foreign Goods Brought by Officials of Indian Missions Abroad

1064. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that all the junior and senior members of the staff of Indian Missions abroad bring foreign goods with them ;

(b) if so, whether Government propose to impose restrictions on the employees of the Indian missions abroad for bringing goods with them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Government are aware that the junior and senior members of a the staff of the Indian Missions abroad bring such foreign goods as constitute their *bonafide* baggage and personal effects ; and

(b) and (c) Government do not propose to impose any restriction on the importation of *bonafide* baggage and personal effects as that will cause hardship to these officials.

"Smuggling of Goods into Nepal"

1065. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have made arrangements to check smuggling on all the routes of Uttar Pradesh leading towards Nepal ; and

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) to (c) The Treaty of Trade and Transit between India and Nepal, 1960, envisages free movement of goods of either country across the border and, therefore, no regular custom cordcn has been set up. There is no restriction on the movement of goods of Indian and Nepalese origin across the boarder, except in respect of few commodities whose export to Nepal is regulated. Import of goods of third country origin from Nepal into India is banned. There are 18 checkposts on the Indo-Neapal border including 8 in the State of Uttar Pradesh (list enclosed). The Border Checkpost Officers along with Central Excise Preventive and Intelligence Officers working in the border areas check smuling of restricted and banned goods across the border.

List of Checkposts on Indo-Nepal Border in Uttar Pradesh.

1. Nautanwa
2. Nepalganj.
3. Tanakpur
4. Pithoragarh
5. Tikonia
5. Barhani
7. Gauriphanta
8. Jarwa.

Gorakhpur Fertilizer Factory

1066. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of advertisements published by the Fertilizer Corporation. Gorakhpur from the Ist April, 1967 to 31st December, 1967, the cost involved and the newspapers where these advertisements were published ;

(b) whether it is a fact that lesser advertisements were given to Hindi newspapers as compared to the English newspapers for publication ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to formulate any scheme to end this discriminaton in future

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemical and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah):

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

नर्मदा परियोजना संबंधी करार

1067. श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री वीवीकन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना के बारे में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों में कोई करार हुआ है ;

(ख) क्या नवम्बर, 1967 के पश्चात् मुख्य मन्त्रियों की कोई अन्य बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री ने नर्मदा जल संसाधनों के विकास पर विचार-विमर्श करने के लिये 18 दिसम्बर, 1967 को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों तथा मध्य प्रदेश के बिजली मन्त्री ने भाग लिया।

चारों राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और इस बात पर सब राजी हो गए कि अन्तिम निश्चय तक पहुंचने से पूर्व भागीदार राज्यों की सिंचाई के लिये पानी के आवश्यकताओं से सम्बन्धित कुछ और आंकड़े इकट्ठे किये जाएं। यह फैसला किया गया कि राज्यों के सिंचाई, बिजली और कृषि विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ केन्द्रीय सरकार के सिंचाई व बिजली मन्त्रालय और खाद्य और कृषि मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सलाह करके एक महीने के भीतर इन ब्योरों को अन्तिम रूप दे दें। 18 और 19 जनवरी, 1968 को भोपाल में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी। विशेषज्ञों की एक और बैठक इसी महीने होने की सम्भवना है।

दस रुपये के चांदी के सिक्के

1068. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परिचालन के लिये दस रुपये के चांदी के सिक्के तैयार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो नये सिक्के चलाने का क्या प्रयोजन है ; और

(ग) क्या ये सिक्के शुद्ध चांदी के होंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। चांदी का दस रुपये का स्मारक सिक्का ढालने का विचार है।

(ख) और (ग) दुनियां के बढ़ते हुए अन्न-संकट की ओर, मूर्त रूप से लोगों का ध्यान आकृष्ट रखने के लिये, खाद्य और कृषि संगठन ने 1968 में विभिन्न देशों द्वारा स्मारक सिक्के जारी किये जाने की योजना चलाथी है और सदस्य देशों को इस काम में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया है। यह विचार करके कि इस प्रकार के स्मारक सिक्कों से

खाद्य और कृषि के विषय को विशेष महत्व प्राप्त होगा, सरकार ने इस कार्यक्रम में भाग लेने का निश्चय किया है। विचार है कि यह सिक्का चांदी और तांबे के योग से बनाया जाय जिसमें 80 फी सदी चाँदी और 20 फी सदी तांबा रहे।

कोयना भूचाल पर अमरीकी आण्विक परीक्षण का प्रभाव

1069. श्री स० मो० बनर्जी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भू-विज्ञान अनुभाग के समक्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डा० बी० के० नैयर द्वारा व्यक्त इस विचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कोयना में भूचाल अमरीकी आण्विक परीक्षण के कारण आया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) कोयना भूकम्प पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति डा० नैयर के विचारों का अध्ययन कर रही है। जांच चल रही है किन्तु विशेषज्ञ नीति द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कोयना क्षेत्र में आये भूचाल का कारण वैवर्तनिक है जो कि बसाल्टी तह के नीचे की आधारिक चट्टान में भ्रंश का परिणाम था और कि अमरीका में हुए न्यूक्लियर परीक्षण के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

घाटे की अर्थव्यवस्था

1070. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे की अर्थव्यवस्था देश में मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण हैं; और

(क) यदि हां, तो घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त करके मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) घाटे की वित्त-व्यवस्था उन बहुत-सी बातों में से एक है, जिनका मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। कृषि-वस्तुओं की पूर्ति (सप्लाई), मूल्यों सम्बन्धी स्थिति पर प्रभाव डालने वाला एक मुख्य तत्व है।

(ख) चालू वर्ष का बजट-सम्बन्धी परिणाम, 1968-69 का बजट पेश करते समय बताया जायगा।

केन्द्रीय सरकार के 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1071. श्री स० मो बनर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिमास 500 रुपये से अधिक तथा 1000 रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) महंगाई भत्ता आयोग ने, अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 12 महीने के औसत अंक 205 के आधार पर, केवल 499 रुपये प्रतिमास की वेतन-सीमा में आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की थी। महंगाई भत्ते की वर्तमान दरें आयोग की सिफारिश पर आधारित हैं।

Expenditure of Street Lighting in New Colonies of New Delhi

1072. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a dispute between the New Delhi Municipal Committee and the C.P.W. D. regarding bearing the expenses on lighting arrangements in the by-lanes and service lanes of new colonies in New Delhi ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the action taken to resolve it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes.

(b) and (c) The New Delhi Municipal Committee are not prepared to maintain street lights in Government colonies without payment of maintenance charges by Government. They contend that they are responsible for the provision and maintenance of street lights only on roads declared as public roads under the Punjab Municipal Act. Since roads in Government conloies are not public roads within the meaning of that Act, New Delhi Municipal Committee cannot incur any expenditure on providing or maintaining lights on these roads. Governments contention has been that since these roads are public roads and Government pay service charges to the New Delhi Municipal Committee in respect of the colonies, the maintenance of street lights is the responsibiilty of the local body.

A committee consisting of the Lt. Governor, Delhi, the Finance Secretary and the Works Secretary, has been constituted, to decide, *inter alia*, whether payment for the maintenance of street lights is to be made by Government.

बन्ध्यकरण

1073. **श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि 9 जनवरी, 1968 को न्यूयार्क में प्रेस सम्मेलन में बोलते हुए राज्य मंत्री ने घोषणा की थी कि 26 अध्ययनों के परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि दो से अधिक बच्चे होने के बाद 77 प्रतिशत विवाहित औरतें तथा 66 प्रतिशत आदमी अपना बन्ध्यकरण कराना पसन्द करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अध्ययन कहां-कहां किये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस आशय की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी नहीं । न्यूयार्क में प्रेस सम्मेलन में बोलते समय मैंने इन आंकड़ों का उल्लेख परिवार नियोजन के पक्ष में लोगों की प्रवृत्ति बताने के लिए किया था, न कि नसबन्दी के लिए उनकी पसन्द बताने के सम्बन्ध में ।

(ख) देश के विभिन्न भागों—शहर तथा गाँव दोनों, में परिवार नियोजन प्रभिवृत्ति सर्वेक्षण किए गये हैं ।

(ग) दिल्ली का आर्थिक विकास संस्थान, 1962 में ऐसे 26 अध्ययनों की एक समीक्षा प्रकाशित कर चुका है । यह समय-समय पर प्रकाशित होने वाला पाँचवाँ अध्ययन-पत्र है और इसका शीर्षक है - "ऐटीच्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग इन इण्डिया"।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1074. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन योजना का लाभ निम्न मध्यम वर्ग तथा समाज के निर्धन लोगों को भी मिल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो (एक) 1000 रुपये से अधिक (दो) 1000 रुपये और 500 रुपये के बीच और (तीन) 500 रुपये से कम वार्षिक आय वर्ग के लोगों के बारे में नसबन्दी और लूप लगाये जाने के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ ।

(ख) ऐसे आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा जाता है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1075. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये वित्तीय परिव्यय कितना है ; और

(ख) इसमें से कितना धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 13.69 करोड़ रुपये था ।

(ख) जम्मू व कश्मीर, मद्रास और पंजाब के अतिरिक्त केन्द्रीय परिव्यय 12.37 करोड़

रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 12.11 करोड़ रुपये था। अन्य तीन राज्यों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

परिवार नियोजन के लक्ष्य

1076. **श्री मती सुशीला रोहतगी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में परिवार नियोजन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) राज्यवार ये लक्ष्य कहाँ तक पूरे हुए हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर):

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 127/68]

मद्य–निषेध

1077. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाँधी शताब्दी के अवसर पर मध्य-निषेध लागू करने के लिये जैसा कि संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में दिया गया है, सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

मध्य–निषेध संबंधी अध्ययन-दल ने 30 जनवरी, 1970 तक, जब महात्मा गाँधी की जन्म शताब्दी सम्बन्धित समारोह समाप्त होंगे, समस्त भारत में पूर्ण मद्य-निषेध जारी किए जाने की सिफारिश की थी। राज्य सरकारें यदि चाहें तो मद्य-निषेध कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार संविधान में दी गई नीति का पालन कर रही है।

आयकर की बकाया राशि

1078. **श्री अब्दुल गनी दार :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इसकी वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक आय-कर की कुल 552.05 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) इन बकाया रकमों को वसूल करने के लिये हाल ही में किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य सरकारों से वसूली का कार्य धीरे-धीरे (केन्द्र में) ले लेना। राज्य सरकारों से वसूली का कार्य दिल्ली और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तथा आय-कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, के कार्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से ले लिया गया है।

(ii) निरीक्षी सहायक आयुक्तों के 67 रेन्जों में काम के अनुसार कार्य-विभाजन की एक योजना लागू की गई है, जिसके अधीन कर की बकाया की वसूली का कार्य पूरी तौर से इसी कार्य पर लगे आय-कर अधिकारियों को सौंपा जाता है।

(iii) जिन मामलों में आयकर की बकाया रकम वसूल होनी बाकी है उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर इस प्रकार रखी गई है :—

आयकर अधिकारी	1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
निरीक्षक सहायक आयुक्त	1 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 लाख रुपये से नीचे की बकाया के मामले।
आयकर आयुक्त	5 लाख रुपये से अधिक की बकाया के मामले।

(iv) 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया माँग के मामलों का निरीक्षण निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा समीक्षा।

(v) सभी कम्पनियों के मामलों में और यदि कर-निर्धारण के लिये आय की रकम 20,000 रुपये से अधिक हो तो कम्पनी भिन्न मामलों में भी बकाया बताने वाले विवरण-पत्र रखना।

(vi) बकाया माँगों की शीघ्र वसूली पर नजर रखने के लिये आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्र में विशेष वसूली यूनिटों की स्थापना की गई है।

(vii) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में 1-10-1967 से ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है;

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये कानून में उपलब्ध वे सभी उपाय किये जाते हैं जो प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक होते हैं।

आयकर की बकाया राशि

1079. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनपर आयकर की बकाया राशि है और जिनकी आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है; और

(ख) इन व्यक्तियों की आय कितनी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति

1080. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई अनुसूचित बैंकों ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित होने से पहले अपने बैंकों के जनरल मैनेजरों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक से ऐसा करने के लिये अनुमति ली थी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) बैंक आफ बड़ौदा,
बैंक आफ इण्डिया,
बैंक आफ महाराष्ट्र,
देना बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
सिंडीकेट बैंक,
यूनियन बैंक आफ इण्डिया,
यूनाइटेड कॉमर्शल बैंक,

(ग) रिजर्व बैंक को, सरकार से अनुमति लिये बिना अपने आप स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है ।

हरियाना में चिकित्सा कालेज

1081. श्री अब्दुल गनी दार : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना सरकार ने करनाल में एक चिकित्सा कालेज खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या विभिन्न संगठनों की ओर से यह कालेज करनाल में खोलने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) उस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) और (ख) हरियाणा सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ;

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में टाटा बंधुओं द्वारा उर्वरक-उद्योग समूह की स्थापना

1082. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा बंधुओं द्वारा गुजरात में एक विशाल उर्वरक समूह स्थापित के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) गुजरात में एक उर्वरक एवं रसायन-उद्योग समूह की स्थापना के बारे में टाटा बंधुओं द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सरकार के परीक्षणाधीन है।

कृष्णा और गोदावरी जल सम्बंधी विवाद

1083. श्री ईश्वर रेड्डी : श्री देवव्रत बरुआ :
श्री मोहसिन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी जल सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस समस्या का अन्तिम हल कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) प्रधान मन्त्री ने अगस्त और अक्टूबर, 1967 में सम्बद्ध तीन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही और विचार करने की सम्भावना है ।

प्रधान मन्त्री का निवास-स्थान

1085. श्री बी० चं० शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के लिये कोई अन्य निवास-स्थान की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जापान को नेफ्था का निर्यात

1086. श्री बी० चं० शर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयल कारपोरेशन ने कोचीन से जापान को एक लाख मीट्रिक टन नेफ्था के निर्यात के सम्बन्ध में एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) नेफ्था का निर्यात करने वाले अन्य देशों की निर्यात दर की तुलना में हमारे देश से नेफ्था का निर्यात कैसा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भूमि के कटाव के प्रभाव के कारण नदी घाटी परियोजनाओं को खतरा

1087. श्री बी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के कटाव से देश में नदी घाटी परियोजनाओं को कोई खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के कटाव से उन्हें बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जलाशयों में गाद जमा होना प्राकृतिक घटना है और इसी कारण ही जलाशय परियोजना के समय गाद के समाने के लिए आवश्यक निष्क्रिय संचय का प्रबन्ध किया जाता है । फिर भी वाह्यक्षेत्र से गाद आने की गति को घटा कर जलाशय की उमर बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित 13 बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के वाह्यक्षेत्र में भूमि संरक्षण के कार्यक्रम को खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने तीसरी योजना में हाथ में लिया था । स्कीम अभी चालू है ।

तेल शोधन क्षमता

1088. श्री बी० चं० शर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैट्रोलियम संस्था ने तेल शोधन क्षमता को बढ़ा कर वर्ष 1975 तक 3 करोड़ टन करने की मांग की है ;

(ख) क्या इस मांग पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) भारतीय पैट्रोलियम संस्था द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन में यह सुझाव है कि 1975 तक उस समय की संभाव्य मांगों की पूर्ति के लिए शोधन क्षमता को 32 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ा देना आवश्यक होगा ।

(ख) और (ग) मामला सरकार के परीक्षणाधीन है ।

Allotment of Plots to Political Parties in Delhi

1089. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be Pleased to state :

(a) whether Government have allotted any Government accommodation or plots of land at concessional rates in Delhi during the last twenty years for the office or offices of any political party or parties or for the residence of their leaders and office-bearers ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The time and labour that would be involved in furnishing the information would not be commensurate with the results that may be achieved.

Income-Tax Arrears

1090. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of arrears of income-tax outstanding for more than five years or for the last five, four, three or two years respectively against the persons or Companies paying Rs. 1 lakh or more as income-tax ; and

(b) the progress made in the disposal of income-tax arrear cases during the last year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Out of the total arrear assessments of 21,64,670 for disposal on 1-4-1966, 10,85,422 assessments were disposed of during 1966-67.

आयकर निर्धारण

1091. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन प्रणाली के अनुरूप आयकर विभाग में कर-निर्धारण तथा कर वसूली करने की प्रणाली में हाल ही में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं और यह किन क्षेत्रों में लागू की गई हैं ;

(ग) क्या कर-निर्धारण को जल्दी निपटाने के बारे में कोई सुधार किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 1966 और 1967 में नवम्बर तथा दिसम्बर में आयकर आयुक्त, कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मामलों के निपटान के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) आय-कर अधिकारी के कार्य, तीन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जा सकते हैं।

1. प्रशासन
2. कर-निर्धारण अर्थात् कुल आय और देय कर का निर्धारण ; और
3. कर का संग्रह ।

अपने अधिकार-क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में एक ही आयकर अधिकारी द्वारा ये तीनों ही कार्य किये जा रहे थे। हाल ही में लागू की गई नई प्रणाली के अन्तर्गत, ये कार्य अलग-अलग कर दिये गये हैं। इसे कार्य-विभाजन-प्रणाली कहते हैं। अब एक कार्य-विभाजन-प्रणाली वाले एकक में एक आय-कर अधिकारी प्रशासन का, अन्य एक आय-कर अधिकारी कर-संग्रह का और कई आय-कर अधिकारी कर-निर्धारण का कार्य करते हैं। इस प्रकार सारा काम विभाजन प्रणाली के अनुसार, आय-कर अधिकारियों में बंटा हुआ है। इसी तरीके से, विवरणियां मँगवाने के नोटिस तैयार करना, कर का हिसाब लगाना, अपील के प्रभावों की छान-बीन करना, कर की वापसी, नजरसानी, दोषसुधार जैसे कार्यालयी काम. के विभिन्न अंगों को भी लिपिकों/प्रधान लिपिकों के वर्गों में बांट दिया गया है, इन वर्गों को कोष्ठक कहा जाता है, और प्रत्येक कोष्ठक तत्-निमित्त सौंपा गया विशेष कार्य करता है।

यह प्रणाली प्रत्येक आय-कर आयुक्त के कार्यक्षेत्र के एक अथवा एकाधिक निरीक्षी सहायक आय-कर आयुक्तों की रेन्जों में लागू की गई है। कुल मिलाकर विभाग में 71 ऐसे एकक हैं जिनमें कार्य-विभाजन प्रणाली चालू की गई है।

(ग) कार्य-विभाजन-प्रणाली एककों द्वारा 1966 और 1967 के नवम्बर और दिसम्बर महीनों में निपटाये गये कुल मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

	1966	1967
नवम्बर	73,370	82,059
दिसम्बर	72,920	80,607

इन आंकड़ों से काम में कुछ सुधार दिखाई देता है।

(घ) 1966 और 1967 के नवम्बर तथा दिसम्बर महीनों में, आयकर आयुक्त, कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में कार्य विभाजन प्रणाली एककों द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या की तुलना इस प्रकार है :–

	1966	1967
नवम्बर	6,623	5,463
दिसम्बर	6,529	6,792

नवम्बर, 1967 में निपटान के मामलों में कमी शहर में अशान्ति की स्थिति के कारण बताई जाती है।

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

1092. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बड़ी तथा मध्यम आकार की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं तथा वे कब तक पूरी हो जायेंगी और चालू हो जायेंगी ;

(ख) क्या कोई और योजनाएं भी निर्धारित समय से पीछे रह गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 128/68]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता :

बहुमंजली इमारतों का निर्माण

1093. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1967 से अब तक सरकारी कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिये बनाई गईं इमारतों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) उनकी देखभाल पर वार्षिक कितना धन व्यय होता है ;

(ग) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई मद्रास आदि बड़े नगरों में बनाई गई बहु-मंजली इमारतों पर कितना धन व्यय हुआ है ;

(घ) उनकी देखभाल पर वार्षिक कितना धन व्यय होता है ;

(ङ) क्या वर्तमान मितव्ययता के समय में इन इमारतों पर व्यय करना वांछनीय है ; और

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन निर्माण-कार्यों को रोकने का तथा इस धन को कृषि-कार्यों पर लगाने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के डिवीजन

1094. श्री शशि रंजन : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कितने डिवीजन हैं ;

(ख) उन पर प्रति मास कितना धन व्यय होता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डिवीजनों की संख्या कम से कम करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) 1 फरवरी, 1968 को 144 ।

(ख) औसत मासिक-व्यय 31 लाख रुपये है ।

(ग) और (घ) प्रभाग के कर्मचारियों की संख्या का पुनरीक्षण कार्यभार के आधार

पर समय-समय पर किया जाता है । जब कभी यह देखा जाता है कि किसी प्रभाग के पास में पर्याप्त कार्य-भार नहीं है तो उसकी संख्या को फिर से ठीक किया जाता है । चालू वर्ष के दौरान, कार्यभार के आवधिक पुनरीक्षण के फलस्वरूप 5 प्रभागों को बंद किया जा चुका है ।

आयकर दाता

1095. श्री शशि रंजन : श्री मोलहू प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर देने वालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) करदाताओं के लिये बाजार सर्वेक्षण की क्या प्रणाली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) आय-कर विभाग के रजिस्टर में 31–3–1967 को कर-निर्धारितियों की कुल संख्या 27, 01,733 थी ।

(ख) 31–3–1962 को कर-निर्धारितियों की कुल संख्या 12,00,367 थी । इस प्रकार कर-निर्धारितियों की संख्या में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) जिन व्यक्तियों का कर निर्धारण नहीं हुआ है उनका पता लगाने के लिये आय-कर विभाग के निरीक्षक दुकान-दुकान जा कर सर्वेक्षण करते हैं । उनके कारोबार के विस्तार तथा अन्दाजन सालाना आमदनी के बारे में स्थानीय तौर से पूछ-ताछ की जाती है । अगर आमदनी कर लगने योग्य न्यूनतम आमदनी से ऊपर होने का अनुमान होता है तो ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण की कार्यवाही शुरू करने के लिये सम्बन्धित आय-कर अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजी जाती है ।

धन-संचय

1096. श्री शशि रंजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के किसी समूह के हाथों में धन-संचय का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह व्यक्ति विशेष कौन है और व्यक्तियों का वह समूह कौन सा है ; और

(ग) उपरोक्त दो वर्गों के हाथों में राष्ट्र की कुल आय की तुलना में अनुमानतः कितना धन संचय है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) "आय और सम्पत्ति का वितरण तथा आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण" विषयक समिति की रिपोर्ट (भाग 1) और एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अलावा, इस तरह की कोई और जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है । ये दोनों रिपोर्टें सदन को दी जा चुकी हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि उपर्युक्त रिपोर्टों के अलावा कोई खास जांच नहीं की गयी है, इसलिये ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

नई उर्वरक नीति

1097. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरकों के सम्बन्ध में एक नई समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Medical Facilities for M.Ps.

1098. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is any provision of medical facilities for Members of Parliament in their respective States ;

(b) if so, the details threof, State-wise ; and

(c) if not, whether Government porpose to provide any medical facilities to the Members of Parliament when they are out of Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (c) Members of Parliament are entitled to receive medical attendance and treatment under the Medical Facilities (Members of Parliament) Rules, 1959. In Delhi they are entitled to the same facilities as are available to officers of the Central Civil Service, Class I, having headquarters at Delhi or New Delhi under the Central Government Health Scheme for Government employees. Outside Delhi, Members of Parliament are entitled to receive medical attendance/treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendance) Rules. Under these rules, Members of Parliament stationed in or passing through the territories administered by the State Governments are entitled to receive medical attendance and treatment from medical officers employed under the State Governments on payment of such fees as might be prescribed by the State Governments. The fees are payale direct to the medical officers and reimbursement is claimed from the Lok Sabha/Rajya Sabha to the extent permissible under the rules. Regarding hospital treatment for the purpose of these rules, all State or State-aided hospitals, authorised hospitals for receiving in-patient treatment.

Financial Assistance to Bihar

1099. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount demanded by the United Front Government of Bihar from the Central Government for relief work to meet the situation created as a result of famine and the devasttaing flood last year ;

(b) the amount sanctioned by Government and the amount, out of it, provided to the Bihar Government ;

(c) whether the Central Minister of food and agriculture said in the meeting of Joint Emergency Committee of the Governments of Bihar and Centre held in Patna on the 15th January, that the payment of the remaining amount would be made to Government of Bihar ; and

(d) if so, when Government propose to make payment of the remaining amount ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The former Government of Bihar had estimated their total requirement of funds for drought and flood relief measures during 1967-68 at Rs.59 crores and had requested for Central assistance of this amount.

(b) The Government of India have agreed to provide funds upto Rs.45·74 crores for expenditure on approved items of drought and flood relief during 1967-68. Against this an amount of Rs.43.25 crores has already been released.

(c) No such assurance was given.

(d) Does not arise.

बिहार में अकाल तथा सूखे की स्थिति

1100. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह राज्य में अकाल तथा सूखे से सम्बन्धित सारा व्यय वहन करें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बिहार सरकार की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस राज्य को कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकार से चर्चा करने के पश्चात् अकाल और सूखा पीड़ितों के लिये अपेक्षित अधिकृत खर्च-सीमा की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गई है ।

(ग) 1966–67 और 1967–68 में कुल 56.75 करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था की गई ।

Construction of Irrigation Projects in Rajasthan and Madhya Pradesh

1101. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) when all the phases of work relating to the construction of various irrigation projectss in Madhya Pradesh and Rajasthan will be completed ; and

(b) the acreage of land being irrigated and the wattage of electricity supplied to Madhya Pradesh and Rajasthan annually out of the water and electricity so far available ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr . K.L. Rao):

(a) A statement giving the requsite information is attached. [**Placed in Library. See. No. LT-129/68.**]

(b) Names of State	Land Irrigated from major and medium projects (in 000 acres) 1966-67.	Electricity consumed (in million kwh) 1966-67 (provisional figures).
Madhya Pradesh	275	1167
Rajasthan	1180	336.

Manufacture of Anti-Cancer Medicines

1103. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any agreement for the manufacture of anti-cancer medicines has been entered into between India and the Cancer Institute of U. S. A. and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No.

(b) Does not arise.

Jawahar Jyoti

1104. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the head under which the expenditure is being incurred on Jawahar Jyoti which has been kept burning at the residence of Prime Minister, Jawahar Lal Nehru ; and

(b) the amount of expenditure incurred thereon annually ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) "50-Public Works".

(b) Rs.32,000/- approximately.

Possibility of locating Kerosene Oil in Arabian Sea near Bombay

1105. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Russian Geologists have explored the possiblities of locating kerosene oil on the shore of Arabian Sea near Bombay ;

(b) if so, whether any report to this effect has been received from them ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) A Russian party carried out seismic surveys in the off-shore areas of India including the Bombay Coast. This survey has disclosed the existance of structures favourable for the accumulation of hydro-carbons.

(b) The seismic survey team has submitted its report to the O. N. G. C.

(c) O.N.G.C. proposes to drill on some of the structures in the Gulf of Cambay at an early date with Soviet Assistance. The question of exploring the structures West of Bombay through other means is also under consideration.

कोयना में भूकम्प

1106. श्री बसवन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी कोयना भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रों में गये थे ; और

(ख) क्या उनसे अन्तिम रिपोर्ट मिल गयी है और यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक दल ने कोयना नगर और महाराष्ट्र के दूसरे भूकम्प-पीड़ित इलाकों का दौरा किया, ताकि भूकम्प से पैदा होने वाली स्थिति और सहायता कार्यों के खर्च की सम्भावित आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके । इस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसका सारांश सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 130/68]

रूमानिया द्वारा उर्वरक फैक्ट्रियों की पेशकश

1107. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया की सरकार ने भारत में उर्वरक फैक्ट्रियां स्थापित करने की पेशकश की है, और उनके भुगतान के बदले में भारत से भारतीय माल खरीदना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) सरकार के पास रूमानिया की सरकार द्वारा भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गर्भ-निरोध के लिये आयुर्वेदिक अथवा यूनानी दवाइयां

1108. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ-निरोधकों के रूप में प्रयोग के लिये सरकार को कोई आयुर्वेदिक अथवा यूनानी दवाइयां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ।

(ग) क्या इन दवाइयों को प्रयोग में लाया गया है और यदि हां, तो उनका प्रयोग करने के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर)

(क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्रालय को हकीमों और वैद्यों से 552 दावे तथा स्वदेशी औषधियों के 47 नमूने, गर्भ-निरोधक से रूप में जांच करने के सम्बन्ध में, प्राप्त हुए हैं।

(ग) गुणकारी औषधियों को छांटने के उद्देश्य से सरकार ने प्राप्त गर्भ-निरोधकों के नुस्खों की जाँच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी 16 नवम्बर 1967 की बैठक में, उस समय तक प्राप्त, 260 दावों की जाँच की थी और उसने खाने वाले गर्भ-निरोधकों के रूप में जाँच करने के लिए 56 नुस्खों की सिफारिश की थी। इन 56 औषधियों की विषाक्तता का अध्ययन किया जा रहा है। इनमें से जो विषरहित औषधियाँ होंगी उनकी, खाने वाले गर्भ-निरोधकों के रूप में निर्भरता, क्षमता तथा विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए, क्लिनीकल जाँच की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Irrigation facilities in India

1109. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lack of irrigation facilities is one of the main reasons for continued famine conditions in the country ;

(b) whether Government have given any priority to the programme of expansion of irrigation facilities in comparison to other matters; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Assured irrigation is one of the basic inputs for successful agriculture in India in view of its widely varying climatic conditions and incidence of rainfall.

(b) Yes , Sir, within the available resources.

(c) Does not arise.

Central Assistance for Bagmati and Aghwara River Valley Projects in Bihar

1110. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the nature of assistance proposed to be extended to the Bihar Government for Bagmati and Aghwara river valley projects ; and

(b) the steps taken by Government for the expeditious implementation of these projects in view of the continued food crisis faced by the country ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) Bagmati project has been technically cleared and is pending aproval by Planning Commission. Aghwara project has been examined by an Expert Committee and specific project reports are awaited from the State Government.

Supply of Electricity to Rural Areas

1111. **Shri K. M. Madhukar**: Will the, Minister of **Irrigation and Power** be pleeasd to state :

(a) the Schemes which has been drawn up for expeditious supply of electricity to the rural areas ;

(b) the amount of expenditure likely to be incurred on it during 1968-69, state-wise ;

(c) whether particular attention has been paid to the backward States in respect of these allocations ; and

(d) the position of each state in the country in respect of the supply of electricity ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (d) Earmarked Central loan assistance is provided for rural electrification schemes. Since 1966-67, rural electrification schemes have been drawn up with a bias towards connecting irrigation pump-sets for increasing agricultural production. Allocations of Central assistance for rural electrification in 1968-69. Statewise will be decided after the quantum of over all Central assistance for the State Plans is finalised. The resources and programme of the States for rural electrification will be taken into consideration in finalising these allocations. A statement showing the number of Villages electrified Statwise is given in annexure I (**Placed in Library. See No. L.T—131/68**). The position showing the number of Irrigation pump-sets/tubewells energised in the States is indicated in annexure II (**Placed in Library. See No. L.T.—132/68**).

Supply of Electricity to Rural Areas in Bihar

1112. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irriation and Power** be pleased to State :

(a) the amount allocated to the Government of Bihar for the supply of electricity to rural areas during the last fiive years ;

(b) whether it is a fact that the amount allocated to the Government of Bihar for the sup-ly of electricity to the rural areas during the current financial year is less than half of the amount allocated last year ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) to (c) The following were the alloations of Central assistance to the Government of Bihar for supply of electricity to rural areas during the last five years :

Years				Allocation (Rs. in lakhs) Normal	Additional
1963-64	..	..	..	40	..
1964-65	..	..	..	50	20
1965-66	..	..	..	90	48
1966-67	..	..	..	275	600
1967-68	..	..	..	575	..

During the years 1964 to 1966 additional allocations were made to implement the 'crash programme' for increasing agricultural production and during the year 1966-67 an additional allocation was made for relieving drought conditions by energisation of tube-wells/pumpsets. While additional alloation have not been given in 1967-68 to Bihar and other States, the normal allocation to Bihar has been more then what was given in 1966-67.

River Valley Projects in Bihar

1113. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total acreage of land which is likely to be irrigated in Bihar after the completion of Gandak, Kosi and Bagmati Projects in Bihar ;

(b) the acreage of land which could be saved from floods ;

(c) the wattage of power which would be generated after the completion of these projects ;

(d) the percentage of cultivable land in Bihar which would come under irrigation thereby; and

(e) the expenditure involved on the irrigation of land per acre ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) :

(a) About six million acres.

(b) About a million and half of acres.

(c) 35,000 K.W.

(d) Additional percentage of irrigation to sown area on account of the above project will be 20.

(e) About Rs. 280 per acre.

विदेशी मुद्रा की तस्करी वाला गिरोह

1114. **श्री क० प्र० सिंह देव: श्री उमानाथ :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी प्रवर्तन-अभिकरणों ने मेंगनीज अयस्क के कुछ निर्यातकों द्वारा संचालित विदेशी मुद्रा की तस्करी वाले एक गिरोह के बारे में जांच पूरी कर ली है ।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जिस मामले के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है, उसका प्रश्न में स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया है । पिछले कुछ वर्षों में वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन विभागों ने कच्चे मेंगनीज के निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्यातकों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के मामलों के मुख्य समूहों की जांच-पड़ताल की है :—

(i) मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।

(ii) मैसर्स राय बहादुर श्रीराम दुर्गाप्रसाद प्राइवेट लिमिटेड, तुमसर ।

जाँच पड़ताल विभिन्न अवस्थाओं में चल रही है । कुछ मामलों में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है । मामलों में पार्टियां कुछ अदालत में गई हैं ।

(ख) और (ग) जिन मामलों में जांच-पड़ताल पूरी हो गयी है, उनमें उपयुक्त कानूनों के अधीन न्याय-निर्णय की कार्यवाही शुरू की गयी है । पार्टियों द्वारा अदालती कार्यवाही किये जाने के कारण, न्याय-निर्णय सम्बन्धी आगे की कार्यवाही में रुकावट आ गयी है ।

राजनैतिक दंगों के खतरे से उद्योगों का बीमा

1115. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बैंक मालिकों ने राजनैतिक दंगों के खतरे से उद्योगों का बीमा करने का सुझाव सरकार को दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या हैं ; और

(ग) उसके बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) एक बैंकर से सुझाव मिला था कि सरकार को बीमे की एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों का राजनीतिक विग्रह, मजदूरों की सामूहिक कार्यवाही, दंगों तथा बलवों, तोड़-फोड़, विद्वेषमूलक क्षतियों, आदि द्वारा होने वाली हानि अथवा क्षति के लिए बीमा किया जा सके ।

(ग) सरकार ने ऐसी योजना बनाना वांछनीय नहीं समझा ।

कालाहांडी (उडीसा) में चेचक

1116. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में चेचक महामारी के रूप में फैल गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने महामारी के उन्मूलन के लिये उस राज्य को कितनी सहायता दी है ; और

(ग) अब तक कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) इस महामारी के उन्मूलन के लिये इस राज्य को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है :—

(i) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो कि एक केन्द्र सहाय्यित योजना है, गहन टीका और पुनर्टीका अभियान हेतु अपेक्षित अतिरिक्त स्टाफ के लिये राज्य सरकार को 60 प्रतिशत सहायता दी जाती है ।

(ii) जमी हुई सूखी वैक्सीन काफी मात्रा में निःशुल्क दी जा रही है ।

(iii) राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से जनवरी, 1968 में सम्पर्क स्थापित किया गया था और उन्हें रोकथाम के उपायों को अधिक तेज करने तथा रोगानुकूल आयु वर्ग के व्यक्तियों, असुरक्षित श्रमिक/घुमन्तू लोगों को गहन स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार-साधनों की सहायता से सफलतापूर्वक टीका लगाने के लिये आवश्यक तकनीकी सलाह दी गई ।

(ग) रोग का प्रकोप कम हो रहा है।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

1117. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तयार किये गये प्राद्योगिक आर्थिक संभाव्यता अध्ययन का परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह कार्य कब पूरा होने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) से (ग) जी नहीं। भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड की एक उप-समिति मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित रिपोर्ट पर छानबीन कर रही है। निगम ने पानी, बिजली और कोयले आदि के उपयुक्त प्रबन्धों और आश्वासनों के लिये राज्य सरकार तथा अन्य अधिकारियों से भी प्रार्थना की है। निदेशकों के बोर्ड की सिफारिशें, जिनके शीघ्र ही मिल जाने की आशा है, प्राप्त होने पर सरकार रिपोर्ट पर फिर विचार करेंगी।

नर्मदा नदी के जल का उपयोग

1118. श्री श० ना० शुक्ल : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी के बेसिन में अथवा उससे बाहर पृथक-पृथक कितने एकड़ भूमि में गुजरात सरकार ने नर्मदा जल का उपयोग करके सिंचाई करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) नर्मदा बेसिन में कितने एकड़ भूमि में मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में नर्मदा जल का उपयोग करके सिंचाई करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) नर्मदा बेसिन में भूमि में अधिक उपज वाली फसलें बोना आरम्भ किये जाने पर जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है, सिंचाई करने के लिये नर्मदा-जल कुल कितने एकड़ फुट तक उपयोग में लाया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) सम्बद्ध राज्यों द्वारा खोसला-समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के अनुसार, गुजरात में 45.8 लाख एकड़ की और मध्य प्रदेश में 77.5 लाख एकड़ की सिंचाई की जानी थी।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है।

Prevention of Floods in River Ganges

1119. **Shri Prakashvir Shastri : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the result of the programme that was being drawn up some time back in consultation with the State Government for preventing the recurring loss caused by the floods in the Ganges in Moradabad district of Uttar Pradesh every year ;

(b) whether it is a fact that heavy loss of life and property is caused every year to those areas of Hasanpur Tehsil which are situated on the back of the Ganges ; and

(c) if so, the time likely to be taken to prevent floods in these areas ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) A joint inspection of the flood-affected areas of Hasanpur tehsil in Moradabad District of U. P. was carried out by the Chief Engineer (Flood Control) , Central Water and Power Commission, and the Chief Engineer, Uttar Pradesh, on 3-2-68. The following recommendations, subject to the results of detailed surveys of the area and investigations, have been made for giving relief to the affected areas :

(i) The existing Jibpur-Collector Sadhu Bund may be extended in the north to follow the alighment of the watershed between Ganga and Mahewa Nadi ;

(ii) The existing Collector Sadhu-Jibpur Bund may be raised and strengthened ;

(iii) Before the proposals at (i) and (ii) are implemented, their effects on the safety of the Narora weir may be examined and measures as necessary for the safety of the weir taken ;

(iv) The villages between the Ganga and the proposed bund may be raised and connected with the bund. Village abadies may be properly protected by pitching etc. to safeguard against erosion.

(b) The available flood damage figures are as follows :

			1966	1967
No. of villages affected	..	..	224	241
Cropped area affected (acres)	..	..	42,675	49,520
Loss of life and cattle	..	..	N.A.	Nil

The annual loss of property is reported to vary from Rs. 1 lakh to Rs. 8·7 lakhs.

(c) The time for completion of works will be known after investigations are completed and estimates prepared for the works mentioned in (a)

Family Planning Programme in Rural Areas

1120. **Shri Prakash Vir Shastri : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ramji Ram : Shri S. C. Samanta :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the additional efforts which are being made to make Family Planning Programme effective in rural areas ; and

(b) whether it is proposed to further broaden the programme in this regard in coming years ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) and (b) A Statement containing the required information is enclosed [**Placed in Library. See no. LT—133/68**]

धूवर्ण तापीय बिजली घर

1121. श्री द० रा० परमार : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में धूवर्ण तापीय बिजली घर की वर्तमान क्षमता कृषकों और उद्योगपतियों की बिजली सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लोगों की मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान क्षमता को बढ़ाने हेतु कुछ गैस-टर्बाइन लगाने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक गैस-टर्बाइन न खरीदे जाने तथा स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हां।

(ख) से (घ) धुवर्ण पर 94 मेगावाट की कुल क्षमता के गैस-टर्बाइनों के प्रतिष्ठापन की एक स्कीम कार्यान्विनार्थ स्वीकार कर ली गई है। इसमें से, 27-27 मेगावाट के दो यूनिटों के बाहर से मँगवाने और 10-10 मेगावाट के चार यूनिटों को अन्य राज्यों से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। इनको प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

राज्यों में परिवार नियोजन केन्द्र

1122. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य में सभी परियोजन-केन्द्रों में काम हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या परिवार नियोजन केन्द्रों को उचित रूप से धन का वितरण करने के लिये सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता दी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) सभी राज्यों में परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र अपेक्षित संख्या में अभी कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) इन केन्द्रों की एक कार्यक्रम के आधार पर व्यवस्था की जानी है। चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की कमी और खासतौर से देहाती क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों के अभाव जसे मुख्य कारणों की वजह से इन केन्द्रों में कमियां हैं।

(ग) जी हां। इस उद्देश्य के लिए राज्यों को पर्याप्त धन दिया गया है।

आसाम में आदिम जातियों का कल्याण

1123. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में आसाम में आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) 1967 में आसाम में आदिम जाति-क्षेत्रों में कितने स्कूल खोले गये ; और

(ग) क्या सभी क्षेत्रों में सड़कें बनाई गई हैं ?

समाज-कल्याण राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) वर्ष 1966-67 के लिए 149.30 लाख रुपए ।

(ख) पिछड़े वर्ग क्षेत्र में नए स्कूल स्थापित करने की कोई योजना नहीं थी ।

(ग) जी नहीं ।

सिलचर चिकित्सा कालेज में रोग-जांच पाठ्यक्रम से पहली कक्षाएं

1124. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जुलाई, 1968 मे सिलचर चिकित्सा कालेज में रोग जांच पाठ्यक्रम से पहले की कक्षाएं आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सिलचर चिकित्सा कालेज का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं । तथापि सिलचर के एक प्राइवेट कालेज में, 1968 में, प्री-मेडिकल कक्षाएं चलाने का विचार है ।

(ख) कालेज तथा अन्य भवनों का निर्माण-कार्य पैसे की कमी के कारण अभी पूरा नहीं हो पाया है ।

(ग) मेडिकल कालेज की इमारत को पूरा होने में कम से कम दो वर्ष और लग जाने की सम्भावना है ।

महाराष्ट्र के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन

1126. श्री राणे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 के लिये महाराष्ट्र राज्य को मिट्टी के तेल का कितना कोटा नियत किया गया था और इन महीनों में इस राज्य को वस्तुतः इसकी कितनी सप्लाई की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन महीनों में उन राज्य में मिट्टी के तेल की कमी थी और अनेक गांवों, नगरों तथा शहरों को मिट्टी का तेल नहीं मिल सका था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(आंकड़े मीटरी टनों में)

(क)	नवम्बर, 67		दिसम्बर, 67		जनवरी, 68
कोटा	वस्तुतः सप्लाई	कोटा	वस्तुतः सप्लाई	कोटा	वस्तुतः सप्लाई
44,700	42,313	44,700	42,049	44,700	46,563

(ख) मिट्टी के तेल की कमी की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं ।

(ग) मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक धन लेना (ओवरड्राफ्ट)

1127. श्री सम्बन्धन : श्री चं० चु० देसाई :

श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने 31 दिसम्बर, 1967 तक नियत राशि से अधिक लिया गया धन वापिस कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन तारीख तक उन्होंने नियत राशि से कितना अधिक धन लिया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों ने 29 दिसम्बर, 1967 तक (30 दिसम्बर और 31 दिसम्बर, 1967 की छुट्टी थी), भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकमों से जो अधिक रकमें निकाल रखी थी; उनका ब्योरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	1.84
2. बिहार	13.88
3. मध्य प्रदेश	6.87
4. मद्रास	8.74
5. मैसूर	0.43
6. उड़ीसा	6.24
7. राजस्थान	4.94
जोड़	42.94

जीवन बीमा निगम की ऋण देने की शर्तें

1128. श्री सम्बन्धन : क्या वित्त मन्त्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को ऋण दिये जाने की शर्तों के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों की किस्मों से सम्बन्धित ब्योरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1965, 1966 और 1967 में किन-किन कम्पनियों को और कितनी-कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :

(क) जी, हां।

(ख) (क) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये :

मुख्य शर्तें नीचे दिये अनुसार हैं :—

ब्याज : 9% प्रति वर्ष, जो प्रति छमाही जमा करना होगा किन्तु मूल तथा ब्याज की किस्तों की नियत तारीखों पर अदायगी करने पर 1% प्रति वर्ष की छूट दी जाती है।

अवधि : सामान्य रूप से 15 वर्ष, पहली प्रति-अदायगी ऋण के पहले भुगतान की तारीख से सामान्यतः 10 वर्ष समाप्त होने पर जमा करनी होती है।

जमानत : कम्पनी की स्थिर परिसम्पद पर ऋण दिया जाता है किन्तु इसमें सामान्य रूप से 50% की गुंजाइश रखी जाती है।

(ख) अन्य प्रयोजनों के लिये :

निगम द्वारा कम्पनियों को निम्नलिखित 2 योजनाओं के अन्तर्गत बन्धक-ऋण भी दिये जाते हैं ; अर्थात्

(1) अचल सम्पत्ति को रेहन रखने पर ऋणों की मंजूरी की योजना, जिसे संक्षेप में योजना एम–i कहा जाता है, तथा

(2) सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को अपने कर्मचारियों की आवास-योजनाओं के प्रयोजन के लिए ऋणों की मंजूरी की योजना, जिसे संक्षेप में योजना एम vi कहा जाता है।

योजना एम–i के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण, सम्पत्ति के मूल्य के अधिक से अधिक 50% तक, ब्याज की 9% प्रति वर्ष की दर पर दिया जाता है तथा मूल और ब्याज की किस्तों की नियत तिथि पर अदायगी करने पर 1% प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है तथा उसकी प्रति-अदायगी छमाही समान किस्तों में करनी होती है।

योजना एम–vi के अन्तर्गत, सम्पत्ति के मूल्य के अधिक से अधिक 70% तक ब्याज की 9% प्रति वर्ष की दर पर ऋण दिया जाता है तथा मूल और ब्याज की किस्तों की नियत तिथि पर अदायगी करने पर 1% प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। ऋण अधिक से अधिक 20 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता है तथा उसकी प्रति-अदायगी छमाही समान किस्तों अथवा समीकृत मासिक किस्तों में करनी होती है।

(ग) (क) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये :

मंजूर किये गये ऋणों का भुगतान इस प्रकार किया गया है :

वित्तीय वर्ष	मंजूरशुदा ऋण	(2) में से 31-3-67 तक दिये गये ऋण
(1)	(2)	(3)
	(लाख रुपयों में)	
1965-66	1535	566
1966-67	1335	कुछ नहीं

(ख) अन्य प्रयोजनों के लिये :—

मंजूर किये गये तथा दिये गये ऋण इस प्रकार हैं:—

वित्तीय वर्ष	मंजूरशुदा ऋण	(2) में से 31-3-67 तक दिये गये ऋण
(1)	(2)	(3)
	(लाख रुपयों में)	
1965-66	197.90	62.15
1966-67	96.00	15.80
	293.90	77.95

नोट : जीवन बीमा निगम में आंकड़े वित्तीय-वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं ।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा जिन कम्पनियों को ऋण दिये गये हैं उन के नाम प्रकट करना लोकहित में नहीं है । 1965-66 तथा 1966-67 में कम्पनियों को मंजूर किये गये ऋण और इन दो वर्षों में भुगतायीं गयी कुल रकमें संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी हैं ।

हथकरघा उद्योग द्वारा उपयोग में लाये गये धागे पर उत्पादन शुल्क

1129. श्री सम्बन्धन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग ने उसके द्वारा उपयोग में लाये गये धागे पर लगे उत्पादन-शुल्क को हटाने के लिये सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यदि आंटियों के रूप में सूती धागा 29 (फ्रेंच) काउण्ट से कम का हो तो उसे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से पूरी तरह छूट मिली हुई है। यह आम तौर पर हथकरघा उद्योग में काम में आता है। तथापि उद्योग का निवेदन है कि छूट का विस्तार बढ़ा दिया जाय जिससे 29 अथवा उससे अधिक परन्तु 34 (फ्रेंच) काउन्ट से कम का इसी किस्म का धागा भी छूट के अन्तर्गत आ सके ।

(ख) इस बात पर विचार किया जा रहा है ।

Electrification of Villages

1130. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government propose to electrify one lakh villages by 1969 ;

(b) if so, the steps taken to achieve this target ; and

(c) the efforts being made to fully utilise the available hydro-electric energy ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) :

(a) and (b) The proposal to electrify one lakh villages by 2nd October, 1969 the birth centenary of Gandhiji was considered in 1964. Subsequently from 1966-67 it was decided that in order to increase agricultural production rural electrification schemes should be formulated with a bias towards energisation of irrigation/pumpsets. Because of shift in emphasis to energisation of pumpsets and constraint on financial resources it will not be possible to electrify one lakh villages by 1969. Up to the end of the Third Five Year Plan 47.705 villages were electrified and 5,14,231 pumpsets were energised. From April 1966 to upto December 1967 according to reports received so far additional 10,000 villages have been electrified. Similarly about 2,55 lakhs of pumpsets have been energised.

(c) The total hydro-electric potential of the country is estimated to be about 41 million Kw. at 60% load factor. The installed generating capcity of hydro-electric stations at the end of the Third Plan totalled 4.1 million Kw. During the period 1966-67 to 1970-71. 3.2 million Kw. is expected to be added. With the completion of the hydro schemes presently under construction the utilization will increase from the present 10% to about 18% of the total potential.

कोयना में आए भूचाल का अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों पर प्रभाव

1131. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना में आये भूचाल का दक्षिण गुजरात क्षेत्र तक प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या उससे पड़े प्रभाव का सर्वेक्षण किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) भूचाल के झटके बरोच क्षेत्र तक महसूस हुये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नसबन्दी आपरेशन और लूप पहनाना

1132. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के अन्त तक देश में कुल कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कुल कितने लूप पहनाये गये;

(ग) क्या वृद्ध लोगों और लड़कों की नसबन्दी के आपरेशनों के किन्हीं मामलों की सूचना सरकार को मिली है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मामलों के बारे में जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक किए गये नसबन्दी आपरेशन

(वेसेक्टामी और ट्यूबेक्टामी दोनों) और लूप के प्रयोग (10-2-68 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार) की कुल संख्या इस प्रकार है :

नसबन्दी (संख्या)	लूप का प्रयोग (संख्या)
36,44,571	21,96,398

(केवल वेसेक्टामी के मामलों के अलग आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) जी हां। इस प्रकार के कुछ इक्के-दुक्के मामलों की सूचना मिली है।

(घ) जी हां।

(ङ) सभी राज्यों को ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक उपाय बरतने के लिए सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

तुंगभद्रा परियोजना

1133. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना के उच्चस्तरीय नहर कक्ष का जो कुरनूल जिले के अलूर तालुक में जाता है सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नहर से कितने गांवों में सिंचाई होगी तथा प्रत्येक गांव में कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बड़े जलाशयों में से मिट्टी निकालना

1134. श्री नारायण रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े जलाशयों से मिट्टी निकालने के नये तरीके क्या हैं ;

(ख) बड़े जलाशयों में मिट्टी जमा न होने देने के नवीन तरीके क्या हैं ;

(ग) क्या देश में किसी परियोजना में ये तरीके अपनाये गये हैं और परीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) बड़े जलाशयों में से गाद निकालने के कोई व्यवहार्य तरीके नहीं हैं। बड़े जलाशयों में गाद को जमा होने से रोकने तथा उसके नियंत्रण के लिए जलधारा की उपयुक्त व्यवस्था की जाती हैं और भूमि संरक्षण उपायों को अपनाया जाता है जैसे वनरोपण, पशुओं को चरने से रोककर हरी पट्टी का विकास तथा वनरोपण, कृषि भूमि को सीढ़ीदार बनाना तथा कन्टूर लगाना। इसके साथ ही साथ इंजीनियरी उपायों को भी

करना होता है जैसे छोटे रोकबांधों का निर्माण, गली की मुखबन्दी आदि । तीसरी योजना में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए गए केन्द्रीय-कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 नदी घाटी योजनाओं के वाह्यक्षेत्रों में व्यवस्थित-उपाय किये गए थे और अभी तक ये उपाय 12 लाख एकड़ भूमि में किए जा चुके हैं । इस स्कीम को अभी चलाया जा रहा है ।

(घ) साधारणतया इन उपायों के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और तभी बड़े जलाशयों में गाद न बैठने देने के उपायों से समुचित लाभ मिल सकता है । अभी तक बड़ी परियोजनाओं के कुल वाह्यक्षेत्र के केवल 2.5 प्रतिशत क्षेत्र को ही इसके अन्तर्गत लाया गया है । इसकी सफलता का प्रमाण छोटे जल-विभाजकों से प्राप्त हो रहा है जहां भूमि-संरक्षण उपायों के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र में अवसादन की रफ्तार में पर्याप्त कमी देखी गई है ।

तेल-उद्योग

1135. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आई वर्तमान मन्दी के कारण तेल-उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) उद्योग में मन्दी-प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अपर कृष्णा परियोजना

1136. श्री मोहसिन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कृष्णा परियोजना बांध के स्थान तथा उसकी ऊंचाई के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इस परियोजना का निर्माण-कार्य किस प्रक्रम में है ;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी, अभी नहीं ।

(ख) अलभट्टी बांध की नीव में खुदाई का कार्य चल रहा है । भवनों, पहुंच-सड़कों के निर्माण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य काफी हद तक पूरे हो गए हैं । नवम्बर, 1967 के अन्त तक लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) परियोजना 58.2 करोड़ रुपयों की अनुमति लागत के लिये स्वीकार की गई है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के कर्मचारियों की मजूरी

1137. श्री मोहसिन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संघों के बीच मजूरी में वृद्धि के मामले में कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग और ऑयल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतनमानों और मजूरी विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हां ।

(ख) 1-4-1967 में चतुर्थ और तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों के तमाम वर्गों के वेतनमानों का पुनरीक्षण कर दिया गया है । मूल वेतन में न्यूनतम 10 रुपये से 35 रुपये तक प्रतिमास की वृद्धि हुई है । समझौता 20 जनवरी, 1968 से शुरू होकर तीन वर्षों की अवधि तक मान्य होगा तथा 20 जनवरी, 1971 तक वेतनमानों में और कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकता ।

(ग) प्रबन्धकों ने रिपोर्ट भेजी है कि संघों से बातचीत तथा समझौता करते समय ऑयल इण्डिया लिमिटेड एवं अन्य सरकारी क्षेत्रीय संस्थाओं के वेतन और वेतनमानों को ध्यान में रखा गया था ।

निश्चेतक डाक्टरों की कमी

1138. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निश्चेतक डाक्टरों की कमी है ;

(ख) क्या किसी आपरेशन में चेतना-शून्य करने वाली औषधि अनर्ह कम्पाउन्डरों और नर्सों द्वारा दिये जाने के किसी मामले की शिकायत मिली है, जिससे मृत्यु हुई हो; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) जहां किसी अस्पताल या डिस्पेन्सरी में केवल एक ही मेडिकल अफसर इन्चार्ज है, वहां हो सकता है कि विसंज्ञा करने के लिये ऐसे व्यक्ति की सहायता ली जाती हो जो पूर्णतया प्रशिक्षित न हो । तथापि सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि इस कारण से किसी रोगी की मृत्यु हुई हो।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के लिये सफदरजंग अस्पताल में एक अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स आरम्भ किया गया है । नागालैण्ड, त्रिपुरा, कोयला खान क्षेत्रों

और पाण्डीचेरी के मेडिकल अफसरों ने भी इसका लाभ उठाया है । मद्रास में जिला/ताल्लुक अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों के लिये विसंज्ञा-शास्त्र का एक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर, पूना, बम्बई और औरंगाबाद के डाक्टरों के लिये तीन मास का कोर्स है ।

विशेषीकृत निर्यात ऋण-संस्था

1139. श्री कं० हाल्दर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये एक विशेषीकृत निर्यात ऋण-संस्था स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मौजूदा संस्थाएं निर्यात के लिए ऋण देने के लिये पर्याप्त जान पड़ती हैं और सरकार फिलहाल इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट ऋण-संस्था स्थापित करना जरूरी नहीं समझती । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, इस प्रश्न को प्रस्तावित बैंक आयोग के विचारार्थ सौंपा जा सकता है ।

दक्षिणी कनारा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1140. श्री लोबो प्रभु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में औसतन कितनी रोगी-शय्यायें हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर वार्ड तथा रोगी-शय्याएं वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सु० मूर्ति):

(क) प्रत्येक पलंग पर रोगी औसतन 3 से 10 दिन तक रहते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा-केन्द्रों में उपलब्ध पलंग रोगियों की जांच आदि के लिये ही होते हैं, नियमित चिकित्सा के लिये नहीं । इन केन्द्रों में अस्पतालों की तरह वार्ड नहीं हैं और क्योंकि वहां खाने इत्यादि की व्यवस्था नहीं रहती इसलिए इनका उपयोग केवल आपत-कालीन मामलों में ही किया जाता है ।

सामान्य बीमा का प्रशासनिक व्यय

1141. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) जीवन बीमा निगम, (2) गैर-सरकारी भारतीय बीमा कम्पनियों और (3) विदेशी बीमा कम्पनियों के सामान्य बीमा पर प्रशासनिक व्यय कितने-कितने प्रतिशत होता है ;

(ख) यदि उनमें कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) सामान्य बीमा व्यापार को प्रीमियम की शुद्ध आय के प्रति प्रबन्ध-व्यय का प्रतिशत अनुपात—कुल व्यापार:

(हजार रुपयों में)

वर्ष 1966

	प्रीमियम से कुल शुद्ध-आय	प्रबन्ध व्यय	प्रीमियम की शुद्ध शुद्ध रकम के प्रति व्यय का प्रतिशत अनुपात	कमीशन	प्रीमियम की शुद्ध रकम के प्रति कमीशन की शुद्ध रकम का प्रतिशत अनुपात
	1	2	3	4	5
जीवन बीमा निगम	3,55,40	88,99	25 0	−62.38	−17.6
अन्य भारतीय बीमा कम्पनियाँ	70,65,01	14,51,08	22.5	11,58,21	16.4
गैर-भारतीय बीमा कम्पनियाँ	13,51,16	4,90,49	36.3	51,30	3.8

नोट :—जीवन बीमा निगम के आँकड़े वित्तीय वर्ष 1966–67 के सम्बन्ध में हैं।

जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में कुछ कमीशन के आंकड़े इस कारण घाटे के हैं कि कि इसके व्यापार का अधिकांश भाग शासन-नियन्त्रित है जिस पर कोई कमीशन नहीं देना होता है जब कि जीवन बीमा निगम को व्यापार के पुनरावर्ती अंश पर कमीशन प्राप्त होता है।

(ख) उपयुक्त अनुपात कई बातों पर निर्भर करते हैं जैसे प्रशासन तन्त्र, संगठन–सम्बन्धी कर्मचारियों का संयोजन, व्यापार-स्रोत (बंधा हुआ अथवा अन्यथा), श्रेणियों अथवा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार व्यापार का वितरण (उदाहरण के लिये भारत के अन्दर अथवा बाहर), पुनरावर्ती बीमा का विस्तार, स्वरूप तथा शर्तें आदि।

बैंकों में जमा राशि

1142. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) स्टेट बैंक आफ इंडिया और (2) अन्य अनुसूचित बैंकों की कुल कार्यकारी पूंजी में गैर-सरकारी क्षेत्र की राशि किस अनुपात में जमा है।

(ख) उपरोक्त बैंकों की कुल कार्यकारी पूंजी में से गैर–सरकारी क्षेत्र को किस अनुपात में ऋण दिये गये हैं ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया में इन दोनों का अनुपात कम होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अधिक धन जमा कराने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

विश्व बैंक के विशेषज्ञों द्वारा भारतीय आर्थिक स्थिति का अध्ययन

1143. श्री चं० चु० देसाई : श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भारतीय आर्थिक स्थिति का अध्ययन किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो यह दल अपना कार्य कब आरम्भ कर देगा और उसे अपना प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या यह दल सरकार द्वारा बुलाया गया है या यह दल विश्व बैंक द्वारा ही विकास कार्यों के लिये ऋण देने के संबन्ध में हमारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने हेतु भेजा जा रहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नियत से अधिक धनराशि का लिया जाना

1144. श्री चं० चु० देसाई : श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी राजकोषीय वर्ष से राज्यों को नियत राशि से अधिक राशि देना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रश्न का सम्बन्ध सम्भवतः रिजर्व बैंक से जमा से अधिक रकमें निकालने से है। यदि ऐसा है, तो रिजर्व बैंक ने पहले से ही अप्रतिभूत (अन-सिक्योर्ड) और प्रतिभूत (सिक्योर्ड) दोनों प्रकार के अग्रिमों के लिए सीमाएं निर्धारित कर दी हैं; इन सीमाओं को भी पिछले वर्ष बढ़ा दिया गया था ।

भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों के, इन सीमाओं से अधिक रकमें निकालने से बचने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

भुगतान शेष की स्थिति

1145, श्री पीलु मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने बुलेटिन के नवम्बर, 1967 के अंक में

यह कहा है कि भुगतान शेष की स्थिति, जो पिछले कुछ वर्षों में कठिन हो गई थी ; 1966-67 में अत्यधिक गम्भीर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

(ग) 1966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद भी हमारी भुगतान शेष स्थिति में सुधार न होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में किन्हीं उपचारात्मक उपायों का विचार किया है और क्या इस कार्य के लिये गैर-सरकारी उपक्रमियों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) रिजर्व बैंक के बुलेटिन में काफी विस्तृत विवरण दिया गया है । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के बिगड़ने के मुख्य कारण थे—अन्न के आयात में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता, ऋण-परिशोधन का बढ़ता हुआ भार और निर्यात में कमी।

(ग) रुपये के अवमूल्यन के बाद की अवधि में आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों पर सूखे का प्रभाव पड़ा, जो 1966-67 में जारी रहा। फसलों के बड़े पैमाने पर खराब हो जाने और कृषि पर आधारित उद्योगों का उत्पादन कम होने से निर्यात-क्षमता सीमित हो गई ।

(घ) अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपायों से शोधन सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति सुधरती है । आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जा रही है और स्थिति को सुधारने के उपाय किए जा रहे हैं । विदेशी मंडियाँ खोजने और देश की निर्यात क्षमता में वृद्धि करने तथा आयात की जाने वाली चीजों के स्थान पर देश में वैसी ही वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने में गैर-सरकारी उद्यमियों को भी अपना योगदान देना है । उत्पादन निर्यात और विदेशों से मंगायी जाने वाली चीजों का उत्पादन देश में करने के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों का निर्माण करते समय, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा दिये।

विकासातिरिक्त खर्च

1146, श्री प्र० न० सोलंकी । क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विकासातिरिक्त खर्च का गत तीन वर्षों का व्यौरा (वर्ष-वार पृथक्-पृथक् आंकड़े) क्या हैं ।

(ख) क्या गत तीन वर्षों में विकासातिरिक्त खर्च कई गुना बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विकासातिरिक्त खर्च में वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1964-65 से 1967–68 के वर्षों के लिये केन्द्रीय सरकार के विकास व्यय से अतिरिक्त अन्य व्यय का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 134/68]

(ख) और (ग) व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं और ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण है । अन्य कारण चतुर्थ वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार

राज्यों को अधिक अनुदान दिया जाना, रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् खाद्य तथा उर्वरकों के लिये अधिक राज-सहायता का दिया जाना तथा समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करना है । गैर-विकास व्यय को कम करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन–2 के दौरान दिल्ली में विदेशी मुद्रा के अवैध सौदे

1147. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यात्रा अभिकर्त्ताओं, परिवहन कम्पनियों तथा होटल मालिकों ने सरकार से प्रार्थना की है कि दिल्ली में विशेषकर विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन–2 के दौरान विदेशी मुद्रा के अवैध सौदों को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध सौदों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेनों को रोकने के लिए सामान्य उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं । सरकार का ख्याल है कि विदेशी पर्यटक जानबूझ कर तो कानून का उल्लंघन नहीं करते होंगे परन्तु हमारे विनिमय विनियमों से अनभिज्ञ होने के कारण वे ऐसे लेन–देन कर सकते हैं जो विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अनुसार जुर्म बनते हों । इसलिये, विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिये दलालों की कोशिशों को नाकाम करने के लिये तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिये सम्मेलन के स्थान पर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर मुद्रा विनिमय की दूकानें खोल दी गईं हैं । इसके अलावा, दलालों और विदेशी मुद्रा के ज्ञात अवैध जाल-चक्र चलाने वालों पर अधिक निगरानी रखी जा रही है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में जालसाजी

1148. श्री कृ० मा० कौशिक :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामजी राम :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की जा रही धोखाधड़ी के सम्बन्ध में सरकारों को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उन लोगों को पारिश्रमिक देने की योजना को समाप्त करने का

सरकार का विचार है, जो नसबन्दी और लूप लगवाने के लिये लोगों को लाते हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) केवल कुछ ही ऐसी शिकायतें मिली हैं।

(ख) सभी सम्बन्धित संस्थाओं को इस सम्बन्ध में सख्त हिदायतें जारी की जा चुकी हैं ।

(ग) जी नहीं । किसी भी प्रेरित व्यक्ति को परिवार नियोजन केन्द्र तक लाने में, जहाँ उसे परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं, प्रेरक को कुछ खर्च करना पड़ता है । इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए ही उसे पारिश्रमिक दिया जाता है । कार्यक्रम के हित में इस योजना को चालू रखना आवश्यक समझा जाता है ।

महाराष्ट्र में दीना सिंचाई परियोजना

1149. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चांदा जिले में दीना सिंचाई परियोजना का कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ;

(ग) इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) इस परियोजना का कार्य किस कारण से स्थगित किया गया है ; और

(ङ) क्या इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) परियोजना का कार्यान्वयन कार्य 1961 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) दिसम्बर, 1967 तक परियोजना पर 49·40 लाख रुपये व्यय हुए ।

(ग) पहुँच-सड़कों, कालोनी के भवनों आदि जैसे केवल प्रारम्भिक कार्य ही हाथ में लिए गये । मुख्य भागों पर अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि आधार की जलभेद्यता की जाँच के परिणाम स्वरूप प्रगति रुक गई है ।

(ङ) जी हां । महाराष्ट्र सरकार आधार सम्बन्धी समस्या का हल करने के लिए अनुसंधान कार्य कर रही है ।

जल संसाधनों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद

1150. श्री मुहम्मद इमाम : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने हाल में यह विचार व्यक्त किया है कि 1960 के सिंधु जल समझौते से भारत और पाकिस्तान के बीच जल-संसाधनों के बटवारे का विवाद आंशिक रूप से हल हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी नहीं। किन्तु एशियायी, अफ्रीकी वैधिक सलाहकार समिति के दिसम्बर, 1967 में नई दिल्ली में हुए नवें अधिवेशन में पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता ने अपने बयान के दौरान इस बारे में कुछ कहा था।

(ख) समिति के भारतीय प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में सही स्थिति बता दी थी और यह कहा था कि सिन्धु जल-सन्धि से समस्या का पूर्ण समाधान हुआ है, न कि आंशिक रूप से, जैसे कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा था।

लेखा बाह्य धन

1151. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा बाह्य धन रखने वाले लोगों के विरुद्ध संसत्सदस्यों से 1967-68 से अब तक कितनी शिकायतें आई है ; और

(ख) उन शिकायतों पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) अप्रैल, 1967 से संसद सदस्यों से वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को 19 शिकायतें मिली हैं जिनमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कर की चोरी किये जाने के बारे में शिकायतें हैं।

(ख) इन सभी मामलों में आवश्यक जाँच-पड़ताल की जा रही है।

दिल्ली में कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

1152. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1967 के उत्तरार्द्ध में तथा 1968 में अब जब तक सरकारी अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों के उल्लंघन के संबंध में जिन कम्पनियों पर छापे मारे थे उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या ये छापे गैर-सरकारी लोगों से प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर मारे गये थे या सरकार को अपनी एजेन्सियों से उनके बारे में प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर मारे गये ; और

(ग) इन छापों में कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 1-7-67 से 15-2-68 तक की अवधि में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित लिमिटेड कम्पनियों की (जिस पद से भागीदारी और मालिकाना फर्मों से भिन्न, सार्वजनिक तथा निजी लिमिटेड कम्पनियों का अर्थबोध लिया गया है) तालाशी विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघनों के लिये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ली गयी थी।

(i) मैसर्स इन्टर नेशनल इक्विप्मेन्ट

(ii) मैसर्स अलाइड मोटर्स (प्रा०) लिमिटेड ।

(iii) मैसर्स अलाइड गैस सर्विस ।

(iv) मैसर्स सुपरसील्स इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड ।

(v) मैसर्स पायेन टालब्रोस (प्रा०) लिमिटेड

(vi) मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड ।

(vii) मैसर्स एशोसिएटेड इन्स्ट्रूमेन्ट मेन्युफेक्चरर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।

(viii) मैसर्स प्रोटोस इंजीनियरिंग कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड ।

(ix) मैसर्स आटो किट प्राइवेट लिमिटेड ।

(x) मैसर्स मरकरी ट्रेवल्स (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड ।

(xi) मैसर्स ऐवेरेट ट्रेवल्स सर्विस एण्ड स्टीमशिप कारपोरेशन ।

(xii) मैसर्स ट्रेवल कारपोरेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।

(xiii) मैसर्स सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।

(xiv) मैसर्स इण्डियन एयर ट्रेवल्स लिमिटेड ।

(xv) मैसर्स ट्रेवल वर्ल्ड ।

(ख) इसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) तालाशियों के दौरान बरामद की गयी विदेशी मुद्रा की रकम थोड़ी-सी ही थी, जो 62 अमरीकी डालर तथा 65 पौंड थी। पकड़ी मुख्य वस्तुएं तो अपराध-आरोपणीय कागज हैं जो विदेशी मुद्रा के संदिग्ध अवैध लेन-देनों से संबन्धित हैं ।

चिकित्सा कालेजों में स्थान

1153. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट श्रेणियों के छात्रों के लिये देश के चिकित्सा कालेजों में कितने स्थान आरक्षित हैं; और

(ख) इन स्थानों के लिये छात्रों के चयन का क्या आधार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) 1967-68 में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित वर्गों के छात्रों के लिये एम० बी० बी० एस० / प्री-मेडिकल कोर्सों में 422 सीटें आरक्षित की थी :—

(1) संघ क्षेत्रों (जिनमें कोई मेडिकल कालेज नहीं), हिमांचल प्रदेश तथा नागालैंण्ड के छात्र; (2) विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों, सयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशिष्ट एजेन्सियों में काम करने वाले भारतीयों के पुत्र और पुत्रियां ; (3) सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व / मृत अथवा वर्तमान कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियां; (4) सिक्किम और भूतान से छात्र ;	178 सीटें

(5) जम्मू व कश्मीर सरकार के मनोनीत छात्र; 43 सीटें

(6) सांस्कृतिक छात्र, भारतीय मूल के विदेश स्थित प्राइवेट छात्र तथा प्राइवेट विदेशी छात्र;

(7) अपेक्षाकृत कम विकसित राष्ट्र मण्डलीय देशों के छात्र;

(8) कोलम्बो योजना के टी० सी० एस० के अन्तर्गत आने वाले छात्र; तथा

(9) विशिष्ट राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकी सहायता योजना वाले छात्र।

(6) से (9) तक: 201 सीटें

(ख) सीटों का आरक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विकेन्द्रित प्रणाली के अनुसार (1) बिना किसी मेडिकल कालेज वाले संघ क्षेत्र, (2) हिमाचल प्रदेश, (3) नागालैन्ड तथा (4) जम्मू व कश्मीर के लिये आरक्षित सीटों पर छात्रों का चयन तथा मनोनयन सम्बन्धित संघ क्षेत्रों तथा राज्य सरकारों ने किया है।

संघ क्षेत्रों और नागालैन्ड के लिये आरक्षित सीटों के विरुद्ध छात्रों का चयन करने के लिये योग्यतानुसार छात्रों की सूचियाँ तैयार करने का केन्द्रीय सरकार ने मानदन्ड निर्धारित कर दिया है।

सिक्किम और भूटान के छात्रों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और राष्ट्र संघ में काम करने वाले भारतीयों के बच्चों, सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व/मृत तथा वर्तमान कर्मचारियों के बच्चों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक चयन समिति ने किया है।

कोलम्बो योजना और विशिष्ट राष्ट्रमन्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को छोड़कर जहाँ तक दूसरे विदेशी छात्रों का प्रश्न है उनका चयन एक समन्वय समिति ने किया है जिसमें परराष्ट्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हैं।

कोलम्बो योजना तथा विशिष्ट राष्ट्रमन्डल सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों का चयन विभिन्न देशों में स्थित दूतावासों ने किया है।

चयन समिति ने कुछ सीटें उपर्युक्त वर्गों के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के अतिरिक्त अन्य सुपात्र छात्रों से लिये भी नियत की हैं।

उर्वरकों की बिक्री

1154. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को सरकारी क्षेत्र में उत्पादित उर्वरकों का कुछ हिस्सा सीधे बेचने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या यह निगम इस बिक्री के लिये सहकारी समितियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सहकारी समितियों को क्या रियायतें दी गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय म राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां । भारतीय उर्वरक निगम को 1 अक्टूबर, 1966 से उर्वरक के उत्पादन का 30 प्रतिशत सीधे बेचने का अधिकार दिया गया था । यह 1-10-67 से 50 प्रतिशत कर दिया गया था और 1-10-68 से निगम उर्वरक के सारे उत्पादन को सीधे बेच सकेगा, बशर्ते कि भारत सरकार को, उत्पादन का 30 प्रतिशत तक तय कीमत पर प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(ख) जी हां । वर्तमान में, उर्वरक निगम के पास तीन उत्पादन यूनिट सिन्दरी नगल और ट्राम्बे में हैं । नंगल उत्पादित उर्वरक, जो लगभग सारे ही सीधे बिक्री के लिए निर्धारित किये हैं; पंजाब व हरियाना स्टेट्स को-आपरेटिव सप्लाई एन्ड मार्केटिंग फेडरेशन्स के द्वारा वितरित होते हैं । जहां तक सिन्दरी के उर्वरकों का सम्बन्ध है, सीधी बिक्री का कोटा जहां तक हो सक रहा है, बिहार राज्य सहकारी मार्केटिंग यूनियन द्वारा वितरित किया जाता है । ट्राम्बे यूनिट के, सीधे बिक्री उर्वरक कोटे के वितरण का प्रबन्ध अंशतः निगम के अपने मार्केटिंग संगठन और एजेंटों द्वारा और अंशतः सहकारी संस्थाओं द्वारा होता है ।

(ग) दो महीनों तक ब्याज पर सहकारी संस्थाओं को ऋण दिया जाता है परन्तु यदि अदायगी एक महीने के अन्दर की जाये तो कोई ब्याज नहीं लिया जाता ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

1155. डा० रानेन सेन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट (आसाम) के निदेशक ने कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के तरीकों का पता लगाया है :

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कोयला बोर्ड को अपना प्रतिवेदन पहले ही दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोयला बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) जी हां । प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा बनाये गये प्रस्ताव की एक प्रति असम के कोयले के लिये नियुक्त अध्ययन दल, जिसमें कोयले के बोर्ड का चेयरमैन सदस्य है, को भेज दी थी । प्रस्ताव के प्रारंभिक विचार के पश्चात् अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि कोयले के बोर्ड और प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा संयुक्त रूप से मुकम्मल परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाये ।

व्यावसायिक-चिकित्सक तथा भौतिक-चिकित्सक घोषणा-पत्र विधेयक

1156. डा० रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सत्र में "व्यावसायिक-चिकित्सक तथा भौतिक-चिकित्सक, घोषणा-पत्र

विधेयक" नाम का विधेयक जिसका प्रारूप कुछ समय पहले तैयार किया गया था, पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) व्यावसायिक चिकित्सा तथा भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं तथा उनके प्रशिक्षण की मान्यता के विनियमन के लिए समुचित कानून बनाकर एक संयुक्त व्यावसायिक तथा भौतिक चिकित्सा परिषद् की स्थापना करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों से इसके बारे में परामर्श किया जा रहा है ।

Shortage of Kerosene oil

1157. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was an acute shortage of kerosene oil in the country in December-January this year ; and

(b) if so the causes thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) A shortage of kerosene was reported from some States in December, 1967 and January, 1968.

(b) Imports of kerosene to India as scheduled did not materialise as blizzards and inclement weather at the loading ports adversely affected shipping schedules.

पंजाब में ताप बिजलीघर की स्थापना

1158. **श्री गु० सिं० ढिलो :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 20 मेगावाट बिजली तैयार करने के लिये एक ताप-घर स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) क्या इस बात पर अब तक कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाल-शिक्षा-भत्ता

1159. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली से बाहर विशेषत: गांवों में ; पढ़ने वाले (कम खर्चे पर) बच्चों को बाल-शिक्षा-भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निम्न मध्य आय वर्ग के कर्मचारियों के दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ। अन्य स्थानों में जैसा है उसी भांति, दिल्ली में भी, प्रति माह 349 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिल्ली से बाहर रहने वाले और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बच्चों का शिक्षा-भत्ता दिया जाता है।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को उनके उन बच्चों के विषय में शिक्षा-भत्ता नहीं दिया जाता जो उनके डियूटी-स्थानों पर अध्ययन कर रहे हों। ऐसे मामलों में, ट्यूशन फीस की व्यय-पूर्ति की योजना के अन्तर्गत 600 रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर शिक्षा-सहायता दी जाती है।

रूमानिया से पैट्रोलियम के उत्पादों का आयात

1160. श्री जुगल मन्डल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया से पैट्रोलियम के उत्पादों के आयात के बारे में किसी नये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां, 1968 के दौरान में भारतीय तेल निगम ने रूमानिया से पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) ठेके में 1968 के दौरान में लगभग 75,000 मीटरी टन लुब्रीकेटिंग तेलों के आयात की व्यवस्था है।

दिल्ली के फल व्यापारियों की ओर आयकर की बकाया राशि

1161. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मण्डी, दिल्ली के फल-व्यापारियों की ओर आयकर की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है और उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या फल-व्यापारियों और फल-आढ़तियों के विरुद्ध उनके द्वारा कर अपवंचन की कोई शिकायतें आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन लोगों के नाम क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और उनमें से प्रत्येक से जो रकम वसूल होनी है उसका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 135/68]

वसूली के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 221 के अधीन प्रमाण-पत्र तथा नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जांच-पड़ताल चल रही है, इसलिये सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और की गई कार्यवाही को इस समय बता देने से जांच-पड़ताल में रुकावट पड़ेगी ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए शांति-दल के व्यक्ति

1162. **श्री वे० कृ० दासचौधरी : श्री श्रीनिवास मिश्र :**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये भारतीय ग्रामों में काम करने के लिये सरकार ने ब्रिटेन तथा अमरीकी सरकारों से शांति-दल के और अधिक व्यक्तियों को भेजने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में काम करने के लिये, अमरीकी शान्ति-दल के 24 स्वयंसेवक दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) यह अनुरोध हाल में किया गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।

रूसी सहायता प्राप्त परियोजनायें

1163. **श्री काशीनाथ पान्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रूसी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के बारे में रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) उप-प्रधान मंत्री सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के प्रधान मंत्री से 29 जनवरी, 1968 को मिले थे, लेकिन रूसी सहायताप्राप्त प्रायोजनाओं के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई ।

संचारी रोगों का उन्मूलन

1164. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचारी रोगों का उन्मूलन करने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का सरकार ने पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण संचारी रोगों के उन्मूलन के कार्यक्रमों को चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) संचारी रोगों के विभिन्न नियंत्रण / उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम** :— ज्वर पीड़ित 100 रोगियों में से जहां 1953 –54 में 10.8 रोगी मलेरिया से पीड़ित होते थे वहां 1966-67 में यह संख्या 0. 04 रह गई है। इस ह्रास का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1953-54	1963-64	1964–65	1965-66	1966-67
10.8	0.23	0.1	0.05	0 04

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एककों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

उपचार अवस्था	68.50
उपचारोपरान्त	121.61
देख-रेख अवस्था	203 14
योग	393 25

2. **राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम** :— 1967-68 के अन्तर्गत 65 लाख व्यक्तियों को इस रोग से सुरक्षित किया गया है ।

3. **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम** :—देश में 427 क्षय रोग क्लीनिक काम कर रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में 34317 पृथक्करण पलंग उपलब्ध हैं। अब तक 24 करोड़ 46 लाख 10 हजार व्यक्तियों का ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया गया है और 10 करोड़ 94 लाख 80 हजार व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं।

4. **राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम** :—अब तक 6 करोड़ 17 लाख 50 हजार व्यक्तियों को प्राथमिक टीके और 39 करोड़ 42 लाख 60 हजार व्यक्तियों को पुनर्टीके लगाये जा चुके हैं ।

5. **ट्रैकोमा** :—तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में 55 लाख 40 हजार व्यक्तियों के उपचार का जो लक्ष्य था वह बढ़कर 68 लाख हो गया है। 1966-67 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में अनुमानतः 1 करोड़ 14 लाख 14 हजार व्यक्तियों को ट्रैकोमा नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

6. **कुष्ठ** :—182 कुष्ठ नियंत्रण एकक, 971 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्र और पराचिकित्सा कर्मचारियों के लिये 13 प्रशिक्षण एकक खोले जा चुके हैं।

7. **रतिरोग नियंत्रण कार्यक्रम** : रतिरोग क्लीनिकों की संख्या 142 से बढ़कर 261 हो गई है।

(ग) और (घ) अधिकांश योजनायें केन्द्र सहाय्यित योजनायें हैं और इनके लिये सारी व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है। केन्द्रीय सरकार औषधियों तथा उपकरणों

के रूप में पूरी-पूरी सहायता देती है तथा राज्यों द्वारा इनके प्रशासन में वास्तविक रूप में जितना खर्च होता है उसका 60 प्रतिशत भी वह उन्हें देती है। ये कार्यक्रम अधिक कारगर हो सकते थे तथा इनकी शीघ्र प्रगति हो सकती थी किन्तु स्पष्ट है कि आर्थिक सीमाओं के कारण ऐसा हो नहीं पाया। तथापि इसका पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है कि इनके लिये उपलब्ध सीमित रकम से ही अनिवार्य बातें पूरी हो जायें।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

1165. श्री अगाड़ी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1955-56 से 1967-68 तक की अवधि में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि नियत की गई तथा कितनी-कितनी राशि दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 136/68]

राज्यों को सिंचाई के लिए ऋण

1166. श्री अगाड़ी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1955-56 से 1967 तक की अवधि में राज्यों को सिंचाई कार्यों के लिये कोई ऋण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार कितना धन मंजूर किया गया तथा वह किस ब्याज दर पर दिया गया ; और

(ग) राज्यों से कितना मूल धन और कितना ब्याज लेना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 137/68]

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सन्तति निग्रह के लिए देशी औषधियां

1167. श्री अगाड़ी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म दर नियंत्रण रखने के लिये देशी दवाइयों के प्रयोग पर विचार करने के हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी हां।

(ख) 1. स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों द्वारा परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय और राज्य समितियों का संगठन ।

सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय स्तर पर वैद्यों और हकीमों की एक स्थायी सलाहकार समिति गठित की जाए और इसी प्रकार की समितियां राज्य स्तर पर गठित की जायें ।

2. आयुर्वेद/यूनानी / सिद्ध के स्नातकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवार नियोजन का समावेश ।

सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध शिक्षा के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन के विषय को सम्मिलित करने के लिए स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के सलाहकार विश्वविद्यालयों, राज्य बोर्डों या भारतीय चिकित्सा की फैकल्टियों को प्रेरित करें । इसी प्रकार शुद्ध आयुर्वेद शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से अनुरोध किया जाए कि उनके द्वारा तैयार किए गये सिद्ध आयुर्वेद शिक्षा के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन पर एक अध्याय सम्मिलित करें ।

3. कालेजों में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना ।

सामान्यतः आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के कालेजों में अध्ययन-अस्पताल पर्याप्त रूप में नहीं हैं, इसलिए इस समिति ने सुझाव दिया है कि परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना के लिए इन कालेजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाये ।

4. स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों का उपयोग

भारतीय चिकित्सा के स्नातक जो प्रशिक्षण के समवर्ती कोर्स को प्राप्त कर चुके होते थे, उन्हें परिवार नियोजन में और प्रशिक्षण दे कर परिवार नियोजन क्लीनिकों में तभी नियुक्त किया जाता था जब कि परिवार नियोजत क्लीनिकों में मेडिकल अफसरों के पदों को भरने के लिए आधुनिक चिकित्सा के डाक्टर उपलब्ध नहीं होते थे । इस समिति ने सिफारिश की है कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाए और रिक्त होने वाले सभी स्थानों को आधुनिक चिकित्सा के स्नातकों के समान, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकों के द्वारा भी भरा जाए ।

5. परिवार नियोजन से सम्बन्धित मामलों का प्रचार

यह सिफारिश की गई है कि परिवार नियोजन पर पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

6. गर्भनिरोध के रूप में प्रयोग किये जाने वाली औषधियों और योगों पर खोज

सुझाव दिया गया था कि परिवार नियोजन से सम्बन्धित स्वदेशी औषधियों की खोज के लिए एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की जाए ।

7. परिवार नियोजन के लिए नुस्खों की परीक्षा।

वैद्यों और हकीमों से प्राप्त दवाइयों / नुस्खों की क्षमता की जांच के लिए, जैसा की एक जांच समिति ने सिफारिश की थी, इस समिति ने सिफारिश की कि इससे पहले

कि उपचार की अवधि और दवाई देने का निर्णय किया जा सके, स्त्री के मामलों और हालात, मासिक धर्म का हाल, मैथुन सम्बन्धी चर्या आदि का विस्तृत अध्ययन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्लीनिकल परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाए ।

कैंसर रोग के लिए आयुर्वेदिक इंजेक्शन

1168. श्री अगाड़ी : श्री विरेन्द्र कुमार शाह :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंसर रोग की रोक थाम के लिये एक कारगर आयुर्वेदिक इंजेक्शन तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) :

(क) ऐसा कोई उपचार नहीं निकला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में जाली नोटों का पकड़ा जाना

1169. श्री अगाड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आसूचना विभाग ने आन्ध्र प्रदेश की राजधानी में एक उच्च पुलिस अधिकारी के घर से नौ लाख रुपये से अधिक के जाली नोट पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ;

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Scholarship to students of Scheduled Tribes

1170. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state the amount proposed to be allocated as a special grant for the welfare of scheduled tribes and for grant of scholarships to the students belonging to scheduled tribes in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) :

The Fourth Plan has not yet been formulated. The amount allotted for the purpose during the current financial year is Rs. 1.80 lakhs.

Income -Tax paid by Dalmia Cement Factories

1171. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of income-tax paid by the Dalmia group of cement factories that have been established in Orissa, Madras and Haryana ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

State	Name of the Cement factory	Tax paid in Financial year 1966-67 (Figures in lakhs of Rs.)
Orissa ..	M/s. Orissa Cement Ltd. ..	69.99

Madras.	M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.	64.53
Haryana	Dalmia Dadri Cement Co. Ltd.	9.47

Construction of Tenughat Bokaro Canal

1172. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the estimated amount likely to be incurred on the construction of Tenughat-Bokaro Canal ;

(b) the acreage of land to be irrigated by this canal ;

(c) the amount of financial assistance proposed to be given by the Central Government for this project ; and

(d) when the construction work of this canal was taken up and when it is likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) A project report for the construction of a canal of 300 cusecs estimated to cost Rs. 323 lakhs, is under consideration of the Government of Bihar.

(b) Tenughat Dam Project was accepted for construction by the Planning Commission to supply water to the Bokaro Steel project and other industries in the Bokaro Sindri region of Damodar Valley. There was no provision for irrigaton in the original project. However the Bihar Government in their April 1967 report for the Tenughat dam have proposed to include irrigation from the Tenughat Bokaro Canal to the extent of 6,000 acres.

(c) and (d) In view of the urgency of work the State Government have already started preliminary works like aqusition of land, construction of road along the alignment of the canal etc. The Board of Directors of Bokaro Steel Ltd. have decided that advances if required would be given by them to the Bihar Government on the basis of quarterly requirements of funds. The work on the canal is scheduled to be completed by the end of 1969, in time for the supp y of water to Bokaro Steel Plant.

Irregularities Committed by Companies belonging to Shri Biju Patnaik

1173. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 4275 on the 14th December, 1967 and state :

(a) whether the investigations into the Income-tax affairs of the remaining companies with which Shri Biju Patnaik is associated have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the investigations have revealed about the connection of the Kalinga Tubes Limited with the international company and Shri Biju Patnaik's interest as a shareholder in a foreign firm outside India ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai):

(a) No, Sir.

(d) Does not arise.

(c) M/s. Kaling Tubes Ltd., are having business dealings with many foreign firms. No shareholding of Shri Biju Patnaik in any foreign firm has come to light so far.

(d) Does not arise.

लागत की प्रभावशालिता के आधार मितव्ययिता अभियान

1174. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संकट को दूर करने के एक उपाय के रूप में सरकार ने लागत की प्रभावशालिता के आधार पर कोई मितव्ययिता अभियान चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) वित्तीय तथा जनशक्ति संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्रभावशालिता बढ़ाने में इस अभियान से क्या लाभ हुआ है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) उत्पादन की लागत को बिक्री मूल्य का आधार बनाकर अर्थव्यवस्था को संतुलित करने सम्बन्धी कोई अभियान सरकार द्वारा अभी नहीं चलाया गया है । फिर भी, किसी योजना पर मंजूरी देने से पहले उसकी सावधानी से जांच की जाती है जिससे उसकी आवश्यकता की, उसके अन्य संभव विकल्पों की, लागत को न्यूनतम बनाये रखने की और खर्च होने वाली रकम से सामान्यतः इष्टतम लाभ प्राप्त करने की छानबीन हो सके । वर्तमान, वित्तीय कठिनाई की स्थिति में विशेष रूप से ऐसा किया जाता है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की पर्यवेक्षक पदालियां

1175. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया की पर्यवेक्षक पदालियों की जांच करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) ऐसा जान पड़ता कि भारतीय राज्य बैंक के परिवीक्षण (सुपरवाइजरी) कर्मचारियों में इस समय बहुत ज्यादा असन्तोष फैला हुआ है । भारतीय राज्य बैंक के परिवीक्षण कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघ (ऑल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ फेडरेशन) की कई मांगों के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है और कुछ अन्य मांगों के सम्बध में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत चल रही है। इस स्थिति को देखते हुये, सरकार के लिए कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजनाएं

1176. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की आवास योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लिये वर्ष 1968-69 के लिये कोई आवास योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन गांवों में यह योजना क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, अन्य राज्यों की भाँति, आन्ध्र प्रदेश में इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम क्रियान्वित की जा रही है तथा वह 1968-69 में भी चलती रहेगी।

(ख) उन गांवों का चुनाव जिसमें ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम क्रियान्वित की जानी है, राज्य सरकार पर निर्भर रहता है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को आवंटित किये गए 450 गांवों में से 187 गांवों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। चुने गए गांवों के नाम केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकार ने 1968 69 में 1.50 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित किया है।

'पी' फार्म प्रणाली की समाप्ति

1177 श्री रा० बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए 'पी' फार्म प्रणाली को समाप्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांध सुरक्षा सेवा

1178. श्री रा० बरुआ : श्री न० कु० साल्वे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बांध सुरक्षा सेवा के गठन के बारे में अन्तिम रूप में ब्योरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) और (ख) बांधों का निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीन एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मंगलौर तथा हल्दिया में उर्वरक कारखाने

1179. श्री हिम्मतसिंहका : श्री रामभद्रन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (एक) मंगलौर में उर्वरक कारखाने, (दो) ट्राम्बे संयंत्र के

विस्तार और (तीन) हल्दिया में एक सरकारी कारखाना स्थापित करने के प्रस्तावों के बारे में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वे कठिनाइयाँ क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न उर्वरक परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण 1970–71 तक प्राप्त की जाने वाली उर्वरकों की नियोजित उत्पादन क्षमता में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(घ) यह कमी न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया):

(क) और (ख) तीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है। मंगलौर परियोजना के बारे में पार्टी ने, जिसे लाइसेंस दिया गया था, मूल प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है तथा और विचार के लिये उसे पूरे ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ट्राम्बे विस्तार परियोजना के लिए यू० एस० एड (U. S. AID) से सहायता मांगी है और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। हल्दिया में गैर–सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था लेकिन आवेदकों, मेमर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कंपनी ने परियोजना स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(ग) संभाव्य विलम्ब हो जाने के बावजूद भी, 1970-71 के अन्त तक 2.4 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन की निर्धारित क्षमता को पूरा कर लिया जायेगा।

(घ) भाग (ग) के उत्तर ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता ; फिर भी, सरकार द्वारा अनुमोदित या निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

रामकृष्णपुरम में एक दुकान खोलने के लिये एक क्वार्टर का दिया जाना

1180. श्री टी० पी० शाह : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम में सेक्टर नम्बर 9 में एक रिहायशी क्वार्टर संख्या 558 किसी दुकान खोलने के लिए दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सेक्टर में अब तक कोई मार्केट नहीं बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किसी व्यक्ति विशेष को एकाधिकार दिये जाने के क्या कारण हैं, जब कि वहां दुकान खोलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्वार्टर नहीं दिया गया ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (ग) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर VIII तथा IX में नये बने क्वार्टरों के आबंटन के तुरन्त बाद इन सेक्टरों के निवासियों ने संपदा निदेशालय को यह अभ्यावेदन किया कि उन सेक्टरों में बाजार की कोई सुविधा नहीं तथा जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की खरीद के लिये विशेष रूप से राशन की सामग्री के लिए उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना

करना पड़ रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जन सेवक कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड को सेक्टर IX में उचित स्थान आवंटित किया जाये। उन सेक्टरों के निवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये इस कोआपरेटिव स्टोर को क्वार्टर नं० 558 आवंटित कर दिया गया न कि किसी व्यक्ति को।

रामकृष्णपुरम् के सेक्टर IX में बाजार बनाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। निर्माण प्रारम्भ करने की आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं।

Drinking Water in Madhya Pradesh

1182. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the scheme for the supply of drinking water in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period has been approved ; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) The Fourth Five Year Plan has not so far been finalised by the Planning Commission.

(b) Does not arise.

आर्थिक स्थिति

1183. **श्री दो० चं शर्मा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक स्थिति का कोई पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) विवरण तैयार किया जा रहा है और वह जल्दी ही दे दिया जायगा।

दिल्ली में शराब की चलती-फिरती दुकानें

1184. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कनाट प्लेस जैसे स्थानों पर टैक्सियों आदि में शराब की चलती-फिरती दुकानें चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी के सार्वजनिक स्थानों में अवैध रूप से शराब की यह बिक्री रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) नहीं। तो भी दिल्ली प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने 27 जनवरी, 1968 को कनाट प्लेस में टैक्सी में से शराब बेचने के एकाकी मामले का पता लगाया था।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित मामले में फंसे 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और टैक्सी को अधिकार में ले लिया गया था।

राजधानी में गैर कानूनी रूप से शराब बेचने तथा उसे सार्वजनिक स्थानों में पीने से सम्बन्धित अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने तथा दिल्ली प्रशासन के आबकारी कर्मचारियों ने विशेष उपाय किए हैं।

मनीपुर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली स्टाफ नर्सों के लिए भत्ते

1185. **श्री मेघचन्द्र:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली स्टाफ नर्सों को, जिनमें मिडवाइफ और सिस्टर भी शामिल हैं, आसाम के अस्पतालों में काम करने वाले तत्समान कर्मचारियों के समान वेतनक्रम तथा भत्ते मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आसाम के परिचारक कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर के अस्पतालों में काम करने वाली स्टाफ नर्सों को कई भत्ते नहीं मिलते ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

माही परियोजना

1186. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने माही परियोजना को मन्जूरी कब तक दी थी ;

(ख) योजना आयोग ने कब इस परियोजना को स्वीकृति दी ;

(ग) माही परियोजना की कुल लागत में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग होगा ;

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ; और

(ङ) इस परियोजना के चालू हो जाने के पश्चात् गुजरात को कितना लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) माही परियोजना चरण 1 (माही दक्षिण तट नहर) 22 सितम्बर, 1965 को स्वीकार की गई थी और माही परियोजना चरण 2 (कदना) 12 दिसम्बर, 1966 को।

(ग) परियोजना की सारी लागत का भार राज्य सरकार ही उठायेगी।

(घ) माही चरण 1 का मुख्य भाग पूर्ण हो चुका है। वितरण प्रणाली का विस्तार चौथी योजना अवधि में पूर्ण हो जायेगा। परियोजना के दूसरे चरण (कदना) के पांचवीं योजना

अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(ङ) परियोजना से गुजरात को निम्नलिखित लाभ पहुंचेंगे :—

माही चरण 1		4,60,000 एकड़
माही चरण 2		
	(अ) प्रत्यक्ष वार्षिक सिंचाई	40,905 एकड़
	(ब) चरण 1 के अधीन सिंचाई को पक्का करना और उसका विस्तार करना ।	6,37,600 एकड़

मनीपुर में लोक-निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारी

1187. श्री मेघचन्द्र : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि मनीपुर में लोक-निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नौकरी में नियमित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पेंशन और उपदान की योजनाओं का लाभ देने का सरकार का विचार है, जिनकी सेवा 25 वर्ष की अथवा उससे अधिक हो चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) कार्य प्रभारित स्थापना में 1 अप्रैल, 1967 को जो पद तीन वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे हैं उनके 50 प्रतिशत तक, विभिन्न क्षेणियों में, स्थायी पदों को बनाने का एक प्रस्ताव मणीपुर सरकार से प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) मणीपुर सरकार के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी पेंशन तथा ग्रेचुटी की सुविधायें देने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना

1188. श्री को० सूर्यनारायण : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की फर्म मैसर्स इन्टरनैशनल कैमिकल कम्पनी के प्रतिनिधि गैर-सरकारी क्षेत्र में रसायन उर्वरक कारखाना स्थापित करने की सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिये हाल ही में विशाखापत्तनम गये थे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उस कम्पनी से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) सरकार के पास अमरीका के मैसर्स इन्टरनेशनल कैमिकल कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा विशाखापत्तनम का दौरा करने से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है। सरकार को मैसर्स आक्सीडेन्टल कैमिकल कम्पनी / इन्टरनेशनल एण्ड फर्टीलाइजर कम्पनी के प्रतिनिधियों के उर्वरक संयंत्र की स्थापना की संभाव्यता को मालूम करने के लिये विशाखापत्तनम जाने के बारे में पता है।

(ख) और (ग) उनसे अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Sagar in Model Town Development Scheme

1189. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Sagar" in Mahdya Pradesh has been brought under the purview of Model Town Development Scheme ;

(b) if so, the amount allocated by the Central and State Government respectively for its development and when the scheme will be fully implemented ; and

(c) the minimum and maximum proposed to be incurred on any one city under this Scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Sagar town group has been accepted ıor inclusion in the list of Centrally sponsored projects for which Master Plans are to be prepared during the Fourth Five Year Plan period with cent per cent financial assistance from the Central Government.

(b) The State Government is engaged with the preparation of Master Plans of projects included in the Third Five Year Plan and the work of preparation of Master Plan of Saugar has not been taken up yet.

(c) No minimum and maximum expenditure to be incurred on any one city under this scheme has been prescribed. The estimated cost of a project is prepared by the State Government and approved by the Central Government.

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1190. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों ने कार्यालयों में संगणक लगाये जाने के विरोध में देश में विभिन्न भागों में 6 फरवरी, 1968 को भूख हड़ताल करके तथा अन्य तरीकों से प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या इन प्रदर्शनों में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी शामिल हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्वचालित मशीनों के प्रयोग को रोकने तथा इनके और आयात को रोकने के लिये कोई अनुदेश जारी करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) हनीवेल मशीन जिसको पहले ही आयात किया जा चुका है और जिसे रिजर्व बैंक में लगाया जा रहा है, से डेटा प्रासेसिंग और आवश्यक आंकड़े बनाने में सुविधा होगी और यह वर्तमान क्लर्क कर्मचारियों का स्थान नहीं लेगी। इसके कर्मचारियों की नौकरी समाप्त नहीं होगी और नाही उनके पदोन्नति के रास्ते में रुकावट ही आयेगी। अतः इनके आयात को रोकने के लिये कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा

1191. श्री चं० चू० देसाई : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावन पथ के निर्माण में गोलमाल के बारे में 13 जनवरी, 1968 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस कार्य के ठेके की क्रियान्विति की देखभाल करने वाले प्रभारी तथा धावन पथ को मजबूत बनाने एवं चौड़ा करने में प्रयुक्त घटिया किस्म के सामान के ठीक होने का प्रमाणपत्र देने वाले इंजीनियरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय म उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जापान से उर्वरकों का आयात

1192. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 75 डालर प्रति टन की दर से जापान से उर्वरक खरीदे गये हैं,

(ख) क्या जापान ने वही उर्वरक चीन को 53 डालर प्रति टन की दर से बेचे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस अतिरिक्त राशि के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिए जापान के पूर्ति कर्त्ताओं को जनवरी, 1968 को निम्नलिखित दरों पर ठेके दिए गए हैं :—

(1) यूरिया – 75.20 डालर प्रतिमीट्रिक टन —
जहाज तक निःशुल्क (बोरियों में बन्द)
(= 82.50 डालर प्रति मीट्रिक टन– लागत और भाड़ा सहित)

(2) अमोनियम सल्फेट – 36.00 डालर प्रति मीट्रिक टन

जहाज तक निःशुल्क (बोरियों में बन्द)
(=43.10 डालर प्रतिमीट्रिक टन–लागत और भाड़ा सहित)
– 31.00 डालर प्रति मीट्रिक टन
जहाज तक निःशुल्क (इकट्ठा)
(=37.10 डालर प्रति मीट्रिक टन – लागत और भाड़ा सहित)

(3) अमोनियम क्लोराइड – 37.50 डालर प्रति मीट्रिक टन
जहाज तक निःशुल्क (बोरियों में बन्द)
(=44.60 डालर प्रति मीट्रिक टन– लागत और भाड़ा सहित)

(4) एन० पी० के० — 65.10 डालर प्रति मीट्रिक टन
14 : 14 : 14 जहाज तक निःशुल्क (बोरियों में बन्द)
कम्पाऊंड (= 72.20 डालर प्रति मीट्रिक टन –लागत और भाड़ा सहित)

(ख) और (ग) हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिली है कि चीन ने हाल ही में जापान से उर्वरक खरीदे हैं।

Payment of Estate Duty by Prime Minister

1192A. **Shri N. S. Sharma : Shri Sharda Nand : Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints that the Prime Minister has not made full payment of the estate duty on the death of her father ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) An allegation to this effect was looked into and found to be without foundation.

It had been alleged that the value of Anand Bhawan was under-assessed, that the value of Anad Bhawan (obviously meaning Swraj Bhavan) should have been included in the assessment and that the royalty received by Pt. Nehru has been under-estimated.

The facts are as follows :

The value of Anand Bhavan has been taken at nearly hundred times of the annual municipal valuation. As Swaraj Bhavan was gifted much before two years prior to death its value was not liable to inclusion in the estate duty assessment. The value of royalty has been taken at three times of the average of the last three year's income as is done in other cases. There was thus no under-assessment in respect of these assets.

पूर्वी यूरोप के देशों से उधार

1192-ख. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री पूर्वी यूरोप के देशों से उधार के सबंध में 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से रुपये में भुगतान के करार लागू होने लगे हैं तब से (1) तीसरे देश से आयातित माल की लागत, (2) यदि पूर्व अनुमति से तीसरे देश के जहाजों में माल

लाया गया है, तो भाड़ा, और (3) जहां संबंधित करार में इस आशय का निश्चित उपबंध है, इन श्रेणियों के अन्तर्गत पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किये गये उधार करारों के अन्तर्गत परिवर्तनीय मुद्रा में कितना भुगतान किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

पोलेण्ड के पहले ऋण और यूगोस्लाविया के पहले और दूसरे ऋणों के अन्तर्गत किये गये कुछ करारों के अधीन तीसरे देश से मंगाये गये माल के मूल्य की अदायगी ही परिवर्तनीय मुद्रा में की गयी है। यद्यपि वास्तविक अदायगी सम्बन्धी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, पर जहाजों के संबंध में मूल्य के 19 प्रतिशत तक की अदायगी परिवर्तनीय मुद्रा में की गयी है और अन्य उपकरणों और मशीनों के सम्बन्ध में यह अदायगी 'चार' प्रतिशत और (ग्यारह) प्रतिशत के बीच की गयी है।

भाड़ा प्राय: उपकरणों और मशीनों के मूल्य के 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। सोवियत ऋणों से प्राप्त रकमों से मंगाया गया माल लाने के भाड़े की कोई अदायगी परिवर्तनीय मुद्रा में नही की गयी है। चूंकि चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी और बल्गारिया से मिलने वाले ऋणों से उपकरणों और मशीनों का जहाज पर का मूल्य ही चुकाया जाता है, इसलिए तीसरे देश के जहाजों से माल मंगाने पर परिवर्तनीय मुद्रा में अदायगी की जाती है। फिर भी, भारतीय जहाजों या ऋण देने वाले देशों के जहाजों से माल लाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है ताकि अदायगी मुक्त विदेशी मुद्रा में न करनी पड़े। इस प्रकार, परिवर्तनीय मुद्रा में भाड़े की अदायगी का अनुपात बहुत कम है।

Use of Hindi in N.D.M.C.

1192-C. **Shri T.P. Shah:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a motion with regard to complete switch over to Hindi with effect from the 26th January, 1968 had been moved in New Delhi Municipal Committee ;

(b) whether it is also a fact that the said motion was disallowed by the President of the Municipal Committee ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) and (c) Do not arise.

कोयना भूकम्प

1192-घ. **श्री अ० क० गोपालन : श्री भगवान दास :**
श्री विश्व नाथ मेनन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक सम्बन्ध परिषद् के डा० बी० के० नायर द्वारा वाराणसी में आयोजित किये गये भारतीय साइंस कांग्रेस के भूतत्वीय और भू-भौतिकीय अधिवेशन में

व्यक्त किये गये इस विचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कोयना का भूकम्प लीनड्रो कनयान, न्यू मैक्सिको, (अमरीका) के पास, जो दुनिया के ठीक दूसरी ओर स्थित है, ठीक उस समय तापीय परमाणु विस्फोट होने के कारण आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में और आगे जांच करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव) :

(क) से (ग) कोयना भूकम्प पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति डा० नायर के विचारों का अध्ययन कर रही है । जांच चल रही है किन्तु विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कोयना क्षेत्र में आये भूचाल का कारण वैवर्तनिक है जो कि बसाल्टी तह के नीचे की आधारित चट्टान में भ्रंश का परिणाम था और कि अमरीका में हुए न्यूक्लियर परीक्षण के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में चर्चा

RE. DISCUSSION ON SITUATION IN WEST BENGAL

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) माननीय गृह-कार्य मंत्री सभा में उपस्थिति नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में हैं। दूसरे सदन के सदस्य भी इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपको विदित ही है कि हमें इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । गृह-कार्य मंत्री को राज्य सभा में भी उपस्थित रहना पड़ता है । उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह हमेशा इसी सदन में उपस्थित रहें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप उस सदन में इस विषय पर चर्चा किये जाने के लिये क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं जब कि हमें इस सम्बन्ध में बहुत अधिक चिन्ता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में समय निश्चित करना चाहता हूँ ताकि सभा के कार्यक्रम में बाधा न पड़े ।

दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में

RE : TEACHER'S STRIKE IN DELHI

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : दिल्ली में लगभग 30,000 शिक्षक हैं। लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों का विश्वास खो दिया है और वह सब मामले पर तसल्ली से बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक शिक्षकों का सम्बन्ध है मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है । पिछली बार मैंने इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी थी और मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण दिया था । इस सम्बन्ध में हम फिर चर्चा करेंगे और मंत्री महोदय विवरण देंगे । अभी बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों पर जैसे बंगाल की स्थिति, बिहार का मामला इत्यादि विषयों पर चर्चा की जानी है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इस विषय को बार-बार सभा में उठाने के बजाय आप मंत्री महोदय को यह सलाह दें कि वह उन विषयों पर जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं समय-समय पर वक्तव्य दें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा नियम 197 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न ऐसे विषय पर उठाया जाना चाहिये जिस विषय पर सभा में चर्चा की जा रही हो । इस समय हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमने इस स्थिति पर एक ध्यान दिलाने का प्रस्ताव भी रखा था । मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता हूँ । लगभग 30 हजार शिक्षक हड़ताल पर हैं । प्रत्येक स्कूल में एक पुलिस के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसे सुना है और शायद वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी देना चाहें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम सबका यह निवेदन है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय ऋण परिषद के बारे में अधिसूचना

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

मैं अधिसूचना संख्या एफ० 4 (43)–बी० सी०/67 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ऋण परिषद के गठन की घोषणा की गई । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 110/68]

बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम इत्यादि के बारे में अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं—

(1) बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1948, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में,

की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूँ।

(एक) दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (83)/67-फिन (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1682/67]

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (83)/67–फिन (ई) (आई) की एक प्रति जो दिनांक 14 नवम्बर, 1967 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(83) /67– फिन (ई) (आई) का शुद्धिपत्र दिया गया है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2114/67]

मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क-वापसी (सामान्य) 10 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 211 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात–शुल्क–वापसी (सामान्य) 11 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 212 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 12 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 213 में प्रकाशित हुए थे।

(घ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 13 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 214 में प्रकाशित हुए थे।

(ङ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 14 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 215 में प्रकाशित हुए थे।

(च) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 15 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 216 में प्रकाशित हुए थे।

(छ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 16 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 217 में प्रकाशित हुए थे।

(ज) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 17 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनाँक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 218 में प्रकाशित हुए थे।

(झ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 18 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनाँक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 219 में प्रकाशित हुए थे।

(ञ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 19 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 220 में प्रकाशित हुए थे।

(ट) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क–वापसी (सामान्य) 20 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 221 में प्रकाशित हुए थे।

(ठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 21 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 272 में प्रकाशित हुए थे।

(ड) जी० एस० आर० 274 जो दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 16 सितम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1406 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 111/68]

(दो) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० 222 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) जी० एस० आर० 223 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग) जी० एस० आर० 237 जो दिनांक 1 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(घ) जी० एस० आर० 273 जो दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ङ) जी० एस० आर० 277 जो दिनांक 6 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 112/68]

डाकघर बचत-पत्र नियम

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर

से सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक-घर बचत-पत्र (पहला संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 137 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 113/68]

जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक

JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में अनुपूर्ति करने वाले विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Moghyr): Sir, I fully oppose the Bill introduced by Shri Govind Menon. The Jammu and Kashmir Assembly has aggressed into the domain of this Parliament. Our tendency has become to ditto whatever the Jammu and Kashmir Government ask us to do.

The Jammu and Kashmir Government are trying to give a legal shape to the fact that certain people who were elected to the Jammu and Kashmir Assembly in an illegal manner now want to continue there and want it to be legalised. Those people have no right to sit in the Assemly there as the elections were held in an undemocratic manner. If some State Assembly wants to take way the rights of this Parliament, they will have to call a new constituent Assembly. Hence I oppose the moving of this Bill at the introduction stage .

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप विधेयक के गुण / दोषों में नहीं जा सकते।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : महोदय इस प्रकार कभी हुआ नहीं है कि जो भी उस विधान सभा ने पास कर दिया हम उसे स्वीकृति दे दें। वहां की विधान सभा को ऐसा कानून पास करने का अधिकार नहीं है।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur): Sir only the Parliament can pass such a law and not the State legislature. First of all they issued an ordinance and then they gave it a legal shape They can bring only a new Bill here after the expiry of ordinance.

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Delhi) : Sir as Shri Madhu Limaye has pointed out this Bill is unconstitutional.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : महोदय जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा ने संसद् का अधिकार अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है। वह अधिकार तो केवल संसद् का है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : महोदय मैं भी स्वीकार करता हूँ कि काश्मीर विधान सभा को यह अधिकार नहीं है। परन्तु बहुत सी अपीलें हैं और उनके लिये कानून सारे देश में एक जैसा करना है। इसे भूतलक्षी बनाना है। फिर काश्मीर उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील करना संभव होगा। यदि सदन चाहे तो खण्ड 2 में विवरण

के रूप को मैं बदल दूंगा। मैं इस विधेयक के पुरः स्थापन की प्रार्थना करता हूँ। यह संशोधन मैं इस विधेयक पर विचार के समय पेश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू तथा काश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में अनुपूर्ति करने वाले विधेयक को पुरः स्थापन करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री गोविन्द मेनन : महोदय मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है और 14.15 बजे पुनः समवेत होगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए सवा दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात सवा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at quarter past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में

RE: TEACHER'S STRIKE IN DELHI

Shri Kunwar Lal Gupta (Sadar Delhi): Sir we have received reports that many teachers have been arrested by the police. There are bout 8 lakh students in these Institutions and about thirty thousand teachers are on strike.

Even the scales of Himachal Pradesh are not being given to the Delhi teachers. It is a law and order problem. I want to know what should be done in such a situtation ?

Dr. Ram Subhag Singh : I will convey it to the Education Minister.

रेलवे आय व्ययक—1968-69

RAILWAY BUDGET—1968-69

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

मैं 1968-69 का रेलवे बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

2. सबसे पहले समाप्त वर्ष की चर्चा करूंगा । मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 1966-67 के लेखे बन्द करते समय घाटा पूर्वानुमानित 24 करोड़ रुपये से घट कर

18.27 करोड़ रुपये रहा, क्योंकि साधारण संचालन व्यय में 5.75 करोड़ रुपये की बचत हुई। इस बचत का मुख्य कारण यह था कि वर्ष के अंतिम सप्ताहों में कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी, कम गिट्टी खरीदी गयी और इमारतों तथा संरचनाओं की मरम्मत का काम भी कम हुआ।

3. मैं चाहता था, चालू वर्ष के सम्बन्ध में सदन में कुछ अधिक अच्छा विवरण प्रस्तुत कर पाता। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सदन में व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करते हुए साधारण तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि के अपने प्रस्ताव को मैंने कुछ नरम कर दिया था और माल यातायात पर पूरक प्रभार में 3 प्रतिशत की वृद्धि से अनाज को मुक्त कर दिया था। इन दो परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि पिछले बजट में 1.28 करोड़ रुपये की जिस उपान्त बचत का उल्लेख मैंने किया था, उसके स्थान पर लगभग 2 करोड़ रुपये का घाटा रहा। चालू वर्ष में माल यातायात से आमदनी का अनुमान इस आधार पर लगाया गया था कि राजस्व उपार्जक यातायात में 85 लाख मीटरिक टन वृद्धि होने की आशा थी। लेकिन माल यातायात का रुख इस वर्ष बहुत ही निराशाजनक रहा जो निःसन्देह अर्थ-व्यवस्था में चालू मंदी का परिणाम था। अगस्त महीने के अन्त तक राजस्व यातायात बहुत कुछ उतना ही रहा जितना पिछले वर्ष था, लेकिन सितम्बर के महीने में इसमें अचानक लगभग पन्द्रह लाख मीटरिक टन की कमी हुई और अक्तूबर में लगभग पांच लाख मीटरिक टन की कमी और आ गयी और इस तरह, पिछले वर्ष की तुलना में, अक्तूबर के अन्त तक, राजस्व यातायात लगभग साढ़े बाईस लाख मीटरिक टन कम रहा। नवम्बर और दिसम्बर में, परसाल की तुलना में, यातायात की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई दिया और दिसम्बर के अन्त तक यातायात में कमी घट कर 17 लाख मीटरिक टन के करीब रह गई। यातायात के उत्तरवर्ती रुख को देखते हुए, इस बात की बहुत कुछ संभावना है कि चालू वर्ष के अन्त तक राजस्व उपार्जक यातायात लगभग 10 लाख मीटरिक टन कम रहेगा, जब कि पिछले वर्ष इसकी कुल मात्रा 1642 लाख मीटरिक टन थी। तदनुसार, मैंने संशोधित अनुमान में माल यातायात से आमदनी को 52 6करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 17 करोड़ रुपये कम कर दिया है।

4. प्रसंगवश, मैं यह बता दूं कि यद्यपि रेल परिचालन के लिए यह वर्ष कई प्रकार से बहुत ही कठिनाई से भरा रहा, फिर भी माल यातायात में अनुमानित वृद्धि प्राप्त कर सकने में हमें जो असफलता मिली, वह रेलवे की किसी चूक के कारण नहीं है। भारी मात्रा में अनाज के आयात के कारण माल यातायात के प्रवाह के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और बम्बई, विशाखापत्तनम और कलकत्ता के बन्दरगाहों की क्षमता पर इसका इतना अधिक बोझ पड़ा कि रेलों को मद्रास और कांडला के सुदूर स्थित बन्दरगाहों से उत्तर-प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अनाज की ढुलाई करनी पड़ी। इस काम में अक्सर माल डिब्बों को बहुत लम्बी दूरी तक खाली जाना पड़ता था। इन अड़चनों और कठिनाइयों के बावजूद रेलों ने इन बन्दरगाहों से 1967 में अप्रैल से नवम्बर तक 20 लाख मीटरिक टन अनाज अभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया और अनाज की ढुलाई से सम्बन्धित पूरी मांग को तत्परतापूर्वक पूरा किया। वास्तव में जुलाई, 1967 से बड़ी लाइन पर माल डिब्बों की बकाया मांग आमतौर पर एक दिन के औसत लदान से भी कम रही है। फरक्का में गंगा के आर-पार फेरी क्षमता तथा न्यू बंगईगांव और न्यू जलपाईगुड़ी

में यानान्तरण की क्षमता और अधिक बढ़ जाने के फलस्वरूप उत्तरी बंगाल और आसाम के लिए यातायात प्राय: पूरे वर्ष निर्बाध गति से होता रहा। वाल्टेर के रास्ते कोटे की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के कारण देश के दक्षिणी भागों तक से उत्तरी भागों और पूर्वी तट के रास्ते भी यातायात अबाध गति से चलता रहा।

5. यात्री यातायात में वृद्धि की रफ्तार बजट प्रत्याशा की तुलना में कुछ अधिक अच्छी रही, लेकिन इससे आमदनी में केवल उतना ही घाटा पूरा होगा, जो साधारण तीसरे दर्जे के किराये में उस कमी के कारण होता, जिसकी मंजूरी मैंने बजट बहस के दौरान दी थी। अतः यात्री यातायात से आमदनी के मद में 255.25 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान में मैंने ज्यों का त्यों रहने दिया है। अन्य कोचिंग फुटकर आमदनी और वसूल की जाने वाली आमदनियों के अनुमानों में परिवर्तन मामूली है।

6. फलस्वरूप यातायात से कुल प्राप्ति 847.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की अपेक्षा 17.45 करोड़ रुपये कम रहेगी।

7. अनुमान है कि साधारण संचालन व्यय बजट की अपेक्षा अब 22.53 करोड़ रुपये अधिक रहेगा। इसमें 1.65 करोड़ रुपये की वह रकम शामिल है, जो लेखा प्रक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप पोर्ट ट्रस्टों को दी जानी है। इस प्रकार यह रकम बजट अनुमान में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं बल्कि केवल तकनीकी दृष्टि से वृद्धि है। अतः बजट में वास्तविक वृद्धि केवल 20.88 करोड़ रुपये की है। इनमें से भी 2 करोड़ रुपये वस्तुतः वास्तविक वृद्धि की कोटि में नहीं आते क्योंकि यह उस रकम का हिस्सा है, जो डाक-तार विभाग को बजट तैयार होने के बाद, लाइनों के तार और केबुलों के बकाये किराये के रूप में देय हुई। शेष 18.88 करोड़ रुपये में दो मदें शामिल हैं। एक तो, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के 10.62 करोड़ रुपये और दूसरी, ईंधन के लिए 8.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता। ईंधन की मद में वृद्धि का अधिकांश अर्थात् 5.10 करोड़ रुपये, कोयले की कीमत में वृद्धि से सम्बन्धित है, क्योंकि नियंत्रण हटाने के बाद सितम्बर, 1967 से कोयले की कीमत बढ़ गयी थी। इस मद में 1.54 करोड़ रुपये की वृद्धि पिछले वर्ष के कोयले, डीजल तेल और विद्युत शक्ति पर बिक्री-कर के कारण हैं। बजट प्रत्याशा की अपेक्षा यातायात का स्तर कम रहने के फलस्वरूप कर्मचारियों पर खर्च में लगभग 3 करोड़ रुपये और ईंधन की मद में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की बचत हुई है। लेकिन फुटकर वृद्धियों में यह बचत संतुलित हो जाती है। अभी मैंने जो कुछ कहा है, उससे यह स्पष्ट है कि लगभग $22\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की वृद्धि पूर्णतः बजटोत्तर परिस्थितियों, खासकर मंहगाई भत्ते और ईंधन की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण है जो सर्वथा रेलवे के नियंत्रण से बाहर थीं।

8. अब चूंकि मूल्यह्रास आरक्षित निधि से निकासी में कम से कम 6 करोड़ रुपये की कमी होने की आशा है और हम विषम राजस्व स्थिति का सामना कर रहे हैं, अतः मेरा प्रस्ताव है कि बजट में इस निधि में 105 करोड़ रुपये के जिस अंशदान की व्यवस्था की गई थी, उसे घटा कर 95 करोड़ रुपये कर दिया जाये। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे पेंशन निधि में अंशदान की मात्रा 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था से कम करके 10 करोड़ कर दी जाये। इतने पर भी इस निधि में इस वर्ष 8.05 करोड़ रुपये अर्जित होंगे और इससे 5.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

9. अन्ततोगत्वा, इस वर्ष का घाटा 22.59 करोड़ रुपये रह जाएगा ;

10. यद्यपि संचालन व्यय में यथासंभव अधिक से अधिक किफायत लाने के लिए मैं रेल प्रशासनों पर बराबर पूरा जोर देता रहा हूँ, फिर भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि वे इससे अच्छा परिणाम नहीं दिखा सकते थे और मेरी यह आशा भी निराधार नहीं है कि आगामी वर्ष में वे और अच्छा परिणाम दिखायेंगे। लेकिन माननीय सदस्यों से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि परसाल बजट बहस का उत्तर देते समय मैंने जो यह कहा था कि थोड़ी अवधि में भारी किफायत ला सकने की भी अनिवार्य सीमाएं और अड़चनें होती हैं, उसे वे ध्यान में रखेंगे। मेरी एक कठिनाई और है और वह यह कि हम जितनी किफायत सुनिश्चित कर पाते हैं, जिससे परिचालन लाभ में वर्षानुवर्ष होने वाली अनिवार्य वृद्धियों का एक अंश मात्र ही पूरा हो पाता है। इनमें से मैं केवल कुछ उल्लेख यहां करना चाहूँगा। वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान अभी स्थिर न होने के कारण समय-मानों में वार्षिक वृद्धि के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से वेतन–बिल में हर साल लगभग 5 करोड़ की बढ़ती हो जाती है। मंहगाई भत्ते में समय-समय पर जो वृद्धियां की गयी है, उनके परिणामस्वरूप अब लगभग 92 करोड़ रुपये की बढ़ती हुई है। केवल इसी वर्ष इस मद में वृद्धि 28. 25 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। ईंधन की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। 1961–62 के प्रारम्भ से लेकर 1967 के मध्य तक सांविधिक कीमतों और उपकरों में 7.62 रुपये प्रति मीटरिक टन तक की वृद्धि हुई थी। नियंत्रण हटने के बाद से कीमत में 5 रुपये प्रति मीटरिक टन की और बढ़ती हुई है। इस प्रकार 1961-62 की कीमतों की तुलना में खदान-मुख पर कोयले की लागत लगभग 13 रुपये प्रति मीटरिक टन बढ़ चुकी है। पहली जुलाई, 1966 से कोयले पर बिक्री-कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़कर 3 प्रतिशत हो गई। डीजल तेल पर शुल्कों और बिक्री कर में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सिर्फ इन कारणों से ईंधन पर 1961-62 से रेलवे ईंधन खर्च में 22 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

11. इसके अलावा हाल के वर्षों में व्याजदेय पूंजी पर लाभांश में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ की बढ़ती हुई है। इस प्रसंग में रेलों पर लगायी गई पूंजी के विषय में कुछ कहना उपयुक्त होगा। माल यातायात में काफी वृद्धि हुई है। माल यातायात 1950-51 में लगभग 440,000 लाख शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर था जो 1965-66 में बढ़कर 1170,000 लाख मीटरिक टन किलोमीटर हो गया, अर्थात् 15 वर्षों में इसमें 165 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस 15 वर्ष की अवधि के प्रारम्भ में पूंजी परिव्यय अपेक्षाकृत कम रहा, जिसका एक कारण यह था कि पहली योजना में परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके पुनःस्थापन को प्राथमिकता दी गयी थी और दूसरा कारण यह था कि अपेक्षाकृत थोड़ी पूंजी लगाने से स्थापित क्षमता में ढीलापन दूर करना संभव था। इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना में व्याजदेय पूंजी में औसत वृद्धि प्रतिवर्ष 29 करोड़ रुपये से कम रही। जब यातायात में वृद्धि और हुई तो शुरू में क्षमता बढ़ाने के कम खर्चीले तरीकों को अपनाया गया, जैसे ब्लाक खंडों की लम्बाई कम करना, सिगनल व्यवस्था में सुधार करना, अधिक पार स्टेशनों की व्यवस्था करना या गाड़ियों की लम्बाई और वजन बढ़ाना। जब ये उपाय अपर्याप्त साबित हो गये या जब इनसे लाइन क्षमता में अपेक्षित वृद्धि न हो सकी तो अधिक खर्चीले उपाय अपनाये गये, जैसे रेलवे लाइन के कुछ खंडों पर दुहरी

लाइनें बिछाना या कुछ खण्डों पर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना या नयी लाइनें बिछाना। दूसरी योजना अवधि में पूंजी लेखे में औसत वार्षिक खर्च 110 करोड़ रुपये तक बढ़ गया और तीसरी योजना अवधि में यह बढ़कर लगभग 228 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसमें सबसे अधिक वृद्धि 1964-65 में हुई जब कि यह 275 करोड़ तक पहुंच गया था। यहाँ मैं माननीय सदस्यों को रेलवे की क्षमता के विकास की कुछ विशेष बातों की याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि नयी लाइनों के निर्माण और वर्तमान लाइनों के साथ दुहरी लाइन बिछाने आदि कामों को पूरा करने और उन्हें उपयोग में लाने में अनिवार्यतः 2 से लेकर 4 साल तक लग जाते हैं और चूंकि ऐसे कई काम हमेशा चलते रहते हैं पूंजी की एक बड़ी रकम ऐसे कामों में फंसी रहती है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि साल-ब-साल की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता में हुई वृद्धि में कदाचित् ही काँट-छाँट की जा सकती है और किसी खंड पर दुहरी लाइन बिछायी जाती है या जब कोई नयी लाइन बनायी जाती है, तो यातायात के उस स्तर तक बढ़ने में सामान्यतः कुछ साल लग जाते हैं, जिस स्तर तक बढ़ने से उसकी अतिरिक्त क्षमता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके और उससे पूरा प्रत्याशित प्रतिफल मिल सके। अन्तिम बात यह है कि यदि किसी खंड पर लाइन-क्षमता अधिक है तो उसे ऐसे किसी खण्ड पर अन्तरित नहीं किया जा सकता जहाँ उसकी कमी है। इस प्रकार हमारे पास ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनमें किसी विशेष खण्ड में इस्पात कारखानों के कच्चे माल और तैयार माल के लिए प्रायोजित भारी यातायात को और भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग के लिए कोयले के यातायात में प्रायोजित वृद्धि को सम्हालने के लिए जो क्षमता पैदा की गयी थी, उसमें से कुछ अंश का ही उपयोग हुआ, जिसका कारण यह था कि इस्पात कारखानों और कोयले के यातायात का विकास प्रत्याशा से बहुत कम हुआ।

12 लगभग 2 वर्ष पहले जैसे ही यातायात में वृद्धि की रफ्तार मंद होने का आभास हुआ, वैसे ही पूंजी-व्यय में उपयुक्त कमी कर दी गयी। 1964-65 में जो पूंजी-व्यय 275 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, उसे घटाकर 1966-67 में 161 करोड़ और चालू वर्ष 150 करोड़ रखा गया है। ऐसा मूल्यों और लागतों में वृद्धि के बावजूद किया गया है। पूंजी-व्यय में किसी तरह की और कमी करना न तो सम्भव था और न ऐसा करना वांछनीय होता। हमारे लिए पूंजी-व्यय को उस स्तर तक कायम रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखना जरूरी था, जिससे उद्योगों की, विशेष रूप से माल डिब्बों का निर्माण करने वाले और इंजीनियरिंग के अन्य उद्योगों को क्षमता बेकार न पड़ी रहे, ताकि इसका आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न आये। रेल-प्रणाली और उसकी क्षमता में योजनाबद्ध विकास के लिए कुछ अवधि तक लगातार पूंजी लगाना आवश्यक होता है। निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम में बहुत अधिक कटौती करने से वह अवधि और बढ़ जायेगी जिस बीच चालू कामों पर लगी काफी रकम से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। साथ-ही इससे हमारे समाने वे बाधाएं और अधिक समय तक बनी रहेंगी जो यातायात के वर्तमान स्तर पर भी रुकावट डाल रही हैं।

13. चालू वर्ष में पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि और राजस्व से किये जाने वाले निर्माण-कार्यों पर होने वाले खर्च के संशोधित अनुमान को 305 करोड़ रुपये के बजट से घटाकर 282 करोड़ रुपये कर दिया गया है, अर्थात् इसमें 19 करोड़ रुपये की कमी की गयी है।

14. इस प्रकार, राजस्व और पूँजी दोनों ही खर्च को अधिकतम सीमा तक नियंत्रित कर दिया गया है।

15. यद्यपि रेलों की बजट-स्थिति पर आर्थिक मंदी का अवश्य थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है फिर भी, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भारतीय रेलों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष का घाटा संचालन-घाटा नहीं है। रेलों ने संचालन घाटा पूरा कर लिया है और लाभांश के भुगतान में चूक नहीं की है। अर्थ-व्यवस्था के आयोजनाबद्ध विकास में आशा के प्रतिकूल जो थोड़ी मंदी आयी, उस के कारण रेलों को कुछ दुर्दिनों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से निबटने के लिए रेलें लाभांश समकरण निधि का सहारा ले रही हैं, जो सर्वथा ऐसी ही आकस्मिकता का सामना करने के लिए बनायी गयी है।

16. रेलों के लिए यह कुछ संतोष और गौरव की भी बात है कि पिछले 16 वर्षों से उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए प्रभारों में यथासम्भव कम से कम वृद्धि की है और जो वृद्धि की भी है, वह केवल इतनी बचत के लिए की है जिस से विकास निधि से जो अलाभ-प्रद सुधार के काम किये जाते हैं, उनका खर्च इस बचत से पूरा हो जाये, क्योंकि ऐसे अलाभप्रद सुधार के काम के प्रतिफल को देखते हुए उन पर पूंजी से रकम खर्च करने का पर्याप्त औचित्य नहीं होता। रेलें ऐसा करने में समर्थ रहीं क्योंकि इस अवधि में यद्यपि कीमतों और मजदूरी में निरंतर वृद्धि होती रही है, परन्तु यातायात भी बराबर पर्याप्त रूप के बढ़ता गया। 1951--52 की अपेक्षा 1967--68 में रेलों को प्रति मीटरिक टन किलोमीटर और प्रति यात्री किलोमीटर के हिसाब से क्रमशः 50 प्रतिशत और 38 प्रतिशत अधिक आमदनी हुई। इसी अवधि में कोयले की कीमत में 115 प्रतिशत, लोहा और इस्पात की कीमत में 143 प्रतिशत और प्रति कर्मचारी लागत में 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लागत में वृद्धि और प्रभार में वृद्धि के बीच रहने वाली इस असमानता को, रेलवे की बजट-स्थिति पर कोई आँच आये बिना, केवल उस समय तक बनाये रखा जा सका, जब तक कि विकसित होने वाला यातायात वर्षानुवर्ष बड़े पैमाने पर बढ़ता रहा। परिवहन जैसी सेवा के संभरणकर्ता के होने के कारण रेलों पर अर्थ-व्यवस्था में मंदी आ जाने का विशेष रूप से सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी स्थिति यह है कि आर्थिक मंदी के कारण यातायात की वृद्धि में अस्थायी तौर पर रुकावट आ गयी है। मुझे आशा है कि रेलों को इस स्थिति में अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी, दुर्भाग्यवश महंगाई भत्त, वार्षिक वेतन वृद्धि, लाभाँश और ईंधन, लोहा और इस्पात तथा भंडारों आदि की कीमतों में वृद्धि का बोझ अभी बना हुआ है। संक्षेप में यही कारण है कि रेलवे को पिछले वर्ष तथा तथा इस वर्ष में घाटा हुआ, न कि रेलवे के वित्तीय ढाँचे में किसी प्रकार की कमी के कारण।

17. इस प्रसंग में यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारतीय रेलों को भारी सामाजिक बोझ का वहन करना पड़ता है। उपनगरीय गाड़ियों में सीजन टिकट पर चलने वालों के लिये जो किराया लिया जाता है, वह बहुत ही कम है। कुछ दूरियों के लिये मासिक सीजन टिकट का किराया साधारण किराये पर की जाने वाली सात इकहरी यात्राओं की लागत से भी कम है। विद्यार्थियों को किराये में भारी रियायतें दी जाती हैं। कोयले जैसे

आवश्यक सामानों की ढुलाई के लिये दूरदर्शी मानों में ऐसी व्यवस्था है कि लम्बी दूरी पर भाड़ा तीव्रता से घट जाता है। तीसरे, रेलें निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई वस्तुओं पर निम्न दरों पर भाड़ा लेती आ रही है। चौथे, उर्वरक एवम् उनके निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे सामानों तथा अनाज की ढुलाई की दरें बहुत कम रखी गयी हैं। दैवी प्रकोप जैसे सूखा, अकाल, बाढ़ तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को रेलें अनाज, चारे, कपड़ों, कम्बलों, दूध के पाउडर, दवाइयों और नमक की ढुलाई मुफ्त करती रहीं। केवल इन्हीं रियाअतों और माल यातायात को दी गयी छूट की रकम का न्यूनतम अनुमान प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये होगा। यात्री किरायों पर दी जाने वाली रियायतों की रकम का अनुमान लगाना कठिन है, फिर भी वह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होगी। कुछ देशों में यह मान्यता है कि ऐसे सामाजिक बोझ का वहन राज-कोष करे न कि रेलें। भारतीय रेलें, सामान्य वर्षों में तो ऐसे बोझों को वहन कर सकती हैं लेकिन आज की स्थिति में उन के लिए यह भारी बोझ उठाना कठिन है।

18. अब मैं 1968-69 वर्ष के बारे में कहूँगा। इस वर्ष अच्छी फसल होने की संभावना है। अतः आशा है कि यात्री यातायात में $3\frac{1}{2}\%$ वृद्धि होगी और यात्रियों से अनुमानतः 268 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। अन्य कोचिंग यातायात में चालू वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की संभावना नहीं है। अगले वर्ष में माल यातायात की सम्भावनाओं का ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण कर के यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारम्भिक यातायात में 60-70 लाख मीटरी टन की वृद्धि होनी चाहिए। माल यातायात से आमदनी का अनुमान चालू वर्ष की अपेक्षा लगभग 21 करोड़ रुपये अधिक है। 'फुटकर आमदनी' के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की वृद्धि और अप्राप्त आमदनी के लिये एक करोड़ अधिक रुपयों की व्यवस्था के बाद, यातायात से कुल 864.5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

19. अनुमान है कि साधारण संचालन-व्यय 614 करोड़ रुपये होगा, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 24.27 करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि में ये खर्च शामिल हैं—वार्षिक वेतन-वृद्धियों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये ; उन दरों पर जो इस वर्ष केवल पांच महीने के लिए प्रभावी रही हैं पूरे वर्ष के मंहगाई भत्ते के लिए लगभग $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये अधिक ; ऊंची दरों पर जो रेलवे को चालू वर्ष के एक भाग में देनी पड़ी, कोयला, डीजल तेल और बिजली के लिए लगभग, $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये अधिक ; अनुमानित अतिरिक्त यातायात की ढुलाई के वास्ते ईंधन के लिए 2 करोड़ रुपये ; 'मरम्मत और अनुरक्षण' के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये की वृद्धि, जिसका अधिकांश सवारी और माल डिब्बों के ओवरहाल के लिए है ; और अतिरिक्त यातायात एवं नयी-नयी उपयोग में लायी गयी परिसम्पत्तियों के लिए आवश्यक कुछ खर्च में अन्य छोटी-मोटी वृद्धियाँ।

20. राजस्व से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 100 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में लगभग 10 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रस्ताव है। चालू लाइन निर्माण राजस्व के लिए व्यवस्थित रकम घटाकर 9 करोड़ रुपये कर दी गयी है, जब कि इस वर्ष संशोधित अनुमान 10.25 करोड़ रुपये था। फलस्वरूप, शुद्ध विविध व्यय लगभग 84 लाख रुपये कम होगा। लाभांश चालू वर्ष की अपेक्षा 11 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है।

21. इन आंकड़ों का हिसाब लगाने पर अन्त में 27 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा रहता है।

22. जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं रेल प्रशासनों पर इस बात के लिए बराबर दबाव डालता रहूँगा कि सभी दिशाओं में और अधिक किफायत की जाये। प्रशासनिक कार्यालयों के लिए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रहेगा और अतिरिक्त कर्मचारियों की उतनी ही भर्ती की जायेगी, जितनी यातायात की ढुलाई के लिए और वर्ष के दौरान यातायात के लिए नये खोले गये लाइन-खण्डों और यार्डों तथा उपयोग में लायी गयी नयी परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए नितान्त आवश्यक होगी। ईंधन और दूसरे भण्डार की बचत के लिए और इसी प्रकार माल की हानि और क्षति को कम करने के लिए भी अधिक प्रयत्न किये जायेंगे।

23. आगामी वर्ष में रेलवे यातायात खोजने और बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी ताकि अधिक यातायात जुटे और ऊंची दर वाले यातायात को परिवहन के अन्य साधनों की तरफ जाने से रोका जा सके और, जहां कहीं सम्भव हो, रेलवे के हाथ से निकले हुए यातायात को फिर वापस लाया जा सके। मुझे आशा है कि अधिकाधिक ग्राहक-परक सेवा प्रदान करने की रेलवे नीति के अनुसार, हाल के महीनों में हर क्षेत्रीय रेलवे में जो विपणन और बिक्री संगठन स्थापित किये गये हैं वे फलदायक सिद्ध होंगे। इन संगठनों में विशेष रूप से चुने हुए अधिकारी रखे गये हैं और इन्हें बाजार-संबंधी अनुसंधान करने, व्यापार और उद्योग से सम्पर्क बनाये रखने, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने और उन्हें पूरा करने तथा अपने ग्राहकों की रेल-सेवा में सुधार के काम को दिशा देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। प्रारम्भिक परिणाम बड़े आशाजनक रहे हैं। इस संगठन की एक शाखा कण्टेनर सेवाओं के विकास का काम देख रही है। इन सेवाओं में रेल एवं सड़क परिवहन दोनों के फ़ायदे शामिल हैं, जिनमें माल भेजने वाले के स्थान से माल पाने वाले के स्थान तक के लिए अखण्ड परिवहन की व्यवस्था की गयी है और रेल तथा सड़क परिवहन दोनों का काम रेलवे की देख-रेख में होता है। माल भेजने वाला कण्टेनर में माल लादकर ताला लगा देता है, जिसे अपने यहां पहुँचने पर माल पाने वाला ही खोलता है। भारतीय रेलवे में सबसे पहली कण्टेनर सेवा फरवरी, 1966 में बम्बई (कर्णाक बन्दर) और अहमदाबाद (असारवा) के बीच शुरू हुई थी, जिसमें $4\frac{1}{2}$ मीटरिक टन आय भार के कण्टेनरों को एक-एक करके ट्रैक्टरों द्वारा खींचकर रेल-शीर्ष तक लाया गया था और एक-एक चौपहिये सपाट ट्रक में चार-चार कण्टेनर लादे गये थे। दिसम्बर, 1967 में कर्णाक बन्दर और नयी दिल्ली के बीच एक कण्टेनर सेवा शुरू की गयी, जिस में सड़क यूनिटें एक साथ दो कण्टेनरों को ले जा सकती थीं। नवम्बर, 1967 में ग्वालियर और नयी दिल्ली के बीच कण्टेनर सेवा में एक और किस्म का कण्टेनर चालू किया गया जो उस समय लपेटा जा सकता है जब उपयोग में न हो। रेलवे के, लखनऊ-स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने एक सुधारे हुए किस्म का कण्टेनर तैयार किया है, जो 5 मीटरिक टन आय भार ले जा सकता है और जिसे बड़ी और मीटर दोनों लाइनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के प्रमुख नगरों के बीच कण्टेनर सेवाएं शुरू करने की योजनाएं बनायी गयी हैं। यह सेवा लोकप्रिय सिद्ध हो रही है और आशा की जाती है कि आगे चलकर, भारतीय रेलवे अपने ग्राहकों को कण्टेनरीकृत परिवहन का पूरा लाभ प्रदान करने में समुन्नत देशों के बराबर आ जायेगी।

24. पिछले दो वर्षों से ट्रंक मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ गाड़ियां अब डीजल इंजन से चलायी जाती हैं और उनके चालन-समय में काफी कमी हो गयी है। उदाहरण के लिए, कर्णाक पुल से नयी दिल्ली तक का चालन-समय 95 घंटे से घटकर लगभग 50 घन्टे और वाडीबन्दर से शालीमार तक का चालन-समय 94 घंटे से घट कर 73 घंटे रह गया है। इसके अलावा, मध्य रेलवे में 'फ्रेट चीफ 1' नाम से एक तेज डीजल एक्सप्रेस मालगाड़ी चलायी गई हैं, जो वाडी बन्दर से इटारसी तक 746 किलोमीटर का फासला लगभग 17 घंटे में तय करती है। इस गाड़ी के कारण बम्बई, और बरास्ता इटारसी सेवित क्षेत्रों, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और उससे आगे के क्षेत्रों के बीच लगने वाला पारगमन समय बहुत कम हो गया है।

25. अब मैं एक ऐसे विषय पर लौटता हूँ जिसकी चर्चा मैंने पिछले वर्ष मई में संसद् में पिछला रेलवे बजट पेश करते समय की थी। यह विषय उस भारी हानि से संबंधित है जो अनेक अलाभप्रद शाखा लाइनों के परिचालन में रेलों को उठानी पड़ रही हैं और जिसका रूढ़िगत अनुमान लगभग छः करोड़ रुपये वार्षिक है। इनमें से अनेक शाखा लाइनों द्वारा सेवित क्षेत्रों में परिवहन-स्थिति की विस्तृत जांच-पड़ताल की गयी है और मैंने भी इस मामले पर अधिक विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार की कोशिश की है। बढ़ती हुई कीमतों और उन शाखा लाइनों पर यातायात बढ़ाने की अल्प संभावना के कारण इन लाइनों के परिचालन से घाटे में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायेगी। रेलवे पिछले वर्ष और चालू वर्ष घाटे में रही है और जैसा मैंने अभी कुछ पहले बताया, 1968-69 का अनुमान भी काफी घाटे का है, इस लिए परिहार्य हानि के निवारण के लिए सभी सम्भव उपाय करने पड़ेंगे। अतएव, मैं अलाभप्रद शाखा लाइनों को जल्दी से जल्दी बन्द करने के सवाल पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए बाध्य हो गया हूँ। इतना जरूर है कि कौन-सी शाखा लाइनों को बन्द किया जाये, इसका सार्वाधिक युक्ति-युक्त निर्णय करने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरती जायेगी। हम केवल उन्हीं लाइनों को बन्द करने के लिए चुनेंगे जो बहुत अधिक लागत पर चल रही हैं और जिनके द्वारा ढोये जाने वाले मामूली-से यातायात को सड़क परिवहन द्वारा बहुत कम लागत पर ढोया जा सकता है। मैं इस बात को पूरी तरह समझता हूँ कि रेलवे लाइनों को बन्द करने का कितना ही आर्थिक औचित्य क्यों न हो, स्थानीय जन-भावना सामान्यतः उनके बन्द किये जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध होती है। इसलिए जो अपील मैं राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कर चुका हूँ वही मुझे इस सदन से करनी है कि वह मुझे एक ऐसे प्रस्ताव पर अमल करने में अपना पूरा समर्थन दे जो कम से कम खर्च पर और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ वाले परिवहन की व्यवस्था करने के निर्दोष सिद्धान्त पर आधारित है। इससे, मुझे रेलवे के इस कठिन समय में उसके घाटे में काफी कमी कर सकने के महत्वपूर्ण काम में भी मदद मिलेंगी। मैंने संबंधित राज्य सरकारों को यह भी बता दिया है कि यदि ऐसी लाइनों को बन्द करने से परिवहन में कोई छोटी-मोटी अड़चन पड़ेगी और उसे दूर करने की दृष्टि से सड़क परिवहन सेवा सुधार या विकास के लिए वे वित्तीय सहायता मांगेंगी तो मैं उस पर भी विचार करने के लिये तैयार हूँ।

26. किफायत बरतने, अपव्यय में कमी करने और आमदनी बढ़ाने के काम में मुझे जो भी सफलता मिलने की आशा है उसके बावजूद, बजट वर्ष में लगभग 27 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे को नहीं रोका जा सकता। दरअसल, इनमें से बहुत-सी बातों का ध्यान मैंने बजट अनुमान में पहले ही रख लिया है। चालू वर्ष का घाटा पूरा करने के बाद, राजस्व आरक्षित निधि में लगभग 21 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। बजट वर्ष में माल यातायात में 60-70 लाख मीटरिक टन की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है, वह इस आशा पर है कि, हमारी अर्थ-व्यवस्था पुनः प्रगति-पथ पर आरूढ़ हो जायेगी और इस्पात-निर्मित वस्तुओं, इस्पात के लिए कच्चे माल, कोयले, सीमेंट, निर्यात वस्तुओं के यातायात में वृद्धि का जो अनुमान हमने लगाया है वह, चालू वर्ष की तरह, पुनः कागजों तक ही सीमित न रह जायेगा। मैं इससे और अधिक आशावादी नहीं हो सकता। हमें यह भी पूरी आशा रखनी चाहिए कि इस वर्ष कृषि-उत्पादन, विशेष कर अनाज के उत्पादन, का स्तर बहुत ऊँचा रहेगा, जिसका रहन-सहन की लागत पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा और बजट वर्ष में महंगाई भत्ते को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समय-वेतन मान में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण वेतन बिल में प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये और लाभांश की मद में 11 करोड़ रुपये के भुगतान के अतिरिक्त बोझ से बचा नहीं जा सकता, जिसका जिक्र मैं अभी कुछ पहले कर चुका हूँ। 1969-70 में भी इतना अधिक यातायात होने की सम्भावना नहीं है कि बजट वर्ष में घाटे का स्तर पूरा हो जाये तथा 16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम का भी भुगतान हो जाये। इन परिस्थितियों में, माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि बजट वर्ष में घाटे को पूरा करने के लिये जितनी रकम की कमी पड़ रही है, उसे जुटाने के लिए कुछ उपाय करना बुद्धिमानी की बात होगी।

27. अब मैं अपने प्रस्तावों के बारे में बताऊंगा। मेरा पहला प्रस्ताव वातानुकूल दर्जे के किरायों में 10 प्रतिशत वृद्धि करना और डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल कुर्सी यानों के प्रभार को बढ़ाकर दूसरे दर्जे के किराये तक करने का है। मुझे ऐसी आशा नहीं है कि इस वृद्धि के कारण यातायात का परिवहन अन्य साधनों से होने लगेगा। इस वृद्धि से 32 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है। मेरा दूसरा प्रस्ताव तीसरे दर्जे के तीन-टियर या दो–टियर शयन-यानों में, यात्रा की दूरी का ख्याल किये बिना, प्रति रात्रि सोने के स्थान के लिए 4 रुपये का प्रभार लगाने का है। जहाँ तक मुझे विदित है, किसी भी देश में सोने के स्थान के लिए बिना अतिरिक्त प्रभार लिए यह सुविधा नहीं दी जाती। कर्मचारियों को दिन-रात तीन पारियों में शयन-यानों में यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाता है कि उन व्यक्तियों को सोने का स्थान उपलब्ध है कि नहीं जिन्होंने स्थान का आरक्षण करा रखा है। इसके अलावा, तीन-टियर वाले शयन यानों में जितने यात्रियों को स्थान दिया जा सकता है, उनकी संख्या साधारण तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की से संख्या कम होती है और इस तरह आमदनी में कुछ हानि अवश्य होती है। इसलिए इस सेवा के लिए अतिरिक्त प्रभार लेने का पर्याप्त औचित्य है। दूसरे दर्जे के शयन-यानों के लिए प्रति रात्रि 5 रुपये के प्रभार को बढ़ाकर 6 रुपए कर देने का भी मेरा प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से प्रति वर्ष 225 लाख रुपये की आमदनी होने की संभावना है। पार्सल और सामान यातायात के जो वर्तमान प्रभार हैं, उनसे लागत पूरी नहीं होती। जब तक रेलों को उनके परिचालन के कुल योग पर लाभ होता

रहा, तब तक इस यातायात पर होने वाली हानि को पूरा किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 10 प्रतिशत अधिप्रभार बढ़ाकर इस यातायात के प्रभार को लागत के आस-पास लाना आवश्यक प्रतीत होता है। समाचार-पत्रों, दूध और ताजी सब्जियों को इस वृद्धि से छूट दी जायेगी ताकि यह शिकायत न आए कि शहरों में बिकने वाली जरूरत की इन चीजों के दाम बढ़ गये। आशा है इस वृद्धि से लगभग 250 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

28. जब तक अच्छे दिन नहीं आ जाते और रेलें, विकास निधि के पोषण के लिए फिर से अधिक आमदनी करने में समर्थ नहीं हो जाती, तब तक के लिए मेरा प्रस्ताव 5 रुपये के मूल्य तक के प्रत्येक यात्री टिकट पर 5 पैसे, 5 रुपये और 15 रुपए के बीच के मूल्य के प्रत्येक टिकट पर 10 पैसे और 15 रुपये से अधिक मूल्य के प्रत्येक टिकट पर 25 पैसे का नाम मात्र अधिप्रभार लगाने का है। तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के अधिप्रभार में केवल 25 पैसे और पहले दर्जे के टिकटों के अधिप्रभार में एक रुपये की वृद्धि होगी। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि विकास निधि में, जिसमे यात्री सुविधाओं के काम के खर्च लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं बचा है। पिछले वर्ष इस निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया और न इस वर्ष ही कोई अंशदान किया जा सकेगा। विकास निधि से होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए इस वर्ष सामान्य राजस्व से लगभग 19 करोड़ रुपये और अगले वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये कर्ज लिए जा रहे हैं। रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार, जिसका संसद ने अनुमोदन किया था, रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के काम पर हर वर्ष 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाने चाहिए। मेरे प्रस्ताव के अनुसार यात्री टिकट पर लगने वाले अधिप्रभार से लगभग 8 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है और यह रकम चालू वर्ष में तथा बजट वर्ष में मात्र रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के काम पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

29. चूंकि न्यूनतम किराया 20 पैसे तक आता है इसलिए प्लेटफार्म टिकटों की लागत बढ़ाकर 20 पैसे रखनी होगी। इससे 34 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

30. इन सभी उपायों से केवल लगभग 13.4 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा ; फिर भी 27 करोड़ रुपये के कुल राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की कमी पड़ेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए, मेरा प्रस्ताव, माल के भाड़े पर लगने वाले वर्तमान प्रभार में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का है जिससे लगभग 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस वृद्धि के फलस्वरूप, 1968-69 में मात्र 1 करोड़ रुपये की बचत होगी।

31. अब मैं संक्षेप में उन निर्माण कार्यों का जिक्र करूंगा, जो साल में पूरे किये गये या जो अभी चल रहे हैं ; राजस्थान सीमा में संचार-व्यवस्था को सुधारने और इस क्षेत्र में खनिज संग्रह का दोहन करने के उद्देश्य से 105 किलोमीटर लम्बी जिस पोकरन-जैसलमेर सम्पर्क लाइन के निर्माण का काम शुरू किया गया था, उसे पिछले मास यातायात के लिए खोल दिया गया। यह काम लगभग एक वर्ष में ही पूरा कर लिया गया जो एक रिकार्ड

समाप्त है । 67 किलोमीटर लम्बे सेलम-धर्मापुरी खंड को भी चालू वर्ष में यातायात के लिये खोल दिया गया। यह खंड बेंगलूर-सेलम परियोजना का अंग है । 450 किलोमीटर लम्बी वेलाडिल्ला कोट्टवलासा रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई है और इस पर निर्यात के लिए कुछ लोह अयस्क ढोया जा रहा है। झुंड–कांडला के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति हुई है । आशा है कि हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर लाइन, बेंगलूर-सेलम लाइन का धर्मापुरी-बेंगलूर खंड और मंगलूर-हसन लाइन का मंगलूर-पानाम्बूर खंड अगले वर्ष यातायात के लिए खुल जायेंगे। हल्दिया बन्दरगाह के लिए निर्माण सामग्री की ढुलाई में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से हल्दिया रेल सम्पर्क के पंचकुड़ा- दुर्गाचक खंड पर हो रहे निर्माण के काम को तेज कर दिया गया है और आशा है कि इस प्रयोजन के लिए यह खंड 1968–69 में खुल जायेगा । 80 किलोमीटर लम्बे कठुआ-जम्मू रेल सम्पर्क को अगले वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है । इसके निर्माण पर 10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । इसके अलावा तोमका-दातेरी क्षेत्र से निर्यात के लिए 20 लाख मीटरिक टन लोह अयस्क की ढुलाई के लिये कटक से पारादीप बन्दरगाह तक की 80 किलोमीटर लाइन को भी अगले वर्ष के बजट में शामिल किया गया है । 1966-67 के दौरान 476 किलोमीटर लम्बी नयी दोहरी लाइन यातायात के लिए खोली गयी और चालू वर्ष में 450 किलोमीटर लाइन का निर्माण पूरा हो जाने की संभावना है । लगभग 950 किलोमीटर लम्बी दोहरी लाइन बिछाने का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है । 404 मार्ग किलोमीटर में विद्युतीकरण का काम पिछले वर्ष पूरा हो चुका है और 351 मार्ग किलोमीटर में यह काम चालू वर्ष में और 264 मार्ग किलोमीटर में बजट वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है ।

32 इस वर्ष दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर-अनूपपुर खंड पर प्रथम बहुसरणि माइक्रोवेव सम्पर्क की स्थापना से सिगनल और दूर-संचार के आधुनिकीकरण के एक नये चरण का प्रारम्भ हुआ । पूर्व रेलवे के कुछ खंडों पर स्वचल गाड़ी नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में काम शुरू हो चुका है और इस वर्ष हावड़ा, सियालदह, लिलुआ और कल्याण स्टेशनों पर रूट रिले अन्तर्पाश प्रणाली शुरू कर दी गयी है । पिछले वर्ष परिचालन के दौरान अधिक संरक्षा के लिए 192 स्टेशनों पर पटरी-परिपथन की व्यवस्था की गई और इस वर्ष के अन्त तक 200 और स्टेशनो पर मुख्य रन थ्रू लाइन का पटरी-परिपथन किये जाने की संभावना है । गजियाबाद-साहिबाबाद, बोरिविली-विरार, थाना–कल्याण, टाटा–सिनी, सीतारामपुर-मुगमा और विल्लिवक्कम-आवडी खंडों पर स्वचल सिगनलों की व्यवस्था की गई है ।

33. आयात को समाप्त या आस्थगित करने के प्रयास इस वर्ष भी किये जाते रहे और 1.24 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की गयी । रेलों ने वाणिज्य मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम और निजी क्षेत्र के चल-स्टाक का निर्यात करने के अभियान में सहायता की । पिछले वर्ष 75 लाख रुपये के चल-स्टाक और अन्य उपस्करों का निर्यात किया गया था, जब कि इस वर्ष इन सामानों के लिये 10 करोड़ रुपये से अधिक के आर्डर मिले हैं जिनका उत्पादन इस वर्ष और अगले वर्ष किया जायेगा । रेल कारखानों में एक बाहरी देश के लिये मीटर लाइन के रेल इंजनों के पांच बायलरों का निर्माण किया जा रहा है और आशा है, भविष्य में निर्यात के लिए और आर्डर मिलेंगे ।

34. रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन इस वर्ष तकनीकी उपायों के सुधार और रेल-पथ और चल-स्टाक के अनुरक्षण का पर्यवेक्षण करने के काम को अग्रता देता रहा ताकि अनुरक्षण के खर्च में किफायत की जा सके और बिना किसी विशेष अतिरिक्त खर्च के रफ्तार में वृद्धि की जा सके। इस संगठन ने निर्यात के लिये बनाये जाने वाले माल-डिब्बों का अभिकल्प तैयार करने में राज्य व्यापार निगम की भी सहायता की और अपने देश में इस्तेमाल के लिए बनाये जाने वाले कंटेनरों का अभिकल्प बनाने में मदद दी।

35. रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में स्थापित केन्द्रीय टिकट जाँच दस्ता चालू वर्ष में उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर काम करता रहा और इससे इन रेलों पर टिकट जांच करने के काम में तीव्रता आयी है। अकेली उत्तर रेलवे पर बिना टिकट पकड़े जाने वाले यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा लगभग 13% अधिक रही है और टिकट खिड़कियों पर बिक्री 6.3% बढ़ गयी है। इस विशेष दस्ते का काम जारी रखने का विचार है, ताकि बिना टिकट यात्रियों से होने वाली राजस्व की हानि की रोकथाम की जा सके।

36. रेलवे सुरक्षा दल के कार्य के फलस्वरूप, इस वर्ष रेलों से चुराया गया माल अधिक मात्रा में बरामद हुआ और भारतीय रेल अधिनियम और रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम के अधीन लगभग 89,000 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। दल ने देश के विभिन्न भागों में हुए नागरिक उपद्रवों के दौरान यात्रियों, रेलपथ, स्टेशनों और गाड़ियों और नागा-उपद्रवियों की गतिविधियों से प्रभावित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के खंडों की सुरक्षा के लिए भी प्रशंसनीय कार्य किया।

37. इस वर्ष श्रम संगठनों और रेल प्रशासनों के बीच आमतौर पर अच्छे सम्बन्ध बने रहे और स्थायी वार्ता तंत्र उपयोगी काम करता रहा। सरकार और कर्मचारियों की आम संस्था के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित किया गया। राष्ट्रीय परिषद् स्तर पर यह योजना शुरू की जा चुकी है और रेलवे बोर्ड स्तर पर एक विभागीय परिषद् स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

38. अन्त में, मैं उन सभी रेल कर्मचारियों की हार्दिक प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने गाड़ियों में लुटेरों, डाकुओं और अन्य समाज-विरोधी तत्वों की गैर-कानूनी गतिविधियों और देश के विभिन्न भागों में दंगों और नागरिक उपद्रवों में जान का भारी जोखिम होते हुए भी पूरे वर्ष निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। माननीय सदस्यों ने गाड़ियों के देर से चलने के कारण निर्दोष स्टेशन कर्मचारियों तथा रनिंग कर्मचारियों पर हमले होने की बातें सुनी होंगी, जब कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। एक बात, जिससे मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है, वह यह है कि अपनी सभी और हर तरह की शिकायत, चाहे वह सही हो या मनगढ़न्त, की ओर ध्यान दिलाने के लिए अथवा किसी आन्दोलन को तेज करने के लिए, चाहे वह इस्पात कारखाना स्थापित करने के स्थान के बारे में हो या भाषा विवाद के बारे में, चाहे वह किसी "बन्द" के सिलसिले में हो या श्रमिक विवाद के सिलसिले में, चाहे उसका सम्बन्ध पर्याप्त राशन न मिलने से हो या तस्करों की गतिविधियों से, और चाहे स्कूलों की फीस बढ़ाने की बात हो, रेलों को ही हिंसा और हमलों का अधिकाधिक लक्ष्य बनाया जा रहा है। न केवल रेलों के डिब्बों पर संगठित

हमले किये गए बल्कि हवड़ा तथा दूसरे स्थानों पर रूट रिले उपस्कर जैसी बड़ी मूल्यवान संस्थापनाओं पर भी हमले हुए हैं। इनको नुकसान पहुँचने से इन महत्वपूर्ण स्टेशनों का कार्य-संचालन लगभग ठप्प हो जायेगा और सम्बन्धित शहरों में जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। रेल कर्मचारियों की शानदार परम्परा में कर्तव्यनिष्ठा का ही यह परिणाम है कि वे, भारी जोखिम तथा कठिन बाधाओं के बावजूद गाड़ियों के संचालन के लिए अपने स्थानों पर डटे रहे। मैंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस स्थति को समझें और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखकर रेल सम्पत्ति एवम् रेल कर्मचारियों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि सदन मेरी इस अपील का समर्थन करेगा और मेरे साथ मिलकर रेल कर्मचारियों द्वारा, इन सभी कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद, किये जा रहे उत्तम काम के लिए उन्हें धन्यवाद देगा।

जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अध्यादेश के बारे में विवरण

SATEMENT RE: JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) ORDINANCE

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम संख्या 71 (1) के अंतर्गत जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अध्यादेश, 1968 के तुरन्त विधान बनाने के बारे में व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुहम्मद इमाम अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्तदुर्ग) : महोदय महाराष्ट्र सरकार इस रिपोर्ट के विरुद्ध प्रचार कर रही है तथा रिपोर्ट पेश करने वाले के चरित्र पर भी लांछन लगा रहे हैं। इस सदन की सभा-पटल पर अभी तक यह रिपोर्ट नहीं रखी है और इस प्रकार इस सदन को उस रिपोर्ट पर चर्चा का अवसर प्रदान नहीं किया है।

यह आयोग भी महाराष्ट्र के लोगों के दबाव डालने पर ही नियुक्त किया था। उस समय मैसूर सरकार ही आयोग के हक में भी नहीं थी परन्तु हमने भी उसे स्वीकार कर लिया। श्री महाजन स्वयं भारत के उच्चतम न्यायालय के उच्चाध्यक्ष रह चुके थे। इस कारण मैसूर सरकार ने उन्हें सब प्रकार का सहयोग दिया। कुछ भागों को आयोग ने महाराष्ट्र को दे दिया परन्तु हमने उसे भी स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार तो बैलगांव के नगर को महाराष्ट्र

में मिलाना चाहते हैं। बेलगांव को पहले के भी आयोगों ने मैसूर को दिया था। श्री महाजन ने भी उसे मैसूर को दे दिया है।

गृह-कार्य मंत्री ने एक नया तरीका अपनाया है और वह है राष्ट्रीय मत। वह उसे भाषा के बारे में भी अपना रहे हैं। मैसूर के मुख्य मंत्री ने इस तरीके को रद्द कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिये और उसे कार्यान्वित करना चाहिए।

इस रिपोर्ट को सभा के सामने रखना चाहिये। इसके ऐसा न करने से गृह-कार्य मंत्री पर भी संदेह होता है। मैं सुझाव देता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री यदि नहीं कर सकते तो प्रधान मंत्री इस प्रश्न को अपने हाथ में लें और ठीक प्रकार से समझौता करायें।

भाषा का प्रश्न भी देश को टुकड़े-टुकड़े करने वाला है। परन्तु मैं आशावादी हूँ और विश्वास करता हूँ कि भारत इन सब पर काबू पा लेगा।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, I support the motion of thanks on the President's address. The President has made mention in his address about all the problems faced by the nation. He has asked the opposition leaders to sit with him and discuss things of common interest for the nation. I hope the opposition leaders would not lose this opportunity.

About Himachal Pradesh I must say that it should be given the status of a full State. In 1948 it had a population of 9 lakh peeple only but now it has gone to 30 lakh people. In 1948 its area was only 9600 sq. miles but now it is 22,000 sq. miles. The Dogras of Himachal Pradesh are serving in the armed forces of the country. For our demand of full statehood, we want it to be done in a peaceful manner. We want this right to be conceded.

Our area is a backward area. A large number of people of our area are in the Armed Forces of our country. They have proved their mettle in battle field. Their State should be granted the status of a full fleged State. The teachers of Himachal Pradesh are going on strike from 28th. They have put up their demands before Government. The Central Government should intervene in the matter and sanction the required amount in this connection. The appointment of Lok Pal will ensure cleaner administration. I welcome this step of Government. Government should make some law for checking defection of legislators. This is a very unhealthy trend in our political life.

The opposition parties had formed non-Congress Governments in many States but these Goverments are falling one by one. This is not in the interest of democracy. We should establish healthy conventions and have stable Government. If this tendency is not checked, the very foundation of our demorcatic set up will be shaken. The unity of our country will be endangered.

The agents of Pakistan and China are active in our country. The recent disturbances in Assam are a glaring example of the same. The subversive elements are doing great harm. In Madras people are raising anti-national slogans. The Pakistani lobby is again active All these things should be considered seriously. We have to think over the urgent problems first of all. The internal administration should be toned up. The defections should be checked. The red tape should be eliminated.We should hold an eqiury in the matter of concentration of wealth in a few hands.

Our Government deserves all praise for encouraging the public sector. It has helped in improving the country's economy. The capitalistic pattern of society has to be checked by this sector. The big industrialists are placing hurdles on its path but they would not succeed. I appeal

to the Government to help and encourage the public sector in right earnest. We should try to remove the difficulties of Public Sector.Its working should be streamlined o that it Can yeild the desired results. A commission or committee should be appointed to look into the working of public undertakings. This commission should suggest remedial measures.

The language question is very important question. We should understand the difficulties of the people of South. We should make compulsory the study of a South Indian language in north India. The main point in this controversy is in regard to the recruitment in Services. The people of South are afraid that with the introduction of Hindi, they will be deprived of employment in Services. I suggest that we should fix the quota of each State in Services. This will help in ending the agitations on the language qustions. The unity of the country should not be endangered by this question. No language should be imposed on anybody, but a link language has got to be there. This can only be Hindi. It is understood throughout the country.I feel that language issue should not be dragged to politics. Some vested interests want to take undue advantage in this regard. Some parties want to fish in troubled waters. They want to cling to power by raising the feelings of people on this question. This parliament has recently passed a language amendment Bill. It should not be changed now.

Another point I want to make is regarding Succession Act. I request that a daughter in Hindu family should not be entitled to property of her parents after her marriage. The opposition members have moved some amendments on the motion of thanks. I do not find any justification for these amendments. I hope the House will reject them.

I hope the President's address will inspire confidence in us and help the Government in revitalising our economy.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विघटनकारी तत्वों का उल्लेख किया है और आसाम की स्थिति पर सभा में भी चिन्ता व्यक्त की गई है। मेरे विचार में गड़बड़ी वाले उस राज्य के बारे में हमें ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि वहां शान्ति बनी रहे। यदि सरकार ने अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निभाया तो बहुत गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं।

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए
Shri Balraj Madhok in the Chair]

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि वहां का शासन विफल सिद्ध हुआ है। आज उपप्रधान मंत्री ने गौहाटी के उपद्रवों में पीड़ित लोगों को सहायता न दिये जाने की बात की है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन घटनाओं के होने की पूर्व सूचना होते हुए भी राज्य सरकार ने सुरक्षा के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की थी? राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रही?

गौहाटी में गड़बड़ तो प्रातः नौ बजे आरंभ हो गई थी परन्तु राज्य की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस का कैम्प भी समीप ही था। उसने भी कोई कदम नहीं उठाया और बहुत बड़े पैमाने पर वहां गड़बड़ हुई। गुन्डे और उपद्रवी अराजकता फैला रहे थे और लूटमार हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब कैसे सम्भव हुआ?

सभा के सदस्यों और केन्द्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में इस काम के पीछे राज्य सरकार का हाथ था। यह सब कुछ राज्य सरकार की जानकारी में था और उन्होंने स्वयं कराया है। आप 22 जनवरी, 1968 के दैनिक 'आसाम ट्रिब्यून' को देखें तो पता चलेगा राज्य की प्रदेश कांग्रेस समिति ने 21 जनवरी को एक प्रस्ताव पास करके कुछ तत्वों को गड़बड़ करने को प्रोत्साहित किया था। यह मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी में है उस प्रस्ताव में केन्द्रीय सरकार को चेतावनी दी गई थी। यह भी गृह-कार्य मंत्री की जानकारी में है।

गणतन्त्र दिवस की परेड के समय आसाम के मुख्य मन्त्री ने जो भाषण दिया था उसमें विवादास्पद प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। उससे यह आभास होता है कि वह गैर आसामी लोगों को वहां नहीं चाहते। आप प्रदेश कांग्रेस के प्रस्ताव और मुख्य मंत्री के वक्तव्य को पढ़ें तो स्पष्ट हो जायेगा कि अपराधी कौन है ?

केन्द्रीय सरकार को कुछ सदस्यों की आसाम में राष्ट्रपति का शासन लागू करने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये। माननीय मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये। आसाम की स्थिति को देखते हुए वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना बहुत आवश्यक है। वहां पर कानून और व्यवस्था लगभग समाप्त ही हो गये हैं। वहां गैर–आसामी लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी दिन स्थिति उग्र रूप धारण कर सकती है। सरकार को इन सभी बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और निर्णय करना चाहिये।

सरकार ने एक जांच आयोग स्थापित कर दिया है। परन्तु इससे स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। क्योंकि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं दोषी है। उससे किसी प्रकार के न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य सरकार स्वयं अपराधी होते हुए किस के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

आसाम सरकार वहां के लोगों का विश्वास खो चुकी है। वहां के लोगों में असुरक्षता की भावना फैलती जा रही है। माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्थानीय शासन अपने कर्तव्य में पूर्णरूप से विफल सिद्ध हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में भी संशय उत्पन्न हो रहा है। वे भी आसाम पर सन्देह करने लगे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस महीने की 9 तारीख कों शिलांग में एक जलूस निकाला गया था और गैर-आसामी तथा अल्प संख्यकों को आश्वासन दिलाया गया कि उनका जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित है।

आसाम क्षेत्र के पुनर्गठन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गौहाटी में विभिन्न राज्यों के लोगों को आतंकित किया गया है। वहां पर के कुछ बंगाली लोगों ने एक अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं की थीं और उपद्रवियों को साहस ही नहीं हुआ कि उनको हानि पहुचाये। आसाम में विदेशी ऐजेन्ट भी सक्रिय बताये जाते हैं। तो क्या इस स्थिति में वे गड़बड़ नहीं करायेंगे ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब कार्यवाही करे और स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाये।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की मांगों की ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। वे लोग

धैर्य से सरकार की कार्यवाही की प्रतिक्षा कर रहे हैं। इस सत्र में उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Sir, I support the motion of thanks on President's address. Last year has been a year of difficulty for our country. Our Goverment has come out with distinction in meeting this difficult situation caused by unprecedented drought. The non-Congress Governments in States have been accusing the Central Government unnecessarily. It should be the duty of all to see things in true perspective. Politics should be kept at arms length from human problems.

Our Government should take measure to ward off famines in future. We should ensure regular supply of water for irrigation purposes. All efforts should be made in this direction. The Gandak project should be completed as soon as possible. The work is held up there. If this project is completed it will be of great benefit to us. Large sums of money have already been spent in this regard. On the completion of this project, drought will not have any adverse effect on Bihar. Priority should be given to this project.

Three districts of Champaran, Saran and Mazuffarpur are primarily depenedent on agriculture. Adequate irrigation facilities should be made available in that area. I have toured these areas only recently. The Central Government has given large sums of money to Bihar Government to help the victims of famine. I do not know as to how much money out of that has been utilized.

In order to step up production Government should arrange and make available essential in puts to the farmers. They have to face many difficulties these days. Government should pay attention to their hardships. Another essential thing is insecticides.

Patna City should be linked with north Bihar by a direct road. A bridge should be constructed at Buxer.

Of late very unruly scenes have been witnessed in our State legislatures. It is very unfortunate. This is not in accordance with democratic principles. It should be checked. The example of West Bengal is before us. The opposition parties make heroes of those persons who defect from Congress Party. How far is this fair ? This tendency of crossing floor is not a healthy practice. We should discourage this.

I warn theopposition parties to beware of the Communist, who have extraterritorial loyalties.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, I cannot support the motion of thanks on President's address, because there is nothing new in this address. There is great confusion prevailing in our country. Many problems are confronting us. The Language question, the regionalism, the communal and the foreign agents are all menacing us. The incidents of Assam are of alarming nature. I have myself visited Assam and seen things there. It is very deplorable that Government's authority has become infective there. I am not worried over the loss of property in Assam. I am worried that anti-national elements are becoming more active in that part of the country. All these incidents took place on Republic Day. It is most unfortunate.

I warn Government to be vigilant and alert. I feel anti-national elements and foreign agents are behind these distrubances. There are no communalists in our country after the partition of our country. Now the agents of Pakistan want that some sortof tension should always be there. In Ranchi riots one of our frend Shri Malhotra lost his life. The riots of Meerut were started by one community on a very flimsy ground. It may be that Muslims might have been the losers in these riots, but we should see as to who started the riots ? Who is behind these riots. This is the main question.

I have thought over this question. I have come to the conclusion that our enemy countries are behind this and they are doing mischief in the name of Lachet Sena. They are instigating the Assamese against the non-Assamese. They are distributing anti-national literature in Assam and are issuing warnings to non-Assamese people. The Assames Government is doing little in this People are being threatened with serious consequences. Government should take prompt action in this situation.

I have got a letter addressed to M/s Garden Shine and Company this is sent by "Lachit Sena" and a Pakistani stamp is affixed on it.

It is now the duty of the Government to conduct an enquiry in this regard. I welcome the Commission appointed by the State Government under the Chairmanship of Major Sen. But in my opinion this work should be handed over to an organised like C. B. I. But no action has been taken in this regard. Had some action been taken at that time perhaps these incidents might have to occurred? Another thing which should be taken into account was that the number of Muslims was continuously increasing in the State because of large-scale infiltration from Pakistan. If this trend is alowed to continue it will endanger the unity and integrity of the country The Government should also take appropriable steps through the help of its Intelligence Agencies.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रपति के भाषण में यह आशा व्यक्त की गई थी की पाकिस्तान से ताशकंद घोषणा के अनुसार शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे । परन्तु यह दुख की बात है कि चीन और पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध असंतोषजनक है ।

कच्छ न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में

RE: AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

Shri Madhu Limaye (Monghyr). I want to table an Adjournment Motion along with raising a point of Order. I have just received a news that according to Kutch Tribunal decision 10% portion of the Kutch Tribunal has gone to Pakistan. It is a very serious problem. In my opinion this problem should be given priority and discussion on President's Address should be postponed immediately. When there was Kutch Agreement it was informed to the House that only demarcation of the border will be done.

In my opinion it is no use of discussing on President's Address. Therefore, the Minister of Parliamentary Affairs may bring a motion in this regard.

Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : Nobody can deny the seriousness of the problem. It can only be discussed in the House after a copy of the Judgement is received.

Shri Madhu Limaye : Decision has been known.

Dr. Ram Subhag Singh : We have not been officially informed. We will not postpone the Business of the House.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : It is a known fact that the soveregnity of India on Kutch has not been accepted and it has been decided to hand over a large portion of land to Pakistan. Pakistan has concentrated its army in that part. Government should assure the House that it will not allow to go that part to Pakistan.

सभापति महोदय : श्री वाजपेयी और लिमये ने सरकार से यह निवेदन किया है कि वह इस बात का आश्वासन दे कि जब तक सभा में इस विषय पर चर्चा की जाये और इस सम्बन्ध

में निर्णय लिया जाय जो भाग निर्णय में पाकिस्तान को दिया गया है उस पर वह बलपूर्वक कब्जा न कर ले। इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट आश्वासन की माँग की गई है और मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य कोई आश्वासन देगी।

डा० रामसुभग सिंह : जब तक हमें स्थिति का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हम किस प्रकार आश्वासन दे सकते हैं। यह तथ्य है कि सरकार देश की अखंडता बनाए रखना चाहती है।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): We have to increase our defence power. We should also see that Pakistan may not enter in our territory forcibly. It is, therefore, necessary, that the Government should take some steps in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : A clear-cut assurance should be given in this regard. It is a question of our soveregnity. We cannot take it lightly. In case it is not possible to do anything in this regard the Government should resign.

Mr. Chairman : I think some assurances may be given in the House, it will satisfy the sentiments of the Members.

Dr. Ram Subhag Singh : I may give an assurance that no territory will be occupied by force. I will see that a statement is issued tomorrow.

Mr. Chairman: I will request the Prime Minister to make a statement in this regard as early as possible.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (अलीपुर) : ताशकन्द समझौते की घोषणा के पश्चात् भी पाकिस्तानी नेता भारत विरोधी बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में हमारे गृह-कार्य मंत्री का उल्लेख किया था और कहा था कि जब तक पाकिस्तान को काश्मीर नहीं मिल जाता तब तक पाकिस्तान का भारत से व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में वार्ता करने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये। जो भी जम्मू और काश्मीर के प्रश्न का उल्लेख करता है वह यही कहता है कि काश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिये। यदि काश्मीर के लोगों में कुछ भ्रम पैदा हो गया है तो उसका कारण केन्द्रीय सरकार की कमजोर नीति है। काश्मीर के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा पाकिस्तान से वार्ता किये जाने के परिणाम स्वरूप काश्मीरी लोगों के मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। वे यह सोचते हैं चूंकि काश्मीर का मामला अभी तक हल इसलिये नहीं हुआ है कि भारत सरकार पाकिस्तान से हमेशा वार्ता करने के लिये तैयार रहती है।

शेख अब्दुल्ला का रिहा किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय है। 1947 में उन्होंने राज्य के लोगों को प्रेरणा दी और भारत संघ के साथ राज्य के सम्पूर्ण विलय की मांग की। उस समय लोगों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और जब उन्होंने उस उचित मार्ग को छोड़ दिया तब लोगों ने भी उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जब भी किसी वैयक्तिक या राजनीतिक स्तर पर काश्मीर सम्बन्धी चर्चा की जाये तो वह काश्मीर की आर्थिक कठिनाई, बेकारी इत्यादि की समस्याओं के सम्बन्ध में होनी चाहिये काश्मीर के विलय के सम्बन्ध में नहीं। हमेशा काश्मीर के विलय, शेख अब्दुल्ला के कार्य और काश्मीर में राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में क्यों चर्चा की जाती है। यह हमारा आन्तरिक मामला है। इस समय हमारे सामने अधिपत्य काश्मीर का मामला है। बराबर राजनीतिक तथा विलय का मामला क्यों उठाया जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

जम्मू और काश्मीर संवैधानिक और कानूनी रूप से भारत का अंग है। काश्मीर का हथियाया भाग पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान इन लोगों को गुलाम की तरह रख रहा है। मैं राजनीतिक नेताओं से अपील करूँगा कि पहले वे पाकिस्तान द्वारा कब्जा लिये गये भाग के सम्बन्ध में हल निकालें और जम्मू और काश्मीर को दोनों भागों को मिलाये। मुझे दुख है कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये गये क्षेत्र के लोगों के लिये कुछ नहीं किया गया है। ताशकंद घोषणा के पश्चात् कोई भी दिन अभी ऐसा नहीं गुजरा जब कि पाकिस्तान घुसपैठिये जम्मू तथा काश्मीर में न आये हों।

संयुक्त राष्ट्र में की गई हमारी शिकायत विचाराधीन है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रेक्षक बिलकुल असफल रहे हैं। वे युद्ध विराम रेखा पर शान्ति रखने में कभी सफल नहीं हुए हैं। जम्मू और काश्मीर के लोग इनकी उपस्थिति का बहुत विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है कि इनकी पाकिस्तान के लोगों से सांठ-गांठ है। वे वहां की सुरक्षा के लिये निरन्तर खतरा बने हुए हैं।

चीन के साथ हम कब तक भिन्नता का बर्ताव करते रहेंगे। देश तब तक शान्ति से नहीं बैठेगा जब तक चीन और पाकिस्तान ने जो हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है वह वापिस न ले लें। जहाँ तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है, जिन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishangunj): The Government is responsible for the death of a large number of people at Luckeesarai Station on the 14th February. In 1966 a similar accident took place there in which 40 passengers were killed and 13 injured. The construction of this station is like this that the train coming from Patna could not be seen from a distance. Therefore, something must be done in this regard. But the Government has not taken any action in this regard.

The Government is responsible for this accident and it should resign on that account because it is playing with thie lives of the people.

The Government is responsible for the security of the poeple. So far as the security of the country is concerned, the Government failed in this respect. The whole of the North-Eastern border is open to Pakistani infilrators who used to come into our territory. They carry away our cattle and other property and the people are vacating the border villages in panic. Although border Security Force has been posted there yet it has failed to protect the life and property of the people. Government have proved a quite failure in checking infiltration and smuggling.

China is constructing roads on our border. These areas are being used for making conspiracy against India. It is very unfortunate that our Government is not taking any action in this regard. Lakhs of maunds of jute is being smuggled every day. But no remedy has been done to prevent it. The work on lateral roads Project was started by the Central Government but it is very unfortunate that after spending 16 crores rupees on that project the project, has been given up.

We felt very much when we find that there is no economic, social and political progress during the last few years. The incidents occurred in Assam are very serious.

The character of the type of Gandhiji, Jawahar Lal Nehru and Tilak is nowhere to be found now. What has happened to that. It is all due to the pressure of Birla, Tata and Dalmia on our public life.

We have drafted three five year plans and yet we find 30 thousand engineers who are jobless. We find our youngmen jobless. These will prove to be sparks.

Japan and England were completely distroyed due to last war but we got freedom without muchtrouble. yet those countries have gone up in prosperity whereas we are still in the midest of povrety.

We are spending much on our armed forces.

The Government talks so much about socialism but the whole country appears to be in the grip of few capitalists. We cannot make much progress unless and until we start co-operative farming and until we have irrigation facilities.

America has started war in Vietnam but we cannot ask that country to go from there as we are dependent on it for aid.

I do not want even an inch of our land to be given to Pakistan. We are prepared to face all difficulties on it.

कच्छ न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में

Re. AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : Sir I want to correct one mistake of mine. When Shri Madhu Limaye stated that he had heard on the radio about the Kutch Award I told that it cannot be so as 4 o'clock in Geneva would mean 8. 30 o'clock here. But now I have seen the message of Reuters and I find that what Shri Limaye stated was correct.

Now I want an assureance from Government whether Pakistan forces are in fact marching towards that area to occupy it which the Tribunal has given them.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात सरकार के पास भेज दूंगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यदि प्रधान मंत्री के पास पंचाट की एक प्रति है तो उन्हें चाहिए कि हमें सूचना दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूँ । संसदीय मंत्री यदि तुरन्त कोई सूचना दें तो अच्छा होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Delhi) : This question was raised at about 3 to 3.30 when Shri Balraj Madhok was in the Chair and the Minister for Parliamentary Affairs assured us that he would convey it to the Prime Minister. Till now nothing has been informed in this House. A large portion of our territory has been given to Paskistan.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में एक वक्तव्य तुरन्त देना चाहिए क्योंकि सदन के सभी दल इस मामले को जानने के लिए उत्सुक हैं कि पंचाट में क्या कहा है ।

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) ; मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह वक्तव्य 6 बजे से पहले दे दें।

एक माननीय सदस्य : यह समाचार आ रहे हैं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान को चला गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : हमें कारगर तरीके से तथा शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु यह तब होगा जब हम इकट्ठे होंगे ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : गत 10 दिन से यह प्रचार किया जा रहा है कि अधिक भाग भारत को मिल रहा है । यह एक राजनीतिक निर्णय है न कि अदालती निर्णय ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want an assurance that Pakistan will not occupy the 10% area by force. Can we meet their military might?

डा० राम सुभग सिंह : अभी हमने एक नोट लोक-सभा सचिवालय को भेजा है कि प्रधान मंत्री कल वक्तव्य देंगी । फिर भी मैं सदन की भावना उन तक पहुँचा दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam) : Sir, we will have to find the fundamental problems which our country is facing and then find their solutions.

In my opinion the greatest problem for India is the Servival of democracy in the country. We find anarchy and agitations on all places. It appears that certain sections are bent upon murding democracy. There should be suitability in administration. Unfortunately certain parties who are the enemies of democracy have been given all deemocraic rights. They are utilising these rights to throttle democracy. We find agitations as done in Naxalbari. All are worried about democracy. I do not want a ban on such parties. But they should be exposed.

Another important problem before our country is the economic situation. The five year plans have been reduced just to wage giving schemes. It is a misnomer to call them plans. The prices are rising. There is no stability in prices. We cannot avoid these problems.

Another important matter is that the amount to be given to Andhra Pradesh has been slashed down by Rs.20 crores. It is not proper. Due to spending on Nagararjun Sugar Dam the financial

portion of Andhra Pradesh is not very good. Andhra Pradesh provided food to the country. It is the duty of the country to give that State such financial assistance.

Another reason for slackness in the fourth five year plan apears to be non-availability. of Foreign aid to the extent which we expected. What step are we taking to solve this problem. we should plan our schemes on the basis of creating self-reliance in ourselves as this alone will give the country Pride.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : महोदय मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की दो महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डालूंगा । एक तो यह कि वियतनाम के युद्ध में सबको पता है कि सैगांन की सरकार वहां की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती । वहां पर अमरीकी सैनिक बम्बारी कर रहे हैं । फिर भी सैगांन के कथित विदेशी मंत्री दिल्ली में प्रधान मंत्री तक से मिल रहे हैं । यह ठीक नहीं हैं । वियतनाम कि बहादुर लोग संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति का मुकाबला कर रहे हैं । वहां बम्बारी बन्द होनी चाहिये ।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ वह यह है कि केन्द्र तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध गत 20 वर्षों से कांग्रेस का ही सारे देश में राज्य रहा था । सिवाय कुछ समय के लिये केरल में इन्हें अपदस्थ कर दिया था परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी जी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थीं और श्रीमती सुचेता कृपालानी जो उस समय कांग्रेस की महा मंत्री थीं, दोनों ने वहां की सरकार को असंवैधानिक तरीकों से समाप्त कर दिया । ठीक उसी प्रकार यह केन्द्रीय सरकार आज पश्चिमी बंगाल में कार्य कर रही है । केरल में तो इस बार फिर कांग्रेस को 133 सदस्यों की विधान सभा में केवल 9 ही स्थान प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार विधान सभा में उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है ।

खाद्य के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार का केरल के साथ उचित व्यवहार नहीं है । हमारे राज्य में 50 प्रतिशत अन्न की कमी रहती है । केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया था कि इसे पूरी करेंगे परन्तु ऐसा नहीं किया । हमें 10 लाख टन अन्न देने का वचन दिया था परन्तु 1967 में 50 प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं किया ।

पहले सरकार चावल तथा गेहूँ की सप्लाई में सरकारी सहायता देती थी परन्तु अब वह भी बन्द कर दी गई है । वहां अब भी 96 प्रति क्विटंल चावल मिलता है । आपको अचंभा होगा कि आंध्र तथा मद्रास के कृषकों के साथ यह सरकार धोखा कर रही है । केन्द्रीय सरकार हमें मद्रास और आंध्र प्रदेश से 96 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल सप्लाई करती है, जबकि वह मद्रास में 72 रुपये 50 पैसे और आंध्र प्रदेश में 77 रुपये (सब खर्च मिला कर) प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती हैं । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही है । फिर अब वे कहते हैं कि राजसहायता बंद कर दी जायेगी । इसका अर्थ यह है कि अब तक जो चावल 69 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता था, अब 96 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा । वहां की जनता पर बोझ न डालने के विचार से केरल सरकार ने अपनी ओर से राजसहायता जारी रखने का निर्णय किया है । इस राजसहायता का कुल खर्च 19 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बैठता है । इस राजसहायता को जारी रखने के कारण राज्य सरकार के बजट में 18 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । अतः केन्द्रीय सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में राजसहायता जारी रखें ।

केन्द्रीय सरकार यह नीति जानबूझ कर अपना रही है । वे सोचते है कि जो सरकार दल बदल कर या किसी अन्य तरीकों से अपदस्थ नहीं की जा सकती, उस पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा कर उसका गला घोंटा जा सकता है। सरकार को बर्खास्त करने के लिये शायद संविधान के कुछ उपबन्धों का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु राज्य सरकार का बहुमत होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने बर्खास्तगी का तरीका अपनाया तो केरल की जनता इसे सहन नहीं करेगी और इस प्रकार की कार्यवाही के परिणामों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होगी । चुनाव के बाद की घटनाओं को ध्यान में रख कर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्ध सुधारने के लिये हम सबको उपाय ढूंढने चाहिये। हमें संघीय सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये और इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय नेता गैर-कांग्रेस सरकारों के प्रति बदले की भावना की कार्यवाही कर रही है और हालांकि वे दावा करते हैं कि वे राज्य सरकारों के साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में वे सब खोलले और निरर्थक दावे है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यह ठीक है कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई विशेष प्रेरणा नहीं मिलेगी, फिर भी उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस वर्ष देश में बहुत अच्छी फसल हुई है। जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ टन अधिक अन्न पैदा होगा। परन्तु अनाज की वसूली और उसके वितरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि अच्छी फसल का लाभ गरीबों को न मिला तो अच्छी फसल के बावजूद लाखों लोग भूखों मरेंगे।

आजकल स्थिति यह है कि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर वसूली नहीं हो रही है। जहां पर वसूली का कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है वहां इसे सफल बनाने के लिये उपयुक्त प्रयत्न किये जाने चाहिये। पश्चिम बंगाल के देहाती क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है यदि इस सम्बन्ध में कुछ न किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

हम यह महसूस करते हैं कि जब तक बेंकों, सामान्य बीमा कम्पनियों और आयात-निर्यात-व्यापार का राष्ट्रीकरण नहीं कर दिया जाता तब तक हम आर्थिक संसाधनों का लाभ नहीं उठा सकते । हम विदेशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर अधिक समय तक निर्भर नहीं कर सकते । इस प्रकार की सहायता का फल यह है कि हमारी आन्तरिक नीतियों के सम्बन्ध में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान और आत्म-सम्मान के लिये अपमानजनक है।

हमारे देश में जब तक बड़े-बड़े उद्योगपति हैं तब तक किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण सम्भव नहीं है जिससे हम देहाती जनता या किसानों के साथ न्याय कर सकें। देश में ऋण ढांचे के स्वरूप को बदलना चाहिये जिससे हम आन्तरिक साधनों का सही उपयोग कर सकें और व्यापारिक आधार पर चलाई जाने वाली सुदृढ़ बैंक प्रणाली द्वारा देहाती क्षेत्रों मे धन भेज सकें। इससे देहाती क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

20 वर्ष तक समाजवाद के प्रचार के बाद आज स्थिति यह है कि आज विषमता बहुत बढ़ गयी है। धनवान व्यक्ति अत्यधिक धनवान हो गया है और गरीब लोगों की स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि देश में कभी भी विस्फोट हो सकता है।

मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ दोषपूर्ण कार्यों के कारण विघटन की विभाजक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हम पिछले 20 वर्षों से सम्पर्क भाषा के प्रश्न को सुलझा नहीं सके। हमें इस सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये। यदि हम भाषा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर मतैक्य स्थापित न कर सके तो भारत का सर्वनाश हो जायेगा।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, यह एक शर्म की बात है कि आज हमारे 19,000 तकनीकी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन लोगों को रोजगार दिलाने के लिये बहुत पहले से कोई व्यवस्था करनी चाहिये थी।

आजकल, जब कि मूल्यों और जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि हो रही है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मजूरी मिल रही है। मेरे विचार में उच्चतर पदालि की सेवाओं के लिये भी जो वेतन-मान या उपलब्धियां दी जाती हैं वे समय की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। अपने सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु कर्मचारियों से अच्छा और ईमानदारी का काम लेने के लिये समय की आवश्यकता के अनुरूप वेतन-मान देने चाहिये।

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillen in the Chair]

हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होगी जिन में प्रबन्धक वर्ग अपनी इच्छा से कारखाने न बन्द कर सकें। हमारे राज्य में कारखाने बन्द होने के कारण 1.50 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। बहुत से कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। मैं श्रम मंत्री को बताना चाहता हूँ कि एक कारखाने में 6000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें उनकी मजूरी नहीं दी गयी है। इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है। श्रम मंत्रालय को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्धक वर्ग इस प्रकार की ज्यादतियां न कर सके।

Shri Shinkre (Panjim) : Keeping in view the developments in the last three or four months I am sorry to state that the spirits of nationalim is absent in our country men. On Republic Day Coorg N.C.C. had refused to salute national flag. Moreover A.C.C. and N.C.C. activities have been suspended in Madras because the commands of A.C.C. and N.C.C. are in Hindi. It has also been reported that the students studing in Madura Schools have decided not to salute national flag and respect National Anthem.In fact it is not possible to give commands in the regional languages to different units of AC.C. N.C.C. and army.All of us should try to inculcate national Spirit in the country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Even today many Members have stated that 10 percent of land of Kutch has been awarded to Pakistan and they will occupy it forcefully. We should therefore create national consciousness.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 फरवरी, 1968 / 1 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 20th February, 1968/Phalguna 1, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, Swami Vivekananand Marg, Allahabad.